लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार, 4 दिसम्बर, 1967/13 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 15, Monday, December 4, 1967/ Agrahayana 13, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
421.	पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर भारतीय बस्तियां	Indian Enclaves in East Pakistan	2105—2109
423.	अणु शक्ति रहित देशों के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Non-Nuclear Nations	2109—2110
424.	विदेशों में नियुक्त भारतीय राजनयिकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide lines for Indian Diplomats abroad	2111—2116
425.	पेकिंग के साथ दौत्य सम्बन्ध	Diplomatic relations with Peking	2117—2118
426.	पाकिस्तानी सेना का जमाव	Pakistani Troop concentration	2118—2119

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
426.	नेपाल के लिये पत्तन सुविधायें	Port Facilities for Nepal	2120
427.	नागालैंड में इसाई तथा हिन्दू नागा	Christian and Hindu Nagas in Nagaland	2120—2121
428.	दूमाबाड़ी क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण	Indo-Pakistan demarcation of Dumabari area	2121

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारा० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
429.	नागालैंड की सीमा में चीनियों की उपस्थिति	Presence of Chinese in Nagaland Border	2121—2122
430.	नागाओं के बारे में पाकिस्तानी तथा चीनी प्रचार	Pak & China Propaganda about Nagas	2122
431.	विदेशों में प्रसारण के लिए ट्रान्समिटर	Transmitters for External Services	2122—2123
432.	पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति	Pakistan Air Strength	2123
433.	श्री फिजो के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाने का आवश्वासन	Safe conduct for Mr. Phizo	2123 - 2124
434.	दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की निति	Apartheid policy of South Africa	2124
435.	सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए पाकिस्तान को भारत का समर्थन	Indian support to Pakistan for seat in security council	2124
436.	जल प्रांगण की सीमा	Limit of Territorial Water	2124—2125
437.	कीनिया से भारतीय लोगों का ब्रिटेन में प्रव्रजन	Indians from Kenya migrated to U. K:	2125
438.	गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना की भारतीय सैनिक टुकड़ी	Indian contingent of UNEF in Gaza	2125—2126
439.	पाकिस्तान में चीन के परमाणु वैज्ञानिक	Chinese Atomic Scientists in Pakistan	2126—2127
440.	चीन द्वारा प्रचार	Chinese propaganda	2127
441.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आवास बस्तियां	Housing Colonies for Defence personnel	2127—2128
442.	बन्दूक (शाटगन) के कारतूस	Shotgun Cartridges	2128
443.	साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान का विरोध पत्र	Pak. protest about communal distesbances	2128—2129

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
444.	श्री फिजो का वक्तव्य	Statement by Mr. Phizo	2129
445.	कलपव कम में परमाणु बिजली घर	Atomic Power station at Kalpakkam	2129—2130
446.	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर (उड़ीया)	Sainik School, Bhubaneshwar (Orissa)	2130
447.	आकाशवाणी से प्रसारण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विवाद	Dispute with West Bengal Government re. Broadcast from AIR	2130
448.	तिब्बती शरणार्थियों का प्रवेश	Entry of Tibetan Refugees	2131
449.	टेलिविजन केन्द्र	Television Stations	2131
449-क	इटली द्वारा भारत को सैनिक समान बेचा जाना	Sale of Military hardware to India by Italy	2131—2132
450.	नागा नेताओं का पूर्वी पाकिस्तान जाना	Visit of Naga Leaders to East Pakistan	2132

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

2841.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore	2132—2133
2842.	दानापुर छावनी के निकट चांदमारी क्षेत्र	Shooting Range near Danapur Cantonment	2133—2134
2843.	आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम	A. I. R. Programmes	2134
2844.	नागरिक तथा राजनीतिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी	International Seminar on Civic and Political Education	2134
2845.	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	2134—2135
2846.	कम कीमत वाले ट्रांजिस्टर	Low cost Transistor Sets	2153
2847.	देश में निर्मित टेलिविजन सेट	Indigenous T. V. Sets	2135-2136
2848.	गाजा में भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-	Report submitted to UN Secretary General regarding Death of Indian Soldiers in Gaza	2136—2137

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	सचिव को प्रस्तुत प्रतिवेदन		
2849.	प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों के लिये खराब पुर्जे	Defective Spare Parts for Defence Equipments	2137
2850.	मास्को रेडियों से प्रसारण	Radio Moscow Broadcasts	2137
2851.	रेडियो श्रीनगर से सत्तारुढ दल के बारे समाचार	News about Ruling Party by Radio Srinagar	2137—2138
2852.	सैनिक स्कूलों में परीक्षा पत्र	Question papers in Sainik schools	2131
2853.	नेपाल में चीनी राजदूतावास की भारत विरोधी गतिविधियां	Anti-Indian Activities of the Chinese Embassy in Nepal	2138—2139
2854.	तिब्बत को भारत में मिलाने के बारे में भारत के विरुद्ध पेकिंग का आरोप	Peking charge against India to Annex Tibet	2139
2855.	नेपाल में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in Nepal	2139—2140
2856.	अदन जा रहे गोरखा सैनिकों की टुकड़ी का बेरकपुर में आवाजाही शिविर	Transit at Barrackpore of Gurkha Troops for Aden	2140
2857.	सेनाध्यक्षों के विदेशों के दौरे	Visit of Service Chiefs abroad	2141
2858.	नीदरलैंड की सहायता से विमानों का निर्माण	Aircraft Manufacturing with Netherland's Assisatnce	2141—2142
2859.	दिल्ली में संगणक केन्द्र	Computer Centre at Delhi	2142
2860.	राष्ट्रीय सैन्य क्षात्र दल के कैडेट तथा नियत्रित सेना कर्मचारी	N. C. C. Cadets and Regular Army Personnel	2142—2143
2861.	नेशनल कैडेट कोर के लिये मोटर गाड़ियां	Vehicles for N. C. C.	2143
2862.	नेशनल कैडेट कोर	N. C. C.	2144
2863.	प्रतिरक्षा संस्थानों में कैंटीन कर्मचारी	Canteen Employees in Defence Establishments	2144—2145

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2864.	मिग विमान परियोजना	M. I. G. Project	2145
2865.	जामनगर के समीप भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	I. A. F. Plane Crash near Jamnagar	2145—2146
2866.	सैनिक सहचारी के रूप में नौसैनिक अधिकारी	Naval offices as Military Attaches	2146
2867.	फ्रान्सीसी सेनाध्यक्ष की यात्रा	Visit by French Commander in Chief	2146
2868.	टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	2147
2869.	चीन और पाकिस्तान के विवादग्रस्त क्षेत्र वापिस लेना	Recovery of Disputed Territories from China and Pakistan	2147
2870.	यूरेनियम की गोलियां	Uranium Bullets	2147—2148
2871.	अरब गणराज्य के सहयोग से एच० एफ० 24 जेट विमानों का निर्माण	HF-24 Jets with U. A. R. Collaboration	2148
2872.	प्रतिरक्षा विभाग की पुरानी घोषित की गई मोटर गाड़ियों	Defence Vehicles Declared Obsolete	2148—2149
2873.	प्लुटोनियम	Plutonium	2149—2150
2874.	प्रतिरक्षा विभाग के लिये माल खरीदने का तरीका	System for purchasing goods for Defence Department	2150
2875.	आयुध कारखानों में अनुसंधान तथा विकास	Research and Development in Ordnance Factories	2150
2876.	चीनी प्रधिकारियों द्वारा जब्त की गई भारत सरकार की सम्पत्ति	Indian Government property confiscated by Chinese Authorities	2150—2151
2877.	लड़ाकू सैनिकों तथा सेना अधिकारियों के लिये आवास	Accommodation for combatants and Officers	2151—2152
2878.	मेरीटाइम रिकोनेसा स्वाड्रन	Maritime Reconnaissance Squadron	2152
2879.	व्यापारिक विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcast	2152

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2880.	धनवाद के निकट भारतीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण शिविर में बम विस्फोट	Bomb explosion in N. C. C. Training Camp near Dhanbad	2152
2882.	श्री मनुभाई शाह की नियुक्ति	Appointment of Shri Manubhai Shah	2153
2883.	विद्रोही नागाओं तथा भारतीय सुरक्षा सेनाओं में मुठभेड़	Encounters between Naga Rebels and Indian Security Forces	2153
2884.	प्रतिरक्षा मंत्री का मास्को का दौरा	Defence Minsters' visits to Moscow	2153—2154
2886.	विशाखापटनम में नौसैनिक गोदी	Naval Dockyard at Visakhapatnam	2154
2887.	कोरिया से विदेशी सेनाओं का वापिस लिया जाना	Withdrawal of foreign Troops from Korea	2154
2888.	समुद्री वायु सेना	Naval Air Force	2154—2155
2889.	समाचार वित्त निगम	Newspapers Finance Corporation	2155
2890.	दिल्ली रेडियो स्टेशन के स्टुडियों में आवाज का वाहर निकलना	Leakage of voice in Studio in Delhi	2155
2892.	विदेशी भाषाओं में समाचार	News in Foreign languages	2156
2893.	पेकिंग रेडियो से समाचार	News from Radio Peking	2156
2894.	नाथुला में हुए संघर्षों में मारे गये सैनिकों के शवों की अदला बदली	Exchange of dead bodies of soldiers of Nathu La Clashes	2156—2157
2895.	विदेशों के साथ समपर्क	Contacts with foreign countries	2157
2896.	अफ्रको ऐशियाई एकता सम्मेलन	Afro Asian solidarity conference	2157—2158
2897.	टेलीविजन केन्द्र के लिये रूस से सहायता	Aid from USSR for Television centre	2158
2898.	पाकिस्तान को सिख यात्री	Sikh Pilgrims to Pakistan	2158—2159
2899.	प्रतिरक्षा मंत्रालय की कैंटीने	Defence Canteens	2159
2900.	ट्रांसमिटर	Transmitters	2159

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2901.	सीमा क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी समिति	Committee on propaganda in Border Area	2160
2902.	दलाईलामा	Dalai Lama	2160
2903.	12 बोर की ट्रेप तथा स्कीट बन्दूकों का निर्माण	Manufacture of 12 Bore Trap and Skeet Gun	2160
2904.	हिन्दुस्तान इरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में निर्माण	Production in Hindustan Aeronautics Ltd. Bangalore	2161
2905.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electronic Ltd. Bangalore	2161
2906.	आकाशवाणी के प्रादेशिक स्टेशन	Regional Stations of A. I. R.	2161—2162
2907.	चांदीपुर स्थित प्रतिरक्षा मंत्रालय के संस्थान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against Defence Ministry Establishment, Chandipore	2162
2908.	नेताजी से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज	Documents relating to Netaji	2162
2909.	मोटरगाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर	Vehicles Research and Development Establishment, Ahmednagar	2163
2910.	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in M. P.	2163
2911.	सेवा के प्रयोग के लिये ट्रैक्टर	Tractors for use of Army	2163—2164
2912.	चीन और पाकिस्तान में भारत की धार्मिक संस्थायें	Indian Religious Institutions in China and Pakistan	2164—2165
2913.	गोहाटी के निकट दुर्घटना में मारे गये सेना कर्मचारी	Army Personnel killed in accident near Gauhati	2165
2914.	विदेशी चलचित्र समारोह	Foreign film Festivals	2165
1915.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore	2166
2917.	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenos	2166—2167

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2918.	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का संगणक केन्द्र (कम्प्यूटर सेंटर)	Computer Centre of programme evaluation organisation	2167
2919.	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers	2167
2920.	योजना आयोग के प्रकाशन	Publications of Planning Commission	2167
2921.	पाकिस्तान से प्राप्त बधाई संदेश	Congratulatory Messages Received from Pakistan	2168
2922.	चलचित्र फर्ज और दुनिया की सैर का प्रदर्शन	Release of Film Farz & Around Around the World	2168—2169
2923.	भद्रावती और गुलबर्ग में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station Bhadravati and Gulburg	2169
2924.	प्रतिरक्षा विभाग की प्रयोगशालायें	Defence Laboratories	2169
2925.	कोरिया मे महा वाणिज्य दूतावास कार्यालय को स्थापित करना	Opening of an office of Consulate General in Korea	2169—2170
2926.	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को पेंशन	Pension by Ex-Army personnel	2170
2927.	सैनिक स्टोरमेन	Army Storemen	2170
2928.	सेवानिवृत्त सैनिक स्टोर कर्मचारी	Retired Army Store Heads (Technical)	2171
2929.	वायु सेना अकादमी	Air Force Academy	2171
2930.	भारतीय वायुसेना द्वारा विमानों से सामान गिराने का कार्य	Air dropping operations by I. A. F.	2171—2172
2931.	कृषि कार्यों में परमाणु शक्ति का उपयोग	Use of Atomic Energy in Agriculture	2172
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	2172—2174
	सोवियत समाचार एजेंसी नोवेस्ति तथा भारत सरकार के प्रेस इनफोरमेशन ब्यूरो के बीच कथित संविदा	Reported contract between the Soviet News Agency Novosti and the Press Information Bureau	

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2175
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	2175
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक	Bills Passed by Rajya Sabha	2175
(1) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967	(1) Industrial Disputes (Amendment) Bill, and	
(2) कीटनाशी विधेयक 1967	(2) Insecticides Bill	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	2176—2177
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	
पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motions re : Situation in West Bengal	2177—2194
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	
श्री न० कु० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री शशि रंजन	Shri Shashi Ranjan	
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Vishwanatham	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Sori Y. B. Chavan	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
देश में खाद्य की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Food Situation in the country	2194—2196
श्री चरंजीत राय	Shri Charanjit Rai	
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 4 दिसम्बर, 1967/13 अग्रहायण, 1889 (शक)

Monday, December 4, 1967/Agrahayana 13, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर भारतीय बस्तियां

*421. **श्री समर गुह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में रंगपुर तथा पूर्वी दिनाजपुर जिलों में 130 से अधिक भारतीय बस्तियाँ, जिनका कुल क्षेत्रपल 50 वर्गमील से अधिक है और जिनकी जनसंख्या लगभग 60,000 है, पूर्णतया पाकिस्तानी राज्य क्षेत्रों से घिरी हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बस्तियों की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुओं की है ;

(ग) क्या इन बस्तियों के भारतीय नागरिकों को भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्य भागों में जाने-आने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नही है; और

(घ) इन बस्तियों के लोगों की सुरक्षा तथा भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्य भागों में उनके जाने आने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) रंगपुर और पूर्वी दीनाजपुर के जिलों में चारों ओर से पाकिस्तानी इलाके से घिरी 123 भारतीय बस्तियाँ हैं; ये करीब 29 वर्गमील इलाके में फैली हुई हैं और 1951 की

जनगणना के अनुसार इनकी आबादी करीब 11000 है। 1961 में इन भारतीय बस्तियों की जनगणना नहीं की जा सकी क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपने यहां होकर हमें हमारी बस्तियों में नहीं जाने दिया।

(ख) और (ग): जी हां।

(घ) भारत सरकार पारस्परिकता के आधार पर इन बस्तियों में अपने पुलिस दल भेजने और इनके निवासियों को वीजा देने के बारे में पाकिस्तान सरकार से लिखा-पढ़ी करती रही हैं।

श्री समर गुह: मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अन्दर 123 नहीं बल्कि 130 भारतीय बस्तियां हैं पाकिस्तान में इन भारतीय बस्तियों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 11000 न हो कर 75000 है। ये भारतीय बस्तियां 130 हैं उनमें 75000 लोग रहते है और इनका क्षेत्र 33 वर्ग मील है ये भारत सरकार की राजनीतिक विफलता की परिचायक है। ये भारतीय क्षेत्र है और वहां भारतीय नागरिक रहते हैं। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद ये लोग भारतीय नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का किसी प्रकार उपयोग नहीं कर सकते। इन भारतीय नागरिकों पर बड़े-बड़े अत्याचार किये जाते हैं, उनकी महिलाओं का अपमान किया जाता है और उनकी सम्पत्ति को लूटा जाता है और उनमें से सैंकड़ों लोग फंसे पड़े हैं। उनमें से न कोई बाहर आ सकता है और न कोई व्यक्ति उनके पास जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने चुनाव हुए हैं उनमें से किसी में भी इन भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रयोग का अवसर नहीं मिला?

श्री ब० रा० भगत: माननीय सदस्य ने कहा है कि इन बस्तियों की संख्या 130 हैं और न कि 123। इसलिये यह सूचना ठीक नहीं है, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि आरम्भ में पाकिस्तान में 130 भारतीय बस्तियां थीं और भारत में 95 पकिस्तानी बस्तियां थीं। 3 भारतीय बस्तियां भारत में पाकिस्तानी बस्तियों के बीच में है और इस लिये उनका क्षेत्र अलग से तबादले योग्य नहीं हैं। 4 भारतीय बस्तियां पहले ही जलपाईगुड़ी जिले में सम्मिलित कर ली गई हैं। इसके परिणामस्वरूप अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान में भारतीय बस्तियां 123 है और भारत में पाकिस्तानी बस्तियां 74 हैं। जहां तक वहां की स्थिति का सम्बन्ध है, यह सच है कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन असुरक्षित है, बहुत से लोग वहाँ से आ गये हैं और हमारे लिये भी उन क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखना कठिन हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार इस कार्य में बाधा डालती है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है और वह यह कि शीघ्रातिशीघ्र उन बस्तियों का विलय किया जाये। उसमें कठिनाई यह है कि क्यों कि बेरुबाड़ी का मामला न्यायालय में है, पाकिस्तान सरकार यह दृष्टिकोण अपना रही है कि जब तक उस मामले का निर्णय नहीं हो जाता वे इन बस्तियों के विलय के लिये सहमत नहीं होंगे। हमें आशा है कि जैसे ही बेरुबाड़ी के मामले में न्यायालय में निर्णय हो जाता है वैसे ही हम इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री समर गुह: मंत्री महोदय का कहना है कि इनका जल्दी विलय हो जायेगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद उन्होंने बहुत से क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिये हैं। वैसे तो ये 130 वस्तियाँ कूच बिहार जिले के आयुक्त तथा पश्चिम दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में हैं परन्तु क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय अधिकारी और भारतीय नागरिक पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं क्या भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान के झन्डे लगे हैं और क्या यह भी सच है कि बहुत से भारतीय नागरिकों पर मुकदमा चलाया गया है ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इन बस्तियों में से 5000 भारतीयों को तंग कर के निकाल दिया गया है, क्या यह सच है कि ये भारतीय क्षेत्र पूर्णतया पाकिस्तान के अधिकार में है और उन पर ऐसे शासन चलाया जाता है जैसे वे पाकिस्तान के विजित क्षेत्र हों ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने आरम्भ में ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस सम्बन्ध में बहुत कम कहना है क्योंकि माननीय सदस्य ने स्वयं ही उत्तर भी दे दिया है । यह सच है कि इन क्षेत्रों की भूगोलिक स्थिति के कारण इस समय उस क्षेत्र में कोई प्रसाशन नहीं चल रहा है । उन्हें वहां जाने की सुविधाएं नही दी जातीं और यहां तक कि हमारी पुलिस को भी वहां जाने की अनुमति नहीं । इसलिये मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह सही हो सकता है परन्तु इसका उत्तर केवल यह है कि ...

श्री समर गुह : भारतीय नागरिकों के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है और यह कुछ जानते ही नहीं ? आप अपनी अनभिज्ञता बता रहे हैं ?

Shri Beni Shankar Sharma : How many Pakistani enclaves are situated in Indian territory which are completely encircled by Indian terrtoiry and number of Hindus and Muslims living therein and ratio thereof ? Whether Government of India have also imposed same type of restrictions on the people living in Pakistani enclaves as Pakistan Government have imposed on Indians enclaves ? Whether inhabitants of these enclaves can visit Pakistan freely through Indian territeries ?

Shri B. R. Bhagat : I require notice for furnishing information about the number of Hindus and Muslims in those enclaves.

Shri Balraj Madhok : What is the total area ?

Shri B. R. Rhagat : Nearly 18 square miles.

श्री समर गुह: यह बिल्कुल गलत है । यह क्षेत्र 33,745 वर्ग मील है ।

Shri B. R. Bhagat : Pakistani enclaves which are situated in our territory is 18·4 square miles.

श्री समर गुह : इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से दस्तावेज मिलते हैं। वह गलत सूचना दे रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ।

श्री बलराज मधोक: मंत्री महोदय अभी नये हैं, इसलिये उनकी अनभिज्ञता क्षम्य है । उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय बस्तियाँ हैं और भारत में पाकिस्तानी बस्तियां हैं और पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों का क्षेत्रफल 33 वर्ग मील है और भारत में पाकिस्तानी बस्तियों का क्षेत्र 18 वर्ग मील है और जनसंख्या लगभग बराबर हैं। मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह

स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में भारती बस्तियों के निवासियों को नागरिक अधिकार बिल्कुल नहीं दिये गये और पाकिस्तान के विजित क्षेत्र के निवासियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है और बहुत से लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। इस कारण क्योंकि हम स्थिति को बदल नहीं सकते और पाकिस्तान हमारे साथ सम्मान पूर्वक ढंग से व्यवहार करने के लिये तैयार नहीं तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी कि इन दो बस्तियों की जनसंख्या का तबादला कर दिया जाये—भारतीय बस्तियों के निवासी भारत में आ जायें और पाकिस्तानी बस्तियों के निवासी पाकिस्तान चले जायें जिससे इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो जाये और भारतीय बस्तियों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान द्वारा डराने धमकाने की कार्यवाही का अन्त हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : करार में बस्तियों के तबादलों की व्यवस्था है, जनसंख्या के तबादले की नहीं। परन्तु वास्तव में जहां तक पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों का सम्बन्ध है वहाँ के बहुत से लोग भारत में आ गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : इन बस्तियों के अतिरिक्त, जैसा कि श्री छागला ने पहले सभा में बताया था, लाठी टिल्ला, दुमाबाड़ी और पहेग्राम, ये तीन क्षेत्र .....

अध्यक्ष महोदय : क्या वे भी बस्तियाँ हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह कह रहा था कि "इन बस्तियों के अतिरिक्त"

श्री उमानाथ : आपका निर्णायक वाक्यांश पर ध्यान नहीं गया।

श्री स० मो० बनर्जी : इन देहातों के सम्बन्ध में, विशेषकर लाठी टिल्ला और दुमाबाड़ी के बारे में पिछली बार माननीय प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा था कि उस क्षेत्र में पाकिस्तानी झण्डे लगे थे जो किसी परम्परा या किसी करार के अनुसार नहीं है, वह तो केवल इसलिये हैं क्योंकि वे पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। क्या वे अब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं या उन्हें खाली करवा लिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न आज के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 428 से सम्बन्धित है।

श्री रूपनाथ ब्रम्हा : यदि मंत्री महोदय बस्तियों के क्षेत्र के बारे में हमारे मित्र द्वारा दिये गये आंकड़े स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं तो क्या वह इसकी जाँच करेंगे और हमें सही आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हमने उसे नोट कर लिया है। परन्तु मैंने जो स्थिति बतायी है वह सत्यापन के बाद की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु दोनों बातें सही नहीं हो सकती।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय जनसंख्या के तबादले की बात कर रहे हैं। क्या नेहरू-नून करार में इस बात की व्यवस्था है कि भारत में 60 और पाकिस्तान में 130 बस्तियों के परस्पर तबादले के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये और क्या इन बस्तियों के तबादले के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की है ?

श्री ब० रा० भगत : उसमें बस्तियों के तबादले का कोई उल्लेख नहीं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वह यह कह सकते हैं कि नेहरू-नून करार में इसका कोई उल्लेख नहीं ? यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बस्तियों के तबादले के बारे में बातचीत की जायेगी ।

श्री ब० रा० भगत : यहीं मेंने कहा है कि इसका सम्बन्ध बस्तियों के तबादले से है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने पहले इस प्रश्न से आरम्भ किया था कि मंत्री महोदय जन संख्या के तबादले की बात कर रहे थे । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि नेहरू-नून करार में यह लिखा था कि वे इन बस्तियों के तबादले के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे ? क्या उन्होंने बातचीत आरम्भ की है ?

श्री ब० रा० भगत : बातचीत आरम्भ की गई है। परन्तु जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा था कि पाकिस्तान सरकार यह चाहती है कि जब तक बेरूबाड़ी का भी तबादला नहीं हो जाता तब तक वह इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति यह है । मैंने यह सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने बेरूबाड़ी का उल्लेख किया है । क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बहुत ही लच्छेदार भाषा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिससे बेरूबाड़ी के बारे में झूठ बोलने, बेलोनिया में गोली चलाने, फाजिलका में धोखा देने, काश्मीर में हत्याएं करना और सियालकोट मे छिपकर हमला करने का आरोप लगाया है ? इस सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या माननीय प्रधान मंत्री दृढ़ता पूर्वक कह सकती हैं कि बेरुबाड़ी के सम्बन्ध में कोई धोखा नहीं किया गया ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेरुबाड़ी के बारे में किसी प्रकार की धोखा देने वाली बात नहीं कही गई । मुझे बताया गया है कि यह वक्तव्य उस समय का है जब विदेशी मंत्री इस पद से हट गये थे ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने ऐसा क्यों कहा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह भूत-पूर्व विदेश मंत्री थे ।

श्री हेम बरुआ : यह वक्तव्य वर्तमान विदेश मंत्री द्वारा दिया गया है, भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा नहीं। यह वक्तव्य उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में दिया था । मुझे उनका अनुप्रास अलंकार में बात कहने का ढंग पसन्द आया है।

श्री रंगा : सभा को यह पता लग गया है कि विदेश मंत्री इस सम्बन्ध कितने अनभिज्ञ हैं। प्रधान मंत्री कब तक इस बात को महसूस करेंगे कि प्रधान मंत्री का काम काफी भारी होता है और उन्हें और अधिक उत्तरदायित्व नहीं सम्भालने चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अनुपूरक प्रश्न है ?

अणु-शक्ति रहित देशों के प्रतिनिधियों की बैठक

*423. **श्री विभूति मिश्र** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्टेट्स-मैन', दिनांक 19 अगस्त, 1967 में "अणु-शक्ति-रहित देशों की बैठक में चीन के सम्मिलित होने की सम्भावना है" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीन को आमंत्रित करने हेतु महासभा को सहमत कराने के लिए पाकिस्तान ने पहल की थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी हाँ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : The reply to first part of the question is in the affirmative wherein the replies to second and third part of the question it has been said that Government in not aware. I want to know what our embassy our U. N. representative does there ?

Shri B. R. Bhagat : We have no direct information in regard to the work done by the Committees appointed in this regard because India was not a member thereof. The hon. Member can well imagine how far it would be proper to say anything on the basis of mere heresay.

Shri Bibhuti Misra : What is the reaction of Government of India in regard to China attending this meeting inspite of its being a nuclear power ?

Shri B. R. Bhagat : We have no information to the effect that Pakistan has taken any initiative to invite China to this meeting. If it is a fact that in the motion adopted in the meeting it was said that all nuclear powers should be invited, then China is also included therein as it keeps nuclear potential.

श्री दी० चं० शर्मा : यदि चीन को गैर-अणुशक्ति वाले देशों की इस बैठक में बुला कर अणुशक्ति वाले देशों और नायिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधि से बाहर रखा जाता है तो इससे विश्व अथवा भारत को क्या लाभ होगा ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हमारे संकल्प के अनुसार अणुशक्ति वाले देश इस बैठक में आ तो सकते हैं किन्तु मतदान में भाग नहीं ले सकते ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Notwithstanding the fact whether China attends this meeting or not, what is India's latest stand in this regard whether India have put forward any conditions or whether she would never give up right to develop nuclear power?

Shri B. R. Bhagat: As far as Non-Proliferation Treaty in concerned we have made it amply clear that as far as peaceful uses of Atomic Energy are concerned, it would not be in our national interest to impose any restrictions. This has been made clear to them.

विदेशों में नियुक्त भारतीय राजनयिकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

* 424. श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर भारत की विदेश-नीति का स्पष्टीकरण करने के लिए भारतीय राजदूतों तथा विभिन्न देशों में नियुक्त प्रतिनिधियों के लिए उनके मंत्रालय ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशों में नियुक्त भारतीय प्रतिनिधियों के कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बलिराम भगत) :

(क) विदेशों में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय से अक्सर निर्देश पाते रहते हैं कि उन्हें भारत की विदेश नीति किस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें समय-ससय पर उठने वाली समस्याओं के बारे में भी विशेष निर्देश दिये जाते हैं।

(ख) विदेश-स्थित मिशनों में काम करने वाले भारत-आस्थानी कर्मचारियों के काम के विषय में हर वर्ष गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाती हैं और मिशन तथा केंद्र प्रमुखों के कार्य की जांच इस तरह की जाती है कि जिन क्षेत्रों में वे कार्य कर रहे हैं, वहां वे सामान्य रूप से कितने प्रभावकारी सिद्ध हुए।

श्री लकप्पा : मैंने अपनी हाल की विदेश यात्रा में देखा कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधि भारत की विदेश नीति से पूर्णतः परिचित नहीं हैं और भारत का चित्र ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और हमारे प्रतिनिधियों द्वारा भारत-पाक संघर्ष के बारे में सही जानकारी तथा काश्मीर पर पाकिस्तानी दावे का खण्डन प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सका है। क्या सरकार को इस संबंध में पिल्ले समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और यदि हां, तो क्या इन्हें लागू किया गया है और यदि नही तो विलम्ब कहाँ पर हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच नहीं है कि हमारा चित्र ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जाता। अपने दूतावासों के साथ भी लगातार संबंध स्थापित किया जाता है। लगभग प्रतिदिन उनकी गतिविधियों की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और हिदायतें जारी होती रहती हैं। इसलिये यह भ्रम दूर होना चाहिये कि हमारी विदेश नीति का ठीक से प्रसार नहीं हो रहा है। पिल्ले समिति के प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री लकप्पा : क्या विदेशों में नियुक्त हमारे प्रतिनिधियों के गलत व्यवहार के विरुद्ध कोई शिकायत आई है। यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

श्री ब० रा० भगत: ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हमारे जो विद्यार्थी विदेश जाते हैं यदि उन्हें प्रचार सामग्री उपलब्ध की जाए तो वे अच्छे राजदूत सिद्ध हो सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह एक अच्छा सुझाव है और हमारे मिशनों को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

Shrimati Lakshami Kanthamma: Whether an evaluation of the work of our missian abroad would be made and a report laid on the Table soon?

Shri B. R. Bhagat: This is being done and these reports are also discussed in the House.

श्री म० ला० सोंधी : दूतावासों द्वारा रिपोर्टें तैयार करने की विधि में क्या कोई सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि रक्षानीति और विदेश नीति में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : प्रशासनिक सुधार आयोग इसकी पूरी जांच कर रहा है ।

Shri K. N. Tiwary: In the light of the assurances given by Government for time to time, May I know the steps taken with refrence to the criticism in the House?

Shri B. R. Bhagat: I can give a reply only if any specific suggestion or criticism is referred to by the hon. Member.

Shri Rabi Ray: May I know whether Government have made their policy in regard to Rhodesia and immigrant people in U. K. has been made clear to our representatives there and whether Government took any concrete steps to make the people there familiar with these policies?

Shri B. R. Bhagat: These policies are well known to our representatives. Recently a British Minister came to India, I had talks with him we explained to him our stand on these issues and he is well aware of this stand.

श्री अनन्तराव पाटिल : विदेशों के समाचार-पत्रों की शिकायत है कि उन्हें हमारी विदेश नीति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है । उदाहरणार्थ, अरब देशों और इजराइल के झगड़े के बाद हमने कुछ मध्य पूर्वी देशों का दौरा किया था । तब वहाँ के समाचार पत्रों से हमने बहुत सी शिकायतें सुनी कि उन्हें हमारी विदेश नीति के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जाती है और इन देशों में हमारे जो विभिन्न मिशन हैं उनके प्रेस सहचारियों का काम सन्तोषजनक नहीं है । हमारे विदेशी मिशन कैसा काम कर रहे हैं इस पर फिर से विचार करने के लिये और हमारे विदेशी प्रचार और सार्वजनिक सम्बन्धों को पुनर्संगठित करने के लिये क्या हमारी सरकार तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी भी संस्था के कार्यसंचालन के लिये इस प्रकार का पुनर्विचार करना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण स्थिति में हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रचार माध्यमों और इन उपकरणों पर दृष्टिपात करें जिनकी सहायता से हम अपना काम चलाते हैं । जहां तक पश्चिम एशिया सम्बन्धी इस विशेष मामले का सम्बन्ध है ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है । हमारे दृष्टिकोण का खूब प्रचार किया गया था । वास्तव में, इसकी विश्व भर में प्रशंसा एवं आलोचना भी हुई । इस पर यहाँ भी कई बार चर्चा हुई थी । इसलिये यह कहना कि हमारे विदेशी प्रचारक माध्यमों ने ठीक तरह से काम नहीं किया, बड़ी हैरानी की बात है

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम अपने मिशनों के अधिकारियों के काम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने अपने मिशनों के पास कोई ऐसे निर्देश भेजे हैं जिनके अनुसार मिशनों को काम करना चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने शुरू में ही कहा है कि यह भी हमारा एक कर्तव्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम वैदेशिक कार्य सम्बन्धी चर्चा करने वाले हैं । मैं आशा करता हूं कि इस पर चर्चा अगले सप्ताह में होगी । इस मामले पर उसी समय चर्चा करना अधिक उपयुक्त होगा ।

श्री रंगा : यदि उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें यह कहना चाहिये । यदि वे चाहते हैं कि इसका उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री दें तो उन्हें वैदेशिक कार्य मंत्री से उत्तर देने के लिये कह देना चाहिये । ऐसा करने के बजाय वे इधर-उधर की बातें करते हैं, जिन्हें सुनने के लिये हम यहां नहीं आते ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है । उन्होंने कोई जानकारी नहीं चाही । उन्होंने राय मांगी थी और मैंने एकदम स्पष्ट राय दी है ।

श्री रंगा : हम इस सभा में उनकी राय नहीं चाहते हैं हम जानकारी चाहते हैं । मंत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपनी राय यहां पर दें ।

श्री प० गोपालन : कैनेडा में जो हमारे व्यापार प्रतिनिधि, श्री धवन हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के पास आई है ? उनके खिलाफ तस्कर-व्यापार का आरोप लगाया गया है । तो क्या इसकी जांच की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

श्री इंद्रजीत मलहोत्रा : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मध्य पूर्वी देशों में हमारे जो मिशन हैं वे पाकिस्तान के काश्मीर सम्बन्धी प्रचार को निष्फल करने में सफल नहीं हुये हैं ? यदि हां तो हमारे उन मिशनों को मजबूत बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक काश्मीर समस्या का सम्बन्ध है उसके बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है उसे जनता को बताने का हमारे मिशनों ने पूरा प्रयास किया है। जो भी पाकिस्तानी प्रचार वहां पर होता है उसकी स्थिति को वे हर समय देखते रहते हैं और उस प्रचार को निष्फल करने की कोशिश करते रहते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि वे असफल रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi: Is the Government aware that the officials of our embassies abroad do not attend the functions that take place there in our national dress and do not speak the language of this country but they speak English? This creats a very wrong impression in the minds of the people there. What steps the Government propose to take to stop this tendency?

Shri B. R. Bhagat : So far as the question of attending the national functions is concerned, they have been directed to attend such functions in the national dress. As for speaking English, they do so because of the convenience. But if they want to speak the language of this country, they are free to do so.

Shri O. P. Tyagi: Sir, I have seen it for myself. They generally do not attend such functions in their national dress and they speak the English language only. This creats a bad impression there. What steps are being taken to stop it?

Shri B. R. Bhagat : They have been directed to attend the formal functions in their national dress. If there is any complaint with regard to any particular function, we are prepared to look into it.

Shri Sheo Narain : I want to know: (a) the number of I.C.S. ambassadors and (b) the number of ambassadors belonging to political parties, and (c) whether the same facilities which we give to the ambassadors of Pakistan and China in our country are also enjoyed to by our ambassadors in those countries?

Shri B. R. Bhagat: For answer to part (a) and (b), I require notice. In so far as the facilities referred to in part (c) are concerned on the basis of reciprocity, we in our country give only those facilities to their ambassadors which those countries give to our ambassadors, and the difficulties which our ambassadors encounter in those countries are also encountered by their ambassadors in our country.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it a fact that the number of Chinese-knowing officials is very small in our embassies in South East Asia where the pressure of Communist China is mounting and where a large number of the citizens of China reside? Is the Hon. Minister also aware that a Chinese lady is entrusted with the translation work of the Chinese language in our High Commission and this translation work is not being done by any Indian citizen and whether he has viewed this question from this angle?

Shrimati Indira Gandhi: It is a fact that a very small number of our officials know other languages and efforts are being made to increase their number.

श्री बलराज मधोक : विदेशी भाषायें जानने वाले बहुत से लोग हैं किन्तु हमारे दूतावास उनसे काम नहीं ले रहे हैं ।

Shrimati Sucheta Kripalani: May I know whether the Government is aware that during the U. A. R. and Israel conflict, a good deal of propaganda was being carried on in America to the effect that we are sending the wheat imported by us from America to the U. A. R.? If so, what steps were taken by the Government to counteract this propaganda?

Shrimati Indira Gandhi : We had certainly heard about this sort of propaganda and our embassy there had tried to answer them.

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूँ कि नये-नये सदस्य खड़े हो रहें हैं वे अनुपूरक प्रश्नों से ही जानकारी हासिल करके और प्रश्न पूछते हैं । मैं इस प्रश्न के लिये बीस मिनट और दे सकता हूँ ।

Shri Ram Charan: May I known whether it is a fact that only condemned and rejected persons who are not specially trained for the other country politically and socially are sent to work in our embassis abroad and, therefore, these persons prove failures there and

wether it is also a fact that those persons will now be given some training for those countries?

Shri B. R. Bhagat: It is not true that only condemned and rejected persons are sent to work in our embassies abroad.

श्री सा० कुन्नू : इस सभा में और बाहर भी यह आरोप लगाये गये हैं कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। हमारे दूतावासों की बाहर उपेक्षा की जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशों में जिन लोगों की नियुक्तियां की गई हैं उनसे पता चलता है कि हमारे राजदूतों की नियुक्ति करते समय पक्षपात किया गया है। इसलिये इतने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने के लिये क्या हम कोई संसदीय समिति नहीं बना सकते जो इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने के बारे में निर्णय कर सके और ऐसे व्यक्ति नियुक्त करे जो हमारे देश का बाहर प्रतिनिधित्व कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : दो दिन पहले यही बात पूछी गई थी और उन्होंने उत्तर दिया था कि इनकी नियुक्तियों की जिम्मेदारी सरकार की है और वह इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है।

श्री ब० रा० भगत: मैंने बताया था कि अमरीकी सेनेट को छोड़कर, जहां पर और ही पद्धति है, विश्व की कोई भी ससंदीय सरकार यह अधिकार संसद को नहीं देती। यह तो कार्यपालिका का ही विशेषाधिकार है। जब तक हम किसी भिन्न प्रणाली को ही शुरू न करें तब तक यह सम्भव नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey: Members are not satisfied with the answers given by the Hon. Minister. Is it a fact our officials who are working in our embasses abroad do not know the language of the country in which they are posted and this impedes their efforts to propagate the policies of India there? In view of this, will the Government make this arrangement for those employees so that they may be able to understand the language of the countries in which they are posted?

Shri B. R. Bhagat: It is essential for the persons who are in foreign service to learn foreign languages, and the arrangement for them already exists. We are anxious to have more and more persons who know foreign languages. It is essential for an ambassador to know the language of the country in which he is posted.

श्री विश्वनाथन : लंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में रहने वाले बहुत से लोग जो मूलतः भारतीय हैं, वे तामिल भाषा बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राजदूतों की नियुक्ति करते समय क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मलेशिया, सिंगापुर और लंका में तामिल जानने वाले लोग ही नियुक्त किये जायें?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है किन्तु इन सभी मिशनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो तामिल जानते हैं।

श्री विश्वनाथन : ऐसे लोग राजदूत नहीं, बल्कि क्लर्क ही हैं।

Shri Kameshwar Sigh : Is it a fact that the reports received from our ambassadors abroad are scrutinised by an offiial of the Secretariat and since the responsibility of scrutinising these reports rests only on one person, they are not properly scrutinised ?

Shri B. R. Bhagat: It is not correct to say that the reports are not properly scrutinised and the action thereon is not taken. The reports are properly examined and necessary action is taken on them.

Shri Ram Sewak Yadav: The Prime Minister said just now in reply to a question that we have a very small number of persons knowing foreign languages. I want to know whether it is a fact that many Indians living abroad know the language of the countries, they live in but even then they are not appointed in our embassies there? For instances, a large number of Indians living in Hongkong know the Chinese language but they are not being appointed by our embassy there.

Shri B. R. Bhagat : I think it is not so. Local people are appointed by every embassy, if necessity arises. About Hongkong, I will be able to say only after seeing the records.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : इन व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न था कि क्या अन्य दलों के सदस्यों का भी इससे सम्बन्ध होगा । उन्होंने उत्तर दिया था कि नियुक्तियों का विशेषाधिकार उनका है और वे इसे नहीं छोड़ सकते । हम सम्बन्ध के विशेषाधिकार के बारे में पूछ रहे हैं । उन्हें नियुक्ति की जिम्मेदारी रखने दीजिये परन्तु सलाह हमारी होगी । इसमें क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे बार-बार याद दिलाने पर भी कि इस विषय पर चर्चा होने वाली है प्रत्येक माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं और एक ही बात को दोहरा रहे हैं । इसमें आपका ही घाटा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमें एक दिन में कम से कम 10 प्रश्न समाप्त करने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : पिछले एक अवसर पर मैंने कहा था कि यह भारत सरकार की नीतियों के स्पष्टीकरण करने का मामला है । संसद का सम्बन्ध नीति के बनाने से है । नीतियों पर संसद में चर्चा होती है और सदस्यों को उनपर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है । प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्य नीतियों के विरुद्ध हैं और इसलिये नियुक्तियों का मामला सभा को नहीं दिया जा सकता ।

श्री कुन्डू : नीति को दर्शाने का प्रश्न नहीं है यह भारत के चित्र को दर्शाने का प्रश्न है जिसके साथ हम सबका सम्बन्ध हो सकता है ।

श्रीमती इंन्दिरा गांधी : यदि माननीय सदस्यों के पास कोई विशिष्ट सुझाव हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं ।

पेकिंग के साथ दौत्य सम्बन्ध

*425. श्री पार्थसारथी : श्री राम कृष्ण गुप्त :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न दलों के अनेक संसद सदस्यों ने यह मांग की है कि भारत को पेकिंग के साथ तुरन्त दौत्य सम्बन्ध तोड़ देने चाहियें और संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश के सम्बन्ध में भारत को कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) सरकार ने वह बयान देखा है जो 70 संसद सदस्यों का बताया जाता है और जिसमें यह मांग की गई है कि भारत पीकिंग के साथ तत्काल राजनयिक संबंध तोड़ दे और चीन लोक गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र मे प्रवेश के बारे में भी कोई कार्रवाई न करे ।

(ख) भारत सरकार का अभी अपनी वर्तमान नीति से हटने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री रामकिशन गुप्त : संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश के बारे में भारत सरकार की की क्या नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : नीति यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व व्यापी सदस्यता के आधार पर चीन को इसका सदस्य बना लिया जाना चाहिये ।

Shri B.R. Bhagat : Recently there were press reports that in China our religous shrines were disecreted. Have our Government lodged a protest in that regard and even after this do we not deem it proper to serve our relatons ?

Shri B. R. Bhagat : We had sent a protest note and this question has already been replied a few days back,

श्री उमानाथ : कई वर्षों से दोनों देशों के बीच राजदूत नियुक्त नहीं किए गये हैं और इससे हमारे सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं। क्या सरकार यह समझती है कि दोनों देशों के बीच राजदूतों की नियुक्ति से सम्बन्धों में सुधार हो सकता है और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाया चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

वहां पर हमारा एक कार्यवाहक दूत है और मैं नहीं समझती हूं कि राजदूतों को भेजने का यह उचित समय है ।

श्री रा० बर्आ : हाल ही में चीन में हमारे कार्यवाहक दूत कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया था। कुछ देर पहले माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि दोनों ओर से पारस्परिक

व्यवहार किया गया था। क्या उसके बाद चीन के लोगों के मामले में कोई सुधार किया गया है ताकि उसके साथ सम्बन्धों में हमारा स्तर बराबर का रहे ?

श्री इन्दिरा गांधी : इस मामले में चीन अन्य देशों से कुछ दूर है। जैसा कि सभा जानती है चीन कुछ अजीब तरह का व्यवहार करता रहा है न केवल भारत के साथ ही अपितु संसार के सभी देशों के साथ, उन देशों के साथ भी जिन्हें उसके मित्र समझा जाता है वह किसी चरण में से गुजर रहा है। हम नहीं जानते कि परिणाम क्या निकलेगा। जैसा कि किसी ने कहा वहां एक ऐसी सांस्कृतिक क्रान्ति चल रही हैं जो कि न तो सांस्कृतिक है और नही क्रांति है।

श्री प्र० के देव : क्या अब समय नहीं आ गया है जब कि हमें तारवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये और उसे मुख्य चीन के समान समझना चहिये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस विषय पर चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि तारवान और मुख्य चीन दोनों में से कोई भी दो राष्ट्र के सिद्धान्तों को मानने के लिये तैयार नहीं है। दोनों ही अपते अपने आप को एक मात्र चीन कहते हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता (व्यवधान)।

श्री देव व्रत बरुआ : क्या थोड़े समय के लिये या लम्बे समय के लिये चीन को अलग-अलग करने के लिये कोई मामला बनाया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रश्न को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकी। क्या माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि क्या हमने चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के विरुद्ध कोई मामला बनाया है ?

श्री देवव्रत बरुआ : क्या अभ्यावेदन करने वाले संसद सदस्यों ने चीन को विश्व निकाय से बाहर निकालते के लिये कोई-कोई बहुत अच्छा पक्ष तैयार किया है ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या चीन में हमारे लिये राजदूतावास का रखना सहायक है यदि हां, तो किस तरह ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूँ यह सहायक है।

Shri A. S. Saigal: In view of the fact that China has confiscated the Sikh gurudwaras and their property in Peking and our Government have satisfied itself by merely sending a protest note, will it not be proper for our Government to mobilise world opinion against China and take some strong action against China?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री अभय नाथ बोस : क्या प्रधान मंत्री को पता है कि संसार के राजनयिक इतिहास में राजनयिक सम्बन्धों को तोडना विरोध प्रकट करने का एक मान्य रूप है, फिर चीन के वर्तमान अशिष्ट व्यवहार को देखते हुए भारत चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध क्यों नहीं तोड़ रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्योंकि हम इसको अपने दीर्घकालीन हित में नहीं समझते।

Pakistani Troop Concentration

*426. **Shri Y. S. Kushwah:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri D. C. Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistani troops are carrying on war exercises on a large scale for the last few days along the entire cease-fire line from Chhamb to Poonch;

(b) whether it is also a fact that the Indians residing in the neighbouring areas hear sounds of bomb explosions across the borders and this has caused widespread panic among the people; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri L. N.Mishra):

(a) Pakistan carried out a military exercise across the Cease-fire Line from 27th September to 4th October, 1967. As provided for in the Agreement between the Army Chiefs of the two countries, intimation of the exercise was received through UNMOGIP.

(b) Explosions connected with road building and other activities on the other side of Cease Fire Line are sometimes heard.

(c) Government keep a close watch on military activity on the other side of the Cease Fire Line and necessary precautionary measures are taken.

Shri Y. S. Kushwah: What new steps are being taken by the Government in the wake of elaborate military preparations by Pakistan and Sino-Pak collusions?

Shri L. N. Mishra: New steps are being taken but it is not advisable to disclose them. We are aware that Pakistan is getting military help from China and other countries and we are prepared to meet any eventuality.

Shri Y. S. Kushwah: In view of the fact China has an atomic power, and, Pakistan is receiving active assistance, from China, are we also trying to obtain nuclear weapons from other nuclear powers.

Shri L. N. Mishra: This is a question relating to atomic energy and the hon. Member know what our policy is in this regard. According to our sources Pakistan has received no nuclear weapons.

Shri Shiv Kumar Shastri: Are Government making any effect to boost the morale of our army and that they may not be daunted by the military preparations of Pakistan?

Shri L. N. Mishra: Their morale is very high and as replied already there is no information that they are entertaining any fears.

श्री दी० च० शर्मा : संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों की कार्यवाहियों के अतिरिक्त भारत सरकार, (क) युद्ध विराम रेखा की सुरक्षा के लिये, (ख) हमारे लोगों को यह सांत्वना देने के लिये कि वे अकेले नहीं है और (ग) पाकिस्तान की सैनिक तैयारी को ध्यान में रखते हुए जबकि वह ईरान, तुर्की और चीन से अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार का सैनिक सामान ले रहा है, क्या कदम उठा रही है ?

श्री ल० न० मिश्र: जहां तक स्थानीय लोगों का सम्बन्ध हैं उनमें कोई घबराहट नहीं है जहां तक पाकिस्तान की तैयारी का सम्बन्ध है वह चीन से सहायता प्राप्त कर रहा है । जहां तक हमारी ओर का सम्बन्ध है हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नेपाल के लिये पत्तन सुविधायें

*426. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत में कुछ पत्तन सुविधायें मांगी हैं ;

(ख) क्या भारतीय तथा नेपाली विशेषज्ञों के एक संयुक्त अध्ययन दल ने हाल ही में भारत के कुछ पत्तनों का दौरा किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नेपाल को क्या सुविधायें दी जा सकती हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस दल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) भारत सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1843/67]

(ख) जी नहीं । भारत के किसी भी बंदरगाह पर ऐसी किसी यात्रा का विचार नहीं है हालांकि कलकत्ता बंदरगाह के प्रबंध की बराबर जांच हो रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नागालैंड में ईसाई तथा हिन्दू नागा

*427. **श्री बलराज मधोक :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में अधिकांश नागा लोग ईसाई नहीं हैं, अपितु वे अपने पुरातन हिन्दू धर्म का अनुसरण करते हैं ;

(ख) क्या वे लोग शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टियों से इसाई नागाओं की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि न तो उन्हें नागालैंड की सरकार में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया गया है और न ही नागालैंड के भावी ढांचे के बारे में की जा रही बातचीत में भारत सरकार ने उन्हें समुचित मान्यता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या नागालैंड के बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले हिन्दू नागाओं के प्रतिनिधियों से सरकार का परामर्श करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) 1961 की जनगणना के अनुसार, नागालैंड की लगभग 53 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई है और बाकी लोग पुरातन नागा विश्वासों के अनुयायी हैं ।

(ख) शिक्षा अथवा आर्थिक हैसियत के बारे में धर्म-वार आंकड़े जनगणना की रिपोर्ट में नहीं दिये गए हैं । यह भारत सरकार की उस नीति के अनुसार है जिसमें धर्म के आधार

पर जाति भेद नहीं करने दिया जाता । लेकिन शिक्षा संबंधी सुविधाएँ देने के और अर्थिक विकास के मामले में ईसाई और गैर-इसाई नागाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है ।

(ग) और (घ) संविधान के अंतर्गत किए गए चुनाओं के जरीये नागालैंड में जनता के प्रतिनिधि चुनकर राज्य सरकार का निर्माण हुआ है । सदन को निस्संदेह मालूम होगा कि इसमें धर्म के आधार पर स्थान सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है । छिपे नागाओं के साथ भारत सरकार ने जो बातचीत की है अथवा जो भविष्य में करेगी उसके विषय में राज्य सरकार के विचार मालूम कर लिए जाते हैं और उन पर ध्यान रखा जाता है । दिल्ली में जो छिपे नागा लोग आते हैं, उन्हें उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर आमंत्रित नहीं किया जाता है ।

दुमाबाड़ी क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा का निर्धारण

*428. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसी शीत ऋतु में करीमगंज सीमा पर लाठीटोला-दुमावाड़ी क्षेत्र में संयुक्त रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा निर्धारण का काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं । रैडक्लिफ के फैसले की व्याख्या पर भारत-पाकिस्तान में बुनियादी असहमति होने के कारण इस क्षेत्र में सीमांकन का कार्य रुका हुआ है । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से फिर यह कहा है कि इस मामले पर बातचीत करने के लिए उसे जिस स्तर पर स्वीकार हो, बैठक कर ले । पाकिस्तान सरकार के उत्तर की पतीक्षा है ।

नागालैंड की सीमा में चीनियों की उपस्थिति

*429. **श्री मयावन :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बर्मा और नागालैंड के बीच पहाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास चीनी लोग देखे बताये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह बयान कहां तक सही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा अच्छी तरह सुरक्षित न होने के कारण चीनी लोग नागालैंड में अवैध रूप से घुस रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो नागालैंड में चीनियों के इस प्रकार से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ऐसे विषयों पर बहस करना नहीं चाहती जो निश्चित रूप से किसी मित्र पड़ोसी देश के अन्दरूनी अधिकार-क्षेत्र में आते हैं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारत में किसी भी व्यक्ति के अवैध प्रवेश को को रोकने के लिए सभी संभव सुरक्षा उपाय बरते हैं। सरकार द्वारा की गई पूछताछ से पता चलता है कि नागालैंड राज्य में किसी चीनी ने प्रवेश नहीं किया।

Pak and China Propaganda About Nagas

*430. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the manner in which Nagaland is receiving financial assistance from China and the details of the arms received by the Nagas from Pakistan;

(b) whether Pakistan and China have been carrying out propaganda for the Independence of Nagaland in foreign countries; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Nagaland State receives financial and other assistance only from the Government of India. Some misguided extremists amongst the Underground Nagas have crossed over to China and returned. Their obvious aim appears to be to receive whatever assistance they can obtain from Chinese. We have no evidence to confirm that they have received any such aid from China so for. Pakistan is known to have supplied some arms and equipment to them. The House will appreciate that it will not be in the public interest to divulge what informotion we have on the subject.

(b) Apart from adverse reference to Nagaland in their own publicity media (Radio and press) no other evidence of propaganda by Pakistan and or China in other foreign countries has come to notice.

(c) The Government of India are determined not to allow any foreign interference in Nagaland which is an integral part of the Indian Union.

विदेशों में प्रसारण के लिए ट्रान्समिटर

*431. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री न० कु० सांघी :
श्री वेतव्रत बरुआ :
श्री मरंडी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं को सुधारने के लिए देश में चार शक्तिशाली ट्रान्समिटर लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो ये ट्रान्समिटर कहां लगाये जायेंगे ; और

(ग) इन ट्रान्समिटरों की लागत तथा क्षमता क्या होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) आकाशवाणी की वैदेशिक प्रसारण सेवा को मजबूत करने के लिए 5 शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) बहुत ऊँची शक्ति के 2 मीडियम वैव ट्रांसमिटरों पर, जो एक कलकत्ता के निकट और दूसरा राजकोट में स्थापित होना है, 6 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। बहुत ऊँची शक्ति के दो और शार्ट वेव ट्रांसमिटरों पर जो अलीगढ़ के निकट लगाए जा रहे हैं, 250 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उच्च शक्ति के शेष एक शार्ट वेव ट्रांसमिटर के दिल्ली में लगाने पर 60 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है।

पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति

*432. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री जागेश्वर यादव :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के विशेषज्ञों ने बताया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भिन्न-भिन्न देशों से बढ़िया किस्म के तथा नवीनतम किस्म के विमान बड़ी संख्या में प्राप्त किये हैं और वह 1965 में हुए गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद से अपनी वायु सेना की शक्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा हाल में बढ़िया किस्म के विमान तथा अन्य युद्ध सामग्री प्राप्त किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी वायु सेना अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान विभिन्न देशों से आधुनिक विमान और अन्य युद्ध सामग्री प्राप्त करता रहा है।

(ख) भारतीय वायु सेना का नए साज-सामान से सज्जीकरण और आधुनिकीकरण वायु सेना में गुणात्मक सुधार पर बल देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

श्री फिजो के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाने का आश्वासन

*433. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड की फेडरल सरकार द्वारा 14 अगस्त, 1967 को जारी की गयी इस आशय की प्रेस विज्ञाप्ति की ओर दिलाया गया है, कि तथाकथित फेडरल सरकार श्री फिजो की वापसी के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाने का आश्वासन नहीं मांगेगी, क्योंकि वह यह नहीं मानती कि श्री फिजो ने कोई अपराध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फिजो, जिसने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली है, भारतीय न्याय से बच निकलने वाला भगोड़ा है। चूंकि संविधान में कानून की व्यवस्था है, इसलिए जब कभी

फिजी भारत संघ के किसी भी भाग में प्रवेश करेगा तभी कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा ।

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति

*434. डा० रानेन सेन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की सरकार अब भी रंगभेद की अपनी नीति को अपना रही है, हालाँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने उस नीति की निन्दा की है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्रता तथा न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत का संयुक्त राष्ट्रसंघ में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष में हमेशा आगे रहा है और वह दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई के लिए सभी प्रकार की संभव सहायता राजनीति, नैतिक और भौतिकन्दे रहा है। भारत का ख्याल है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रादेशात्मक प्रतिबंधों से ही उस देश के लोगों के लिए स्वाधीनता तथा न्याय दिलाने का मात्र प्रभावकारी साधन है और वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य जगहों पर अथक कार्य कर रहा है । संयुक्त राष्ट्र विशेष राजनीतिक समिति ने 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की है कि सार्वभौमिक रूप से लागू किए गए प्रादेशात्मक आर्थिक प्रतिबंध उस देश में जातिभेद की नीतियों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने का मात्र साधन हैं ।

Indian Support to Pakistan for Seat in Security Council

*435. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India had supported Pakistan for temporary membership of the Security Council;

(b) if so, whether Pakistan also supported India for the said membership last year; and

(c) if not. the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B.R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since the election was by secret ballot, it is not known whether Pakistan cast its vote for India or some other country.

जल-प्रांगण की सीमा

*436. **श्री मधु लिमये : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की सम्भावना है कि भारतीय जल-प्रांगण की सीमा का विस्तार किये जाने से कोई देश यह दावा करेगा कि अमुक जल-प्राँगण उसका अपना है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य देशों के दावों का समाधान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस विस्तार का सम्बन्ध तस्कर व्यापार को रोकने से है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) इस मामले पर बिचार किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

कीनिया से भारतीय लोगों का ब्रिटेन में प्रव्रजन

*437. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है, जो अब तक कीनिया से ब्रिटेन चले गये हैं और क्या सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रजनों को स्वदेश लौटने के लिये कोई सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) क्या सरकार ने कीनिया सरकार से आग्रह किया है कि वह रोजगार सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करके भारतीय लोगों को ब्रिटेन में जाने के लिये बिवश न करे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हाल ही में कुछ भारतमूलक लोग (कीनिया से बाहर) यूनाइटेड किंगडम गए हैं लेकिन कितने लोग वहां गए हैं, इसकी ठीक-ठीक जानकारी सुलभ नहीं है।

जब इस तरह के लोग फिर बसने के लिये भारत आना चाहते हैं, तब भारत सरकार उन्हें और उनके परिवारों को उनको निजी संपत्ति तथा व्यापारी माल ड्यूटी-मुक्त लाने में चुंगी में कुछ छूट देती है।

(ख) जी नहीं ।

गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना की भारतीय सैनिक टुकड़ी

*438. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 3 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात्कालीन सेना की भारतीय सैनिक टुकड़ी पर इसराईल द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिद्ध हुआ है कि भारतीय सैनिकों को जानबूझ कर हताहत किया गया था ; और

(ग) इस मामले में इसराईल की सरकार द्वारा कोई उत्तरदायित्व स्वीकार न किये जाने के प्रत्युत्तर में यदि कोई पत्र भेजा गया है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । सेनाध्यक्ष ने अधिकारियों के एक बोर्ड की सहायता से, जो कि इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, भारत लौटने वाले भारतीय दस्ते के कर्मचारियों से विस्तार के साथ पूछताछ की है ।

(ख) छः वारदातों में भारतीय कर्मचारी हताहत हुए । इनमें से पांच वारदातों में तो इसराईल की सशस्त्र सेना ने जान-बूझकर हमला किया जिनमें 11 भ,रतीय मारे गये और 24 घायल हो गए । जहां तक छठी वारदात का सवाल है, 6 जून को इसमें 3 भारतीय उस समय अकस्मात मारे गए और एक घायल हो गया जबकि उन्हें ले जाने वाली जीप गाजा नगर के बाहरी हिस्से में संयुक्त अरब गणराज्य की एक टैंकभेदी सुरंग से टकरा कर नष्ट हो गई जो कि इसराइल के तोपखाने के बढ़ने की सूरत में गाजा नगर की रक्षा के लिए वहां बिछाई गई थी। इसराईली सेना ने 6 जून को गाजा पर हमला किया और उसी दिन इस पर कब्जा कर लिया । इन दुर्घटनाओं के बारे में एक संक्षिप्त विवरण 31 जुलाई, 1967 को इस सभा की मेज पर तारांकित प्रश्न संख्या 1494 के उत्तर में रखा गया था ;

(ग) इसराईल सरकार के स्मारक की प्रति, जोकि यहां 15 जून 1967 को प्राप्त हुआ था और जिसमें उसने संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना की भारतीय टुकड़ी पर हमले की जिम्मेदारी को मानने से इंकार किया है, और इसका भारत सरकार ने जो जवाब दिया था, उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1844/67]

पाकिस्तान में चीन के परमाणु वैज्ञानिक

*439. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री कँवर लाल गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु अस्त्र बनाने के लिये 20,000 किलोवाट का परमाणु बिजलीघर बनाने के लिये पाकिस्तान को प्रशिक्षण देने, उसका मार्ग-दर्शन करने और उसकी सहायता करने के लिये चीन के 48 परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्तान पहुँच गये हैं ।

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अप्रैल 1968 तक अपना पहला परमाणु बम तैयार करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) किसी भी देश का परमाणु कार्यक्रम सामान्यतः सुरक्षित गुप्त होता है । फिर भी,

हमारी सूचना के अनुसार, पाकिस्तान में परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने की आवश्यक क्षमता नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन द्वारा प्रचार

*440. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन की सरकार ने पेकिंग रेडियों से भारत विरोधी अपने प्रचार को हाल में और बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो चीन के इस प्रचार का प्रतिरोध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (ब० रा० भगत): (क) रेडियो पीकिंग से समय-समय पर भारत-विरोधी प्रचार बराबर होता रहता है ।

(ख) भारत सरकार ने चीन सरकार से पहले ही विरोध प्रकट किया है और यह मांग की है कि चीन सरकार इस प्रकार का प्रचार बंद कर दे और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मार्ग पर आ जाए ।

भारत सरकार और उसके विदेश-स्थित मिशन अखबारों के जरिए, रेडियो तथा दूसरे माध्यमों के जरिए इस झूठे प्रचार का प्रतिकार करने के हर मौके को हाथ से नहीं जाने देते और सही तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं ।

प्रतिक्षा कर्मचारियों के लिये आवास बस्तियां

*441. **श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये देश के विभिन्न भागों में आवास बस्तियां बनाई जा रही हैं ;

(ख) इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसके अन्तर्गत इन कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी ; और

(ग) अब तक ऐसी कितनी आवास बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं और कहां-कहां ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापक तौर पर योजना यह है कि राज्य सरकारों की मार्फत विकसित भूमि खरीदी जाए और रक्षा सेविवर्ग को व्यक्तिगत रूपेण अथवा इस उद्देश्य के लिए बनी सहकारी समितियों के सदस्यों के तौर उन्हें प्लाट अलाट की जाए । तदनु भवन अलाटियों द्वारा निर्माण किए जाएँगे । इस सम्बन्ध में इस समय अन्य कोई सुविधाएँ देने का विचार नहीं है ।

(ग) हाल ही में सरकार ने दिल्ली में सैनिक सहकारी भवन निर्माण समिति दिल्ली को 400 एकड़ भूमि अलाट करने का निर्णय किया है, जो पीतम्पुर में 100 एकड़

और नरेला में 300 एकड़ पर सम्मिलित है कि जहां जभी भूमि वास्तव में अलाट की गई 2 कालोनियां स्थापित की जाएंगी ; चण्डीगढ़, देहरादून और गोआ में भी कालोनिएँ स्थापित की जा रही है, जहां भूमि प्राप्त हुई और प्लाट अलाट किए भी जा चुके है।

बन्दूक (शाटगन) के कारतूस

*442. **डा० कर्णी सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध कारखानों ने 12 बोर वाली नवीनतम अमीरीकी बन्दूकों में प्रयुक्त होने वाले डट्ठों अर्थात रेमिंग्टंस द्वारा निर्मित पावर पिस्टन तथा विंचेस्टर द्वारा निर्मित एच वैड, में सुधार करने के बारे में कोई अनुसन्धान किया है ; और

(ख) पेटर्न (नमूनों) में सुधार करने के लिये शाटगन के कारतूसों के स्थान पर प्लास्टिक कालर के विंचेस्टर मार्क 5 टाइप का प्रयोग करने की कोई योजनाएँ है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) आर्डनेंस फैक्टरियों को रिमिंगटन पावर पिस्टन और विनचेस्टर एच-वाडे के विस्तारों का ज्ञान है । ऐसे वार्डों का प्रयोग करते हुए कारतूसों का निर्माण करने के लिए कुछ परीक्षण किए गए हैं, और परीक्षण जारी हैं । रिमिंगटन पावर पिस्टनों से युक्त किस्म के आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादनों के लिए पुरस्थापन आर्थिक दृष्टि से सम्भायता पर निर्भर है । तदपि इस समय आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादित किया जा रहा है । शिकार के लिए गोली बारूद, अन्य विदेशी निर्माताओं द्वारा उत्पादित ऐसे अधिकतम एम्युनीशन का अच्छा लगा खा सकता है, और आर्डनेंस फैक्टरियां उन में अधिक सुधार करने के लिए अपने उत्पादनों का नियमित तौर पर निर्धारण आकंन करती रहती हैं ।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान का विरोध पत्र

*443. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेंकटव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने रांची तथा देश के अन्य भागों में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में सरकार को विरोध पत्र भेजा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकार नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार अल्प संख्यक जाति के हितों का संरक्षण करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पाकिस्तान सरकार ने 25 अक्तूबर, 1967 के एक नोट में इन घटनाओं के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

(ख) पाकिस्तान के इस नोट पर विचार किया जा रहा है । भारत सरकार नेहरू लियाकत संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों की ओर से पूरी तरह सजग है जिसकी ओर पाकिस्तान सरकार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है । जहां तक हाल की घटनाओं का प्रश्न है, वे हमारी आंतरिक समस्याएं हैं । एक-एक घटना की कानून की दृष्टि से पहले ही जांच की जा रही है । सरकार ने इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक तीन-सदस्यीय आयोग पहले ही नियुक्त कर दिया है ।

श्री फिजो का वक्तव्य

*444. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री फिजो के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि, "नागालैंड भारत के साथ युद्ध में संलग्न है" :

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के विरुद्ध अपना संघर्ष चालू रखने के लिये वह किसी भी ओर से, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं, किसी भी प्रकार की सहायता लेगा, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह कहना बेमानी है क्योंकि संघ का कोई भी भाग संघ से युद्ध नहीं कर सकता । सरकार को मालूम है कि फिजो के नेतृत्व में छिपे नागा लोगों ने एलान किया है कि उनका उद्देश्य यह है कि वे किन्हीं भी साधनों से राज्य के खिलाफ विद्रोह करते रहेंगे ; इनमें चीन, पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश से चोरी-छिपे सहायता लेना शामिल है । सरकार ऐसी किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वह देश के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेगी ।

Atomic Power Station at Kalpakkam

*445. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions Nos. 1041 and 1042 on the 20th November, 1967 and state:

(a) whether besides the designing and construction of atomic power station at Kalpakkam by the Indian Engineers, the entire machinery required for the power station would also be manufactured in India or whether some of the machinery would be imported; and

(a) if so, the extent of foreign exchange required for the purpose?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Special efforts are being made by the Department of Atomic Energy to secure the manufacture in India of as special machinery designed specifically for use in nuclear power stations as possible. Efforts are also made to procure within the country most of the machinery of a conventional nature which is used in conventional power stations or in large industries. The availablity of the same depends on the general progress of Indian industry.

(b) The total foreign exchange required for the Madras Atomic Power Station will be about Rs.14 crores.

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

*446. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री रवि राय :**
श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर में विद्यार्थियों द्वारा किये गये हाल के दंगों में कुछ विद्यार्थी बहुत घायल हो गये हैं और कुछ छात्र अब भी लापता हैं और स्कूल बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस स्कूल में हुए दंगों के कारणों के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के छात्रों के दो दलों के बीच संघर्ष में 5 लड़कों को मामूली चोटें आई थीं । किसी ने पलायन नहीं किया, और स्कूल बन्द भी नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) जांच करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

आकाशवाणी से प्रसारण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विवाद

*447. **श्री घोरेश्वर कलिता:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना विभाग और उनके मंत्रालय के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है ;

(ख) क्या इन विवादों को हल करने के लिए पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व सूचना मंत्री ने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि कोई नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ पत्र–व्यवहार हो रहा है, परन्तु उसने विवाद की शक्ल अख्तियार नहीं की है ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री ने आकाशवाणी के लिए आचार सहिता को लागू करने के बारे में कुछ सुझाव दिए थे । सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रति सुझाव दिए थे और पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री ने उत्तर भेजने का वायदा किया था ।

तिब्बत शरणार्थियों का प्रवेश

*448. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बती शरणार्थियों के तीन दल हाल में सीमा पार करके भारत में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें बसाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) किन कारणों से वे लोग अपना देश छोड़कर भारत में आये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) पिछले चंद महीनों में तिब्बत से शरणार्थियों के कई दल भारत आए हैं । उचित शरणार्थियों को उनके पुनर्वास के लिए क्षमल में लाई जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत फिर से बसा दिया जायगा । उनके आने का मुख्य कारण है, चीनियों तथा लाल रक्षकों द्वारा की जानेवाली धर्म विरोधी कार्रवाइयों में वृद्धि । इस वर्ष के आरम्भ होने से लेकर उन्होंने कई गुम्पाओं को नष्ट किया है, लामाओं का अपमान किया है और लोगों को नए तरीके अपनाने पर मजबूर किया है ।

टेलीविजन केन्द्र

*449. **डा० रानेन सेन** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इन प्रायोजनाओं के बारे में आवश्यक कार्रवाई इनके मंजूर हो जाने और विदेशी मुद्रा सहित अपेक्षित साधनों के उपलब्ध होने पर की जाएगी ।

इटली द्वारा भारत को सैनिक सामान बेचा जाना

*449 **श्री मधु लिमये** : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी जर्मनी द्वारा लगाये गये इस आरोप के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, कि इटली ने भारत को वह सैनिक सामान बेचा था, जो उसे पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुआ था ; और

(ख) क्या यह समाचार सही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) ।

(क) जी हां ।

(ख) अधिक विस्तारों पर बातचीत करना लोकहित में न होगा ।

नागा नताओं का पूर्वी पाकिस्तान जाना

*450. **श्री मयावन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं का जो नेता हाल में प्रधान मंत्री से मिला था पूर्वी पाकिस्तान गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या छिपे हुए कुछ और नागा भी जो प्रधान मंत्री के साथ हुई वार्ता के समय उपस्थित थे, पूर्वी पाकिस्तान गये हैं ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई समझौता नहीं हो सका है, क्या नागा लोग अब इस समस्या को हल कराने में पाकिस्तान सरकार से सहायता मांग रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस विषय पर भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) छिपे नागाओं में उपद्रवी तत्व पाकिस्तान के संपर्क में रहे हैं और वे हथियार, गोलाबारुद और प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त करते रहे हैं ।

(घ) भारत सरकार ने जन-धन के साधनों की सीमा में रहकर ऐसे उपाय बरते हैं की छिपे नागाओं का पाकिस्तान से संपर्क न हो सके और सहायता न मिल सके । लेकिन इलाका दुश्वार और कठिन होने के कारण छिपे नागा लोग भारत से बाहर लुक-छिप कर चले जाते है और आ जाते हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*2841. **श्री किरुत्तिनन** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० बंगलौर के कर्मचारी नई दिल्ली में चालू सत्र की अवधि में और साथ ही साथ बंगलौर में भी अनिश्चित समय के लिए हड़ताल करने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मागें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स कर्मचारी समिति बंगलौर विभाग ने कम्पनी को इस संबंध में एक नोटिस दिया है ।

(ख) उनकी मुख्य मांगे हैं :—

(1) 5 कर्मचारियों की बहाली जिनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, और कुछ अन्य कर्मचारियों को दिए चार्जशीट का लौटाना ।

(2) (10-11-66 से 16-11-66) तालाबन्दी की अवधि के लिए उजरतों । वेतनों की सभी कर्मचारियों को अदायगी ।

(3) आरोपित अन्याय युक्त श्रम कार्य तथा तंग करने की समाप्ति ।

(4) सभी अनियमित कार्मिकों को ओवर्टाइम काम के लिए दुगनी उजरत की अदाएगी ।

(5) (क) मूल सुभीतों और सुविधाओं के लाभ के लिए फैक्टरीज ऐक्ट के अन्तर्गत औटस्टेशन बेस आवृत्त किए जाने चाहिए ।

(ख) औटस्टेशन भत्ते की वर्तमान दरों में वृद्धि ।

(ग) अपने-अपने बेस से अन्य औटस्टेशनों को तबदीली पर स्थानीय कर्मचारियों को औटस्टेशन भत्ते की अदायगी ।

(घ) मैसूर का लेबर कमिश्नर मामले की जांच कर रहा है ।

Shooting Range Near Danapur Cantonment

2842. **Shri Ram Avtar Shastri.** Will the Minister Of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a shooting range for army soldiers is located in the South of Daudpur village near Danapur Cantonment in Patna District;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid range has no walled enclosures resulting in bullets going astray;

(c) whether farmers in the vicinity experience difficulty in doing their work when shooting practice goes on at the range;

(d) if so, whether Government propose to construct high-walled enclosures for this range, and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) to (e) Safety Regulations require a proper firing butt which exists. In addition, to avoid accidents from ricochet, the range is cleared by the Police every day prior to the commencement of firing. There is no requirement of a walled enclosure nor have any repre-

sentations has been received regarding difficulty of farmers in going to their work at the time of firing practice.

A. I. R. Programmes

2843. **Shri Ram Avatar Sharma :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Ramji Ram :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcating** be please to state :

(a) whether it is a fact that special importance is attached to some Particular kind of ideas and news in the programmes and news bulletins broadcast from the all India Radio ;

(b) whether it is also a fact that some employees of the All India Radio try to introduce their personal views some how or other therein; and

(c) if so, whether any high level enquiry has been conducted in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) and (b) No Sir, the sole criterion being the importance of the news as news. If any particular instance is brought to the notice of Government, it will be investigated.

(c) Does not arise.

नागरिक तथा राजनीतिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

2844. **श्री गणेश :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि । अगस्त से 14 तक हेलसिंकी में हुई महिलाओं की नागरिक तथा राजनीतिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भारत ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी और भारतीय प्रतिनिधियों ने वहां पर विचार व्यक्त किये थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां।

(ख) इस विचार-गोष्ठी में नारी के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के विषय पर इन अधिकारों के पूर्ण और प्रभावकारी प्रयोग के संवर्धन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर और इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान पर विचार विमर्श किया गया । इस विषय पर भारती प्रतिनिधि ने अपना निबंध प्रस्तुत किया और वे अपने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पक्षों में नारी के योगदान पर, नारी शिक्षा की दिशा में विभिन्न एजंसियों ने जो कार्य किया है उसपर और जन संचार के महत्व पर बोले।

सीमा सड़क

2845. **श्री रवि राय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठनों की संख्या क्या है, जिन्हें देश में सीमा पर सड़कें बनाने के लिए लगाया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन सीमा सड़कों और संगठनों के विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) इन सड़कों के स्ट्रेटेजिक महत्व को समक्ष रखते हुए, विभिन्न सीमाओं को शेष देश से मिलाने के लिए सरकार क्या पट उठाने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में कई सड़कें बनाने के लिये सीमा सड़क विकास बोर्ड नाम का, केवल एक ही संगठन सरकार द्वारा विशेषतौर पर स्थापित किया गया है। इस संगठन के अतिरिक्त सी० पी० डब्ल्यू० डी० और राज्य के पी० डब्ल्यू० डी० को सीमा क्षेत्रों में कई सकड़ों का निर्माण सौंपा गया है।

(ख) सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल सड़कों और ट्रांसपोर्ट तथा शिपिंग मंत्रालय के रोड्ज विंग द्वारा फाईनांस की गई सड़कों के निर्माण। विकास पर कैपिटल औटले द्वारा किया गया 1-4-64 से 31-3-67 तक का कुल खर्च 126.98 करोड़ रुपये हैं।

(ग) इस उद्देश्य से कि सीमा सड़कें शेष देश से मिलाई जाएं, पृष्ठ-वर्ती मिलाने वाली सड़कों का निर्माण/सुधार अग्रिम क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण के साथ साथ हस्तगत किया जाता है।

कम कीमत के ट्रांजिस्टर सेट

2846. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी फर्म ने 75 रुपये के मूल्य के ट्रांजिस्टर सेट निर्माण करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता को कम कीमत पर ऐसे ट्रांजिस्टर सेट बेचने संबन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) बम्बई की फर्म सुपर बाजार को 75 रुपये प्रति सेट दर पर सिंगल और मीडियम वेव ट्रांजिस्टर सप्लाई करती रही है । फर्म ने कहा है कि यदि कुछ अतिरिक्त आयात सहायता दी जाए, तो भविष्य में वह कम लागत के रेडियो उत्पादन करेगी ।

(ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं कि वह स्वयं ऐसे विक्रय हस्तगत करे परन्तु वह उपयुक्त गुणरूप के सस्ते ट्रांजिस्टर सेटों के उत्पादन और विक्रय को प्रोत्साहन देगी ।

देशीय टी० वी० सेट

2847. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी टी० वी० सेटों का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) इन सेटों की गुणरूपता और लागत विदेशों में निर्मित सेटों की तुलना में कैसी है ; और

(ग) इन सेटों को भारत में मार्केट में लाने की क्या प्रक्रिया है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)

(क) सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी जिन्होंने टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए देशीय ज्ञान का विकास किया है, और पाईलट प्लांट के आधार पर 1000 सेटों का निर्माण कर रहे हैं, अब तक कुछ सेटों का निर्माण कर भी चुके हैं । निजी क्षेत्र में दो यूनिटें, कानपुर के सर्वश्री जे० के० इलेक्ट्रानिक्स और बम्बई के सर्वश्री टेलिरेड, जिन्हें टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए लाईसेंस दिया गया है, आशा है, जून, जुलाई 1968 में उत्पादन आरम्भ कर देंगी।

(ख) आशा है कि देशीयतः निर्मित सेटों के गुणरूप और मूल्य आयात सेटों के गुणरूप और मूल्य का अच्छा लगा खा सकेंगे ।

(ग) इस समय सी०ई० ई० आर० आई पिलानी इन सेटों की बिक्री और सर्विस अपने दिल्ली के टी० वी० केन्द्र से कर रहे है। निजी क्षेत्र के निर्माता मार्केटिंग का अपना प्रबन्ध आप करेंगे ।

गाजा में भारती सैनिकों की मृत्यु के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को प्रस्तुत प्रतिवेदन

2848. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराईल और अरब देशों के बीच हुई हाल के युद्ध के दौरान गाजा में भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों की मृत्यु की घटनाओं के बारे में मेजर जनरल रिखी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को मिल गई है ;

(ख) क्या सरकार को अपने स्रोतों से भी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र आयातकालीन सेना के साथ भारतीय सैनिक टुकड़ी के कमाण्डर भी शामिल है, कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन रिपोर्टों का सार सभा पटल पर रखने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव ने सुरक्षा परिषद और महासभा को जो रिपोर्टें पेश की थीं, उनकी प्रतियां सरकार को मिल गई हैं । ये रिपोर्टें मुख्यतः ऊ थांत को जनरल रिखी द्वारा दी गई सूचना पर आधारित रही है । फिर भी, चूंकि जनरल रिखी द्वारा ऊ थांत को भेजी गई रिपोर्टें, संयुक्त राष्ट्र संघ का आंतरिक पत्राचार है, इसलिए वे भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनें अधिकारी बोर्ड की सहायता से स्थल सेनाध्यक्ष ने 'युनेफ' की भारतीय सैनिक टुकड़ी के कमांडर और भारतीय सैनिक टुकड़ी के कर्म-

चारियों से विस्तृत पूछताछ की । इस पूछताछ के और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रश्न संख्या 1494 के उत्तर में 31-7-1967 को सदन की मेज पर रख दिया गया था ।

रक्षा साजसामानों के लिए नाकारा फाल्तू कल पुर्जे

2849. **श्री जार्ज फर्नांडेज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अगस्त, 1967 के करेंट में उल्लिखित एक अमरीकन शहरी श्री अलेग्जण्डर ई० ममोट द्वारा लगाए गए आरोप में कोई तथ्य है कि वैमन गार्डन कम्पनी ने रक्षा साजसामान के लिए कुछ नाकारा फाल्तू कल पुर्जे सप्लाई किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तार क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० सिंह) : (क) और (ख): मिस्टर अलेग्जण्डर ई–ममोट ने बम्बई नगर के असैनिक न्यायालय में उसे निर्वासित करने के संबंध में दिए गए आदेश के विरुद्ध नवम्बर, 1967 में भारत संघ के विरुद्ध एक दावा दायर किया है । अपनी शिकायत में मिस्टर ममोट ने आरोप लगाया है उसके विरुद्ध निर्वासन कार्य इसलिए किया गया कि उसने वैमान गार्डन कम्पनी द्वारा नाकारा सामान की सप्लाई के संबंध में सरकार को सूचित किया था । इसलिए मामला न्यायाधीन है, और इस विषय में विस्तार देना इस प्रावस्था में उचित न होना ।

मास्को रेडियो से प्रसारण

2850. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक पत्रिका 'करेंट' दिनांक 19 अगस्त, 1967 में श्री "चागला मुसीबत बुला रहे हैं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है, जिसमें लिखा है कि 'करेंट' पत्रिका इस सप्ताह आप को 11 जुलाई को बंगला भाषा में मास्को रेडियो से हुए प्रसारण का अनुवाद प्रस्तुत करता है, जिससे पता चलता है कि श्री चागला ने सच्चाई नहीं बताई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) मास्को में हमारे राजदूतावास से कहा गया है कि वह संबन्द्ध प्रसारण की जांच करे और अगर यह रिपोर्ट ठीक हो तो वह संबद्ध सोवियत प्राधिकारियों से समुचित शिकायत करे ।

रेडियो श्रीनगर द्वारा शासन करने वाले दल के संबंध में समाचार

2851. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि श्रीनगर और जम्मू के रेडियो स्टेशनों को निर्देश दिया गया है कि वह एक राजनैतिक दल के कार्यों को प्रकाश में लाये या दूसरे दल के कार्यों को प्रसारित न करे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जी, नहीं।

सैनिक स्कूलों में प्रश्न-पत्र

2852. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि असम के गोयलाड़ा के सैनिक स्कूल की एक कक्षा की परीक्षा के प्रश्न-पत्र एक लेख है जो राष्ट्रविरोधक है, और असम के मैदानों और पर्वतमालाओं के रहने वालों के बीच घृणा के भाव पैदा करने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को संस्थान के मुख्य द्वारा एकैक डिस्चार्ज कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके विस्तार क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि अनुवाद के लिए एक लेख-खंड का अप्रिय चयन किया गया बताया गया है, जिसमें अन्य आपत्तिजनक भावों समेत लोगों के दोनों दो भागों के बीच परस्पर प्रेम-भाव के अभाव की ओर संकेत किया गया था। संबंधित अध्यापक की इस असावधानी के लिए निन्दा की गई है।

(ख) और (ग) गत 6 मासों में डिस्चार्ज के केवल दो मामले हुए हैं :

(1) एक अंशकालिक अस्थायी अध्यापक चयन बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त पाए जाने पर, और

(2) एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उदासीनता के आधार पर।

नेपाल में चीनी राजदूतावास की भारत विरोधी गतिविधियां

2853. श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री शारदा नन्द :
श्री ना० स्व० शर्मा : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि नेपाल स्थित चीनी दूतावास नक्सलवाड़ी के उग्रवादियों को धन तथा सामान देकर प्रोत्साहित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इन समाचारों की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण नहीं कि नेपाल-स्थित चीनी राजदूतावास ने नक्सल बाड़ी के पथभ्रष्ट और उग्रवादी तत्वों को रुपए-पैसे अथवा साज-सामान की सहायता दी है । लेकिन, सरकार इस बात की चौकसी रख रही है कि कोई विदेशी सत्ता देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पावे ।

(ख) सरकार नेपाल-स्थित चीनी राजदूतावास के प्रेस और प्रोपेगन्डा एजेंसियों की सरगर्मियों के प्रति सजग है और वह इन गतिविधियों की तीव्र निन्दा करती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का गम्भीर उल्लंघन समझती है । नेपाल-स्थित भारत के राजदूतावास ने नेपाल स्थित चीनी राजदूतावास के इस अनुचित व्यवहार और नेपाल के महामहिम की सरकार का बारबार इस ओर ध्यान दिलाया है ।

तिब्बत को भारत में मिलाने के बारे में भारत के विरुद्ध पेकिंग का आरोप

2854. **श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग के इस आरोह की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि भारत सरकार दलाई लामा के माध्यम से तिब्बत को भारत में मिलाने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) क्या उन्होंने (चीनियों ने) यह आरोप भी लगाया है कि दलाई लामा अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा भारतीय प्रतिक्रियावादियों के उकसाने पर चीन-विरोधी प्रचार करने के उद्देश्य से जापान गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) भारत सरकार के देखने में यह आया है कि चीनी प्रचार के विभिन्न माध्यम तिब्बत के विषय में भारत की मंशा के बारे में काल्पनिक और पूरी तरह मनगढंत आरोप लगा रहे हैं । लेकिन, चीन सरकार से हाल ही में इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है । आरोपों का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता । इसलिए भारत सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि चीनी प्रचार के माध्यम जब भी वे पुराने निराधार आरोप लगाएं तभी वह हर बार उसका खंडन का विरोध करें ।

नेपाल में भारतीय राष्ट्रजन

2855. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार के भूमि सम्बन्धी कानूनों तथा अन्य कानूनों

की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप नेपाल में रह रहे भारतीय राष्ट्र जनों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो नेपाल में भारतीय राष्ट्रजनों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय नेपाल में भारतीय राष्ट्रजनों को क्या क्या अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक व्योरा रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1845/67**] माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जो विदेश मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री ने 2 दिसंबर, 1966 को दोनों सदनों में दिया था। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

बंदन जा रहे गोरखा सैनिकों की टुकड़ी का बैरकपुर में आवाजाही शिविर

2856. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अदन में राष्ट्रवादियों को दबाने के लिये भेजे गये गोरखा सैनिक बैरकपुर में आवाजाही शिविर में हो कर जा रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कामों के लिये भारत की भूमि में इस प्रकार की सुविधाओं कर दिया जाना उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं है; और

(ग) वर्ष 1960 से अब तक बैरकपुर आवाजाही शिविर में होकर कितने गोरखा सैनिक गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) बैरकपुर का ट्रांजिट कैंप नेपाल और दूर पूर्व के बीच आने जाने वाले गोरखाओं द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे कि यह कहा जा सके कि इस कैंप से कोई गोरखा सैनिक अदन भेजे गये थे।

(ग) अप्रैल 1960 से सितम्बर 1967 के बीच जितने गोरखा सैनिक इस कैंप से होकर गुजरे हैं उनकी संख्या, उनके आश्रितों सहित, इस प्रकार है :

25,557 (पूर्व की ओर)

33,356 (पश्चिम की ओर) (नेपाल को)।

सेनाध्यक्षकों का विदेश भ्रमण

2857. **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना तथा वायु सेना के अध्यक्षों के विदेश भ्रमणों से देश या सशस्त्र सेनाओं को क्या लाभ हुआ है ;

(ख) क्या यह भ्रमण सम्बन्धित देशों की सरकार के निमन्त्रण पर किए गए थे ;

(ग) क्या सरकार ने भी उनकी सशस्त्र सेनाओं के पक्षों के उनके समतुल्य मुख्यों को नियन्त्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे भ्रमणों से कब कार्यान्वित होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष के मित्र देशों के भ्रमणों से इन देशों और भारत के बीच परस्पर सद्भावना बढ़ाने में सहायता हुई है, और हमें, उन देशों में रक्षाक्षेत्र में नए विचारों और विकास का परिचय पाने के अवसर प्रदान हुए हैं। इसके अतिरिक्त भ्रमण किए गए देशों में से कुछ में अपनी रक्षा आवश्यकताओं के संबंध में लाभकर बातचीत हुई है। पाकिस्तान भ्रमणों से, जो ताशकंद करार द्वारा आवृत्त है, काफी हद तक उन मिथ्या धारणाओं को दूर करने में सहायता मिली है, जो तनाव का कारण बनती।

(ख) भ्रमण उन देशों के मुख्याधिकारियों या सरकारों के निमन्त्रण पर किए गए थे।

(ग) और (घ) उत्तर में भ्रमण किए गए देशों से सेना तथा वायुसेना अध्यक्षों प्रति-निधिमंडलों ने भ्रमण किए हैं, या अवेक्षित है। पाकिस्तान वायु सेना के सी० इन० सी० और इराक की वायु सेना के कमांडर निकट भविष्य में भारत का भ्रमण करने वाले हैं।

निदरलैंड की सहायता से विमानों का निर्माण

2858. **श्री रा० बरुआ :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल नीदरलैंड 'फोकर' विमान निर्माता कम्पनी ने विमानों के निर्माण के लिए भारत में संयन्त्र स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) और (ख) रायल निदरलैंड कम्पनी ने भारत में लाइसेंस के अन्तर्गत एफ-28 विमानों के निर्माण की पेशकश की है। इसपर इंडियन एयरलाइन्ज कार्पोरेशन के, नए विमानों के अधि-

ग्रहण संबंधी योजना को अन्तिम रूपरेखा दे देने के पश्चात् और अगर उनका निर्माण एफ-28 विमानों के पक्ष में हुआ, तभी विचार किया जा सकता है ।

दिल्ली में संगणक केन्द्र

2859. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हर दयाल देवगुण :
श्री गणेश घोष :
श्री बेदब्रत बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के उपयोगार्थ हाल में दिल्ली में एक संगणन केन्द्र का उदघाटन किया था ;

(ख) उस केन्द्र में संगणकों द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट कार्य किये जायेंगे ;

(ग) लगाये जाने वाले इस उपकरण पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इन संगणकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के कारण संबंधित विभागों के वर्तमान कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) संगणक केन्द्र एक ऐसा केन्द्र है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास स्थित सारे सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सामान्य आंकड़े तैयार करने की व्यवस्था है । विभिन्न संगणकों से इंजीनियरी तथा अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शीघ्र और सही प्राथमिक आंकड़े आर्थिक और संख्यिकी विशलेषण तथा अनुसंधान और विकास का कार्य किया जा सकेगा संगणक सूचना बैंक का काम भी करेंगे ।

(ग) संगणक केन्द्र में लगाये जाने वाले तीन संगणकों पर 28 लाख 20 हजार रुपये खर्च होंगे ।

(घ) संगणकों का प्रयोग प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिये किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित विभागों के कोई भी वर्तमान कर्मचारी बेकार नहीं होंगे ।

एन० सी० सी० छात्र और नियमित सेना के सेविवर्ग

2860. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० सी० सी० छात्रों की इस समय जनशक्ति तथा इस संघठन में नियमित सेना सेविवर्ग की जनशक्ति क्या है ; और

(ख) नियमित अफसरों, अस्थायी अफसरों द्वारा हासिल किए गए वेतनों तथा छात्रों को दिए गए भत्तों के विस्तार सहित, वित्तीय वर्ष में कुल कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 30–9–67 को एन० सी० सी० की जनशक्ति सीनियर डीवीजन (कन्यका डिवीजन समेत) 7.48 लाख

जूनियर डिवीजन 6.44 लाख

कुल जोड़ 13.92 लाख

30-10–67 को नियमित सेना सेविवर्ग की जनशक्ति

नियमित सेवाओं के अफसर	633
पुनर्नियुक्त सेवा अफसर	362
टी० ए० अफसर	78
जे०सी०ओज०/एन०सी०ओज० (1-10-67 को)	15871
कुल जोड़	16944

(ख) एन० सी० सी० का खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त खर्च का अलग हिसाब नहीं रखा जाता और इसलिए विस्तार सहस प्राप्य नहीं हैं। एन० सी० सी० पर गत वित्तीय वर्ष 1966-67 के बीच हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा मिश्रित व्यय का अनुमान 25.11 करोड़ था।

एन० सी० सी० के लिए गाड़ियां

2861. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० सी० सी० यूनिटों को जीपें अथवा अन्य सैनिक गाड़ियां प्राप्य नहीं की गई जबकि नियमित अफसरों को मोटर कारें प्राप्य की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले पर विचार किया है, इन गाड़ियों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एन० सी० सी० यूनिटों को केवल सनिक गाड़ियां अलाट करने का निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एन० सी० सी० यूनिटें जीपों/स्टाफ कारों के लिए अधिकृत की जाती है, आपाती स्थिति के दौरान किसी सेना भण्डार से जीपों की अप्राप्यता के कारण व्यापार से एम्बेसेडर कारें उपलब्ध की गई थीं, और यूनिटों को वितरित की गई थीं।

(ख) कुछ शिकायतें, जो अधिकतम गुमनाम या बनावटी नामों से लिखी गई थीं, प्राप्त हुई थीं, परन्तु जांच करने पर प्रायः तथ्यहीन पाई गई थीं ?

(ग) यथासंभव सैनिक किस्म की गाड़ियां एन० सी० सी० को अलाट की जाती हैं, सीमा निर्धारण तथ्य होता है ऐसी गाड़ियों की प्राप्यता ।

एन० सी० सी०

2862. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० सी० की उपयोगिता अथवा अन्यथा के संबंध में कोई आंकन किया गया है, यदि हां तो उसका परिणाम क्या था ;

(ख) एक वित्तीय वर्ष में कुल कितने कडेट प्रशिक्षण पाते हैं, और छात्रों के अतिरिक्त केडेटों की संख्या क्या है ;

(ग) तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों से केडेटों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या एन० सी० सी० केडेटों ने छात्र प्रदर्शनों में मुख्य भाग लिया था और यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच की है और उस पर क्या कार्रवाई की है ; और

(ङ) क्या सरकार एन० सी० सी० के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो उसके विस्तार क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1846/67]

रक्षा सिव्वंन्दियों में कंटीनों के कर्मचारी

2863. **स० मो० बनर्जी** :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेंस फैक्टरियों के मुख्य निर्देशक ने यह सिफारिश की है कि 1967 में हुई औद्योगिक परिषद् की सर्वसम्मत सिफारिशों के अनुसार उन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जाए ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) क्या अब तक कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) आर्डनेंस फैक्टरियों समेत रक्षा संस्थाओं के कंटीन कर्मचारी तभी सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं अगर वह सरकार द्वारा भर्ती किए जाएँ और उन्हें सरकारी निधियों से अदायगी की जाए।

(ख) से (घ) कंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानने के प्रश्न पर नवम्बर, 1966 में हुई औद्योगिक परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। डाइरेक्टर जनरल आर्डनेंस फैक्टरियों के मुख्य निदेशक से परिषद् की बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने पर इस विषय पर, लेबर एम्पलायमेंट तथा रिहेबिलिटेशन मंत्रालय के सलाह-मशविरे से निरीक्षण किया गया

था, और फैसला किया गया था कि इस प्रश्न का उत्तर कि क्या कंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाए या न उनकी नियुक्ति के करारनामे पर निर्भर होगा, अर्थात अगर यह कर्मचारी सरकार द्वारा भर्ती किए गए थे और उन्हें सरकारी निधियों से अदायगी की गई थी, तो वह सरकारी, कर्मचारी माने जाएंगे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिग प्रायोजना

2864. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग प्रायोजना ने मिग विमानों का उत्पादन आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जामनगर के निकट आई० ए० एफ० विमान की दुर्घटना

2865. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० ए० एफ० का एक विमान लगभग सितम्बर 1967 के दूसरे सप्ताह में जामनगर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) क्या सरकार ने उसके कारण का पता लगा लिया है;

(ग) उक्त दुर्घटना में मारे गए संचालकों के नाम क्या हैं ;

(घ) कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट के विस्तार क्या हैं ; और

(ङ) मृतकों के कुटुम्बों के सदस्यों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है । दुर्घटना का कारण और अन्य विस्तार तभी पता चल पाएंगे जब उनकी रिपोर्ट तैयार हो पाई ।

(ग) स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह और फ्लाइट लेफ्टनेंट ए० के० बनर्जी।

(ङ) स्क्वाड्रन लीडर विवाहित अफसर था और उसका एक बच्चा है । उसकी विधवा को निम्न राशिएं अस्थायी तौर पर दी गई हैं :—

कुटुम्ब अनुदान	3000 रुपये
विशेष कुटुम्ब पेन्शन	10-9 67 से 180 रुपये मासिक
बच्चा भत्ता	10.9-67 से बच्चे के लिए 30 रुपये मासिक

इसके अतिरिक्त बच्चे के संबंध में 5 वर्ष से साधारणतः 21 वर्षकी आयु तक शिक्षा भत्ता देय है जो 480 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगा।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट ए० के० बनर्जी अविवाहित था। उसकी माता को पेन्शन के लिए उसके प्रार्थनापत्र के न्यायनिर्णीत होने तक 1001.25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

Naval Officers As Military Attaches

2866. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) whether Government propose to appoint Navel Officers as Military Attaches in Indian Embassies;

(b) whether such Naval Officers are likely to be sent as Advisors in our Missions at at Hongkong, Aden and Cairo; and

(c) the names of the places where Indian Naval Officers have been working in Indian Embassies so far?

The Minister Of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Naval Officers are appointed as Naval Attaches/Advisers but not as Military Attaches / Advisers.

Not contemplated at present.

(c) Djakarta; London; Karachi; Moscow;

Bonn—concurrently accredited to France and Neithesland.

फ्रांसीसी कमांडर इंचीफ का भ्रमण

2867. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री सत्य नारायण सिंह**
श्री चक्रपाणि : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री न० कु सांघी : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अं० प्रसाद : **श्री गणेश घोष :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी कमांडर इंचीफ ने नवम्बर 1967 के पहले सप्ताह में भारत का भ्रमण किया और उन्होंने भारत की सेवाओं के अध्यक्षों के साथ बातचीत की ;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत किन विषयों पर हुई ; और

(ग) उसके परिणाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) वाईस एडमिरल डी एस्काड्रे ब्यूरिन डेस रोजियर हिन्द सागर में कमांडर इनचीफ ने नवम्बर, 1967 में भारत का भ्रमण किया था।

(ख) और (ग) उन्होंने तीनों मुख्याधिकारियों से अलग-अलग सद्भावना भेंटें की, परन्तु सरकारी महत्व के किसी विषय पर बातचीत नहीं हुई।

टी० वी० सेटों का निर्माण

2868. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री अबीचन : श्री सुदर्शन :
श्री न० कु० सांघी : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री य० अं० प्रसाद : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री देवव्रत बरुआ : श्री जगेश्वर यादव
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलिवीजन सेटों के निर्माण के लिए कुछ स्थानीय फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) उन फर्मों के नाम और करारनामे की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इन फर्मों की वार्षिक क्षमता क्या होगी ; और

(घ) इन फर्मों द्वारा उत्पादित सेटों का लगभग मूल्य क्या होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) बम्बई के सर्वश्री टेलिरेड और कानपुर के सर्वश्री जे० के० इलेक्ट्रानिक्स को, प्रति वर्ष 10000 टेलिवीजन सेटों के निर्माण के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए लाईसेंस दिए गये हैं । इन फर्मों के सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी से प्राप्त देशीय ज्ञान की सहायता में निर्माण करने की प्रत्याशा है । वर्तमान आंकन यह कि 23 इंच पर्दे के टेलीवीजन सेट 1500 रुपये प्रति सेट मार्केट किए जाएंगे, और 19 इंच पर्दे के 1350 रुपये प्रति सेट । निर्माण लगभग मध्य 1968 में आरम्भ होना प्रत्याशित है ।

Recovery of Disputed Territories from China and Pakistan

2869. **Shri N. S. Sharma : Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Shri Chand Goel : Shri A. B. Vajpayee :
Shri Sharda Nand : Shri Hem Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1484 on the 31st July, 1967 ond state the steps taken to recover these disputed and occupied territories from China and Pakistan.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : The Government of India are continuing in their endeavour to regain ihe illegally occupied territories from China and Pakistan and to solve all other border disputes with these countries through peaceful negotiations.

Uranium Bullets

2870. **Shri N. S. Sharma : Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Sharda Nand :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Uranium bullets have been invented in U.S.A. which do not contain fissionable isotopes and can cause damage to tanks and bunkers by piercing through 2" thick armour plates, which are impenetrable to any other bullet;

(b) whether Government propose to manufacture this type of bullet in India to achieve self-reliance; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) Refereuce to the subject has been made in weekly Magazine published from America. It appears from this article that even in America only studies are being carried out and no finality has been reached.

(b) This subject is under study in our Research & Development Organsiation.

(c) Does not arise.

यू० ए० आर० के सहयोग से एच० एफ० -24 जैट

2871. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० ए० आर० के साथ सहयोग से विकसित एच० एफ-24 के लिए उच्चशक्ति का इंजन भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, और

(ख) यदि नहीं तो, एच० एफ--24 के वैज्ञानिक ढांचे के लिए उपयुक्त इंजन के विकास के लिए किसी अन्य देश का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई पग उठाए गए हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री(श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एच० एफ० 24 विमान ढांचे में लगाए गए इ-300 इंजन के उड़ान विकास परीक्षण अभी यू० ए० आर० में किए जा रहे हैं। उड़ान परीक्षणों की सफलतापूर्वक सम्पूर्ति के पश्चात् ही भारत की आवश्यकताओं के लिए उसकी उपयुक्तता का प्रश्न उठेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अप्रचलित घोषित की गई रक्षा गाड़ियां

2872. **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी आटोमोबाईल गाड़ियां और रक्षा विभाग की विभिन्न यूनिटों की अन्य अप्रचलित या समय से असंगत घोषित की गई वस्तुएँ अब भी उन के पास हैं ;

(ख) इन वस्तुओं के कब और कैसे निपटाए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रक्षा विभाग में क्या कोई यन्त्र है ;

(घ) क्या अप्रचलित वस्तुएं खुले में रखी या जोड़ी जाती हैं कि जिस कारण वह क्षति-ग्रस्त होकर देश की हानि का कारण बनती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पुरानी घोषित की गई कोई भी मोटर गाड़ियां अर्थात् 'ख' श्रेणी की मोटर गाड़ियां मोटरगाड़ी डिपों में नहीं रखी जाती हैं। अन्य पुरानी वस्तुओं के आंकड़े पृथक-पृथक नहीं रखे जाते हैं। मोटरगाड़ियों तथा ऐसा सामान की जिसकी प्रतिरक्षा के काम के लिये आवश्यकता नहीं होती है अथवा जिसे रद्दी घोषित कर दिया जाता है बेचने के लिये समय-समय पर घोषणा कर दी जाती है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से बेचे जाने वाली फालतू माल 30 सितम्बर 1967 को लगभग 29 करोड़ रुपये के पुस्त मूल्य का था तथा इसके अतिरिक्त लगभग 13,000 मोटर गाड़ियां भी थीं।

(ख) फालतू माल पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करके धीरे-धीरे बेच दिया जाता है। इस क्रिया का लगातार पालन किया जाता है तथा माल को यथासम्भव शीघ्र बेचने का हर प्रयत्न किया जाता है।

(ग) फालतू माल आदि की समस्याओं पर सेना मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय समय-समय पर विचार करता रहता है। जब कभी आवश्यक होता है तकनीकी दल भी स्थापित कर दिये जाते हैं।

(घ) और (ङ) माल ढके हुए स्थान पर रखा जाये या कि खुले में, इस बात पर निर्भर करता है कि स्थान कितना है तथा माल कैसा है। जब आवश्यक होता है तो खुले में रखे हुए माल को तिरपालों से ढक दिया जाता है तथा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि माल रखते समय खराब न हो।

प्लुटोनियम

2873. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** 10 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिएक्टरों से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त प्लुटोनियम का उपयोग किन-किन विशिष्ट शान्तिमय कार्यों के लिए किया जाता है :

(ख) भारतीय रिएक्टरों में कौन-कौन से रेडियो आइसोटोप उत्पादित किए जाते हैं तथा क्या उनके मूल्यों की तुलना विदेशी बाजारों में इसी प्रकार के आइसोटोपों के मूल्यों से की जा सकती है ; और

(ग) इन भारतीय आइसोटोपों का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) प्लूटोनिमय का उपयोग भौतिकी तथा रासायनी में प्रयोगों के लिए तथा प्लूटोनियम-बैरीलियम न्यूट्रान स्रोत बनाने के लिए किया जाता है।

(ख) ट्राम्बे में 350 से ज्यादा भिन्न-भिन्न किस्मों को रेडियोधर्मी पदार्थ जिनमें नाम-पत्रित रसायन तथा विशिष्ट प्रकार के पदार्थ भी शामिल हैं, उत्पादित किये जाते हैं। भारत

में उत्पादित रेडियोधर्मी पदार्थों का मूल्य आमतौर पर विदेशों में उत्पादित पदार्थों के मुकाबले कम है।

(ग) रेडियो आइसोटोपों का उपयोग सारे देश में कृषि, जीव विज्ञान, उद्योगधंधों, औषधि निर्माण तथा खोज कार्यों में किया जाता है।

System for Purchasing Goods for Defence Department

2874. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present system of purchasing goods for the Defence Department is faulty and that it takes many years for pnrchasing and transporting the goods; and

(b) if so, the steps being taken to remedy the system?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) and (b) No, Sir. Except for purchases made on Government to Government basis, purchases of stores for meeting the defence requirements are made by and large through the Central purchasing Agencies viz., DGS & D and IMS London/Washington. The procedure for making purchases obtaining in the DGS&D and the question of effecting supplies expenditiously have been gone into carefully by the Vidyalankar Study Team set up by the Government. The recommendations made by the Study Team to improve the purchase procedure, etc., in the DGS&D have been mostly accepted by the Government and implemented as far as possible.

Research and Development in Ordnance Factories

2875. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no research and development branch has been established in any of the Ordnance Factories in the country;

(b) if so, the rersons therefor; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the details thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) to (c) The Ordnance Factories and the Research and Development Establishments are under thc administrative control of separate Heads of Departments. But they work in close collaboration with each other in the development of arms, ammunition and other stores whose manufacture is undertaken in the Ordnance Factories. The location of Research and Development Establishments is decided upon keeping in view the type of development work they are expected to do and the availability of facilities therefor. Some of these Establishments are situated either within the Ordnance Factory or in their close proximity.

चीनी अधिकारियों द्वारा जप्त की गई भारत सरकार की सम्पत्ति

2876. **श्री म० ला० सोंधी** : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत स्थित चीनी प्रधिकारियों ने भारत सरकार की कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की हैं, उन इमारतों का ब्यौरा क्या है तथा उनका बाजार भाव क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्पत्ति की देख भाल नेपाली प्रतिनिधि कर रहे थे जिनको वहां से निकाल दिया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी):

(क) तिब्बत में भारत सरकार की संपत्ति की कुल अनुमानित संख्या कोई सात लाख रुपये है। ल्हासा में कोई 4 लाख रुपये की संपत्ति थी। यातुंग में अन्दाजन 3 लाख रुपये की संपत्ति है। परन्तु आज चीन में जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें मौजूदा कीमत आंकना सम्भव नहीं है।

(ख) हमारी प्रार्थना पर नेपाल का ल्हासा स्थित प्रधान कोंसलावास ल्हासा में हमारी संपत्ति की देखरेख कर रहा है। यातुंग में चीन सरकार द्वारा नियुक्त तीन स्थानीय केयर-टेकर हमारी इमारतों की और संपत्ति की देखभाल करते हैं। गरतोक में जो पट्टे की जमीन है उसके लिए कोई केअर-टेकर नियुक्त नहीं किया गया है।

22 सितम्बर को चीनी अधिकारियों ने पीकिंग-स्थित हमारे राजदूतावास को बताया कि ल्हासा, यातुंग और गरतोक में पट्टे पर भारत की जो जमीन थी वह तिब्बत के संबद्ध विभाग ने ले ली है। ल्हासा में चीन अधिकारियों ने नेपाली प्रधान कोंसल से कहा कि वह ल्हासा में हमारे भूतपूर्व प्रधान कोंसल की चल संपत्ति उसे सौंप दें। ऐसा उन्होंने भारत सरकार से परामर्श करने के बाद किया। हमने इस गैर-कानूनी और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ पीकिंग में चीनी अधिकारियों से अलग से विरोध प्रकट किया है।

लड़ाकू सैनिकों और अफसरों के लिए वास्य भवन

2877. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अफसरों और लड़ाकू सैनिकों को जो लाओस और हिन्दचीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग में नियुक्त किए गए हैं और उन्हें जो नेपाल, भूटान, जम्मू तथा कश्मीर और नेफा तथा सिक्किम समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, संक्रियात्मक क्षेत्रों में अपनी रहाइश के दौरान अपने वास्य स्थान ग्रहण किए रहने की अनुमति है।

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली और दिल्ली से उन क्षेत्रों में नियुक्त असैनिक कर्मचारियों को जनरल पूल में प्राप्त वास्य भवन धारण किए रहने की अनुमति क्यों नहीं है ; और

(ग) सरकार उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में रहाइश के दौरान उन्हें वर्तमान वास्य भवन धारण किए रखने की अनुमति देने या रक्षा मंत्रालय पूल से उन्हें वास्य भवन अलाट करने पर विचार कर रही है , और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (घ) एक वितरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिय संख्या एल० टी०** 1847/67]

सेरिटाइम रिकानेसेंस स्क्वाड्रन

9878. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री शशिभूषण वाजपेयी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना का मेरीटाईम रिकानेसेंस स्क्वाड्रन द्वितीय विश्वयुद्ध के अप्रचलित लिब्रेटरों और एयर इण्डिया से प्राप्त पुराने सुपर कान्स्टेलेशन विमानों से सज्जित है ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्क्वाड्रन के कृत्य में सुधार के लिए उन्हें आधुनिक विमानों से तब्दील करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि लिब्रेटर और सुपर कन्स्टेलेशन विमान मेरीटाईम रिकानेसेंस उद्देश्यों के प्रयुक्त किए जा रहे हैं।

(ख) मेरीटाईम रिकानेसेंस कार्य के लिए कुछ आधुनिक विमान अधिगृहीत करने का प्रश्न सक्रियता से सरकार के विचाराधीन है।

व्यापारिक प्रसारण

2879. **श्री ईश्वरा रेड्डी : श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आकाशवाणी से व्यापारिक विज्ञापनों के प्रसारण का जो प्रयोग शुरू किया गया है क्या वह सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का यह प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, हां ।

(ख) व्यापारिक विज्ञापन प्रसारण सेवा को अन्य प्रदेशों में भी चालू करने की योजना बनाई जा रही है।

Bomb Explosion in N.C.C. Training Camp Near Dhanbad

2880. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that five cadets were seriously injured as a result of a bomb explosion in the N. C. C. training camp at Panchhat near Dhanbad on the lst November, 1967; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b) : During a demonstration of a platoon in action on the last day of a training camp at Panchhat on 28. 10. 1967, a cadet picked up a fired cartridge and started examining it with other cadets looking on. The cartridge exploded injuring the particular cadet seriously and causing minor injuries to three others. Fuller details will be known on the completion of the Court of Enquiry which has been set up to investigate the incident.

श्री मनुभाई शाह की नियुक्ति

2882. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व मंत्री श्री मनुभाई शाह को हिन्दुस्तान स्टील/राजकीय व्यापार निगम अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): सभा इस बात की सराहना करेगी कि यह बताना न तो निरूढ़ है और नहीं उचित कि साकार किस समय किस नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

विद्रोही नागाओं तथा भारती सुरक्षा सेनाओं में मुठभेड़

2883· **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद का पिछला सत्र समाप्त होने से अब तक विद्रोही नागाओं और भारतीय सुरक्षा सेनाओं के बीच कितनी मुठभेड़ें हुई है और इन मुठभेड़ों में दोनों ओर के मारे जाने वाले व्यक्तियों की तथा हताहत होने वालों की संख्या क्या है तथा इनमें कितनी सम्पत्ति लूटी और जलाई गई है ; और

(ख) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1848/67]

(ख) संबद्ध राज्य सरकारें और प्रशासन अपने जन-धन के साधनों की सीमा में ऐसे आवश्यक कदम उठा रहे हैं जिनसे छिपे नागा गैर-कानूनी कार्य न करने पाएं और नागरिकों के जान-माल की रक्षा हो सके ।

प्रतिरक्षा मंत्री का मास्को का दौरा

2884. **श्री दी० चं० शर्मा:** **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री सितम्बर, 1967 में मास्को गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो किस लिये ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्री सोवियत प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मिले थे और उन्होंने एक-दूसरे देश से संबन्ध तथा समान हित की समस्याओं, महासभा के वर्तमान सत्र में

उठे प्रश्नों और भारत-सोवियत संबंधों के मामलों पर भी विचार-विनिमय किया था। बातचीत लाभदायक रही और उसके संतोषजनक परिणाम निकले।

विशाखापत्तम में नौसेना डाकयार्ड

2886. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में प्रस्तावित नौसेना डाकयार्ड पर प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञदल ने अपना काम सम्पूर्ण कर दिया है, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) प्रायोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) काम कब आरम्भ होने की संभावना है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोरिया से विदेशी सेनाओं का वापिस लिया जाना

2887. **वासुदेवन नायर:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सदस्य देशों ने संयुक्त अरब संघ की पिछली बार हुई महासभा की बैठक में यह प्रार्थना की थी कि कोरिया से अमरीका तथा अन्य देशों की सेनाओं के वापिस लिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये;

(ख) क्या इस प्रश्न पर महासभा में बातचीत हुई थी;

(ग) किन किन देशों ने इस प्रश्न पर बातचीत करने के लिये कहा था; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत ने क्या रवैया अपनाया है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (घ) बल्गारिया, श्वेतरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, कम्बोडिया, कांगो (ब्रजाविल), क्यूबा, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, माली, मंगोलिया, पोलैंड, रूमानिया, सीरिया, यूकेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणतंत्र ने मिलकर चालू संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में प्रस्ताव का मसौदा पेश किया जिसका विषय था, संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे दक्षिण कोरिया में कब्जा करने वाली तमाम अमरीकी और अन्य विदेशी सेनाओं को हटाना और कोरिया के एकीकरण और पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र कमीशन को बंद करना। यह प्रस्ताव गिर गया। भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया।

नौसैनिक वायु सेना

2888. **श्री वासुदेवन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसैनिक वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्र वित्त निगम

2889. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : साधनों की कमी के कारण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, समाचार पत्रों को इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक आफ़ इंडिया एक्ट, 1964, स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट, 1948 में "उद्योग" की परिभाषा के अन्तर्गत लाने का सुझाव, जिससे कि वे उक्त स्रोतों से उधार लेने के पात्र बन सकें विचाराधीन है। छपाई के छोटे प्रेसों को उधार गारंटी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग यूनिट मानने की वांछनीयता पर भी विचार हो रहा है।

दिल्ली के स्टूडियो से आवाज का लीक होना

2890. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली केन्द्र के एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में आवाज लीक होने की घटनायें बड़ी संख्या में होती हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं। ऐसे बहुत ही कम अवसर हुए हैं जब आवाज लीक हुई हो। यह सच है कि अनेक स्टूडियों के नवीनीकरण की आवश्यकता है परन्तु यह धनाभाव के कारण नहीं हो सका है।

(ख) एकाध अवसरों पर आवज लीक हुई, तो यह (1) एक स्टूडियो में हाई लेवल के कार्यक्रम होने या (2) अचानक तकनीकी खराबी हो जाने के कारण हुई है।

(ग) पास के स्टूडियो में हाई लेवल के कार्यक्रम के कारण खराबी को रोकने के लिये विशिष्ट स्टूडियों को, हाई लेवल के कार्यक्रमों के लिये उस समय इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जब कि पास के स्टूडियों में कार्यक्रम हो रहा है। कभी कभी जो अचानक तकनीकी खराबी हो जाती है वह अपरिहार्य है, परन्तु जैसे ही खराबी का पता लगता है, उसे तुरन्त ही ठीक कर दिया जाता है।

News in Foreign Languages

2892. **Shri Hukum Chand Katchawai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to stete :

(a) the Indian and foreign languages in which news are broadcast from All India Raido; and

(b) whether Government propose to start broadcasting news in all the remaining regional languages as well ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah):

All India Radio broadcasts news in the following languages in its Home Services:

English, Hindi, Assamese, Bengali, Gorkhali, Gujarati, Kaunada, Kashmiri, Dogri, Malayalam, Marathi, Nefa-Assamese, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu & Urdu.

It also broadcasts news in External Services in the following languages :—

English, Tamil, Hindi, Cantonese/Kuoyu, Burmese, Indonesian, Thai, Gujarati, Swahili, Pushtu, Persian, Afghan Persian, Arabic, French, Tibetan, Nepali, Urdu and Sinhalese.

(b) All India Radio is braodcasting news in all languages mentioned in the Eighth Schedule to the constitution, except Sanskrit in which language news reviews once a fortnight are broadcast from certain Stations. A proposal to broadcast news in Sanskrit from A. I. R. is under consideration of the Government.

All India Radio is also broadcasting news in number of dialects from different regional Stations.

News from Radio Peking

2893. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister ef **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the Indian languages in which news are broadcast from Pakistan Radio; and

(b) the time devoted thereto and the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcastiag (Shri K. K. Shah):

(a) and (b) The required information is contained in the statement laid on the table of the House [**Placed in Library. See. No. Lt. 1849/67**]

नाथूला झड़पों में मृतक सैनिकों के शवों का आदान प्रदान

2894. **वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सिक्किम सीमा पर हाल की नाथूला और चोला में हुई झड़पों के दौरान दोनों ओर से इकट्ठे किए गए शवों और हथियारों तथा गोली बारूद का भारतीयों और चीनियों ने आदान-प्रदान कर लिया है ;

(ख) हर बार चीनियों द्वारा सौंपे गए भारतीयों के शवों की संख्या क्या थी, और भारत द्वारा चीनियों को सौंपे गए शवों की संख्या क्या थी, दोनों ओर से आदान-प्रदान किए गए हथियारों और गोलीबारूद का गुणरूप और संख्या क्या थी ; और

(घ) नाथूला में जो तार की बाड़ थी, क्या वह अब भी विद्यमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) चीनियों ने नाथूला में 14 और चोला में 5 भारतीय सैनिकों के शव हमें सौंपे । इसके अतिरिक्त कुछ स्माल आर्म्स और एम्युनीशन भी लौटाया गया । जैसे पहले 20 नवम्बर 1967 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 121 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है, हमारी ओर चीनी सैनिकों के कोई शव सौंपने को न थे ।

(घ) जी हाँ ।

विदेशों के साथ सम्पर्क

2895. **डा० प० मण्डल :**

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जिन विदेशी सरकारों को भारतीय दृष्टिकोण समझाने के लिये उनके साथ जो सम्पर्क स्थापित किये गये थे क्या वे सम्पर्क अब समाप्त कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो समय-समय पर इन सम्पर्कों का किस प्रकार नवीकरण किया जाता है तथा क्या भारतीय दृष्टिकोण को अब संसार में भली भाँति समझा जाता है ; और

(ग) क्या इस काम की देखभाल करने के लिये विदेशों में स्थित राजनयिक दूतावासों तथा मिशनों के अतिरिक्त सरकार का कोई और सक्षम निकाय है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) विदेशी सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है । हमारे विदेश स्थित मिशन भारत के चित्र को सही रूप में पेश करने में निरंतर लगे रहते हैं और सभी समस्याओं पर भारत के दृष्टिकोण को समझाते रहते हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं भी शामिल हैं । विदेशी नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के भारत आगमन पर भी हम अपनी नीतियों को और अपने दृष्टिकोण को और अधिक अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करते हैं । सरकार के सदस्यों ने, संसद सदस्यों ने, और विभिन्न वर्गों के नेताओं ने भी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत की नीतियों को समुचित ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है ।

(ग) बहुत से देशों में स्वेच्छया स्थापित मैत्री संस्थाएँ हैं जो कि व्याख्यानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से लोगों में भारत को ज्यादा अच्छी तरह समझने-समझाने के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करती हैं ।

अफ्रीकी ऐशियाई एकता सम्मेलन

2896. **श्री मरंडी :** **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के समर्थन में 11 से 14 नवम्बर, 1967 तक विश्व शान्ति परिषद और अफ्रीकी ऐशियाई सम्मेलन दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया ; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान, मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) अरब लोगों के समर्थन में 11 से 14 नवम्बर 1967 तक दिल्ली में एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) 50 से भी अधिक देशों के लगभग 160 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) सम्मेलन ने अरब देशों के खिलाफ इसराईल के आक्रामक युद्ध की निन्दा की और विश्व के तमाम शांतिप्रिय और प्रगतिशील देशों से जबर्दस्त अपील की कि वे मिलजुल कर ऐसी कार्रवाई करें जिससे आक्रामक को आक्रमण का लाभ उठाने से रोका जा सके। सम्मेलन ने यह निर्णय भी किया कि 25 जनवरी को अरब जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता का दिवस मनाया जाय। सम्मेलन ने विभिन्न संगठनों और विश्व के नवयुवकों से बल देकर कहा कि वे इसराइलियों को हटाने और अरब लोगों के साथ एकता की दिशा में मिलजुल कर काम करें।

टेलीविजन केन्द्र के लिये सोवियत संघ से सहायता

2897. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की सहायता से टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान को सिख यात्री

2898. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने नवम्बर 1967 में गुरु नानक जन्म दिवस समारोह के सम्बन्ध में भारत से दो हजार सिख यात्रियों को लाहौर जाने की अनुमति दी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन यात्रियों को क्या-क्या सुविधायें दी गई थीं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने उन्हें सामान्य सुविधाएं प्रदान की थीं, जैसे, पास-पोर्ट, विदेशी मुद्रा आदि।

Defence Canteens

2899. **Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Nihal Singh. :**

Will the **Minister of Defence** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that military officers are exempted from **Sales-tax** in the canteens run under his Ministry while soldiers have to pay sales-tax ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of canteens being run in the capital by his Ministry?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Sales tax is a State subject and varies from State to State. Wherever there is an exemption, there is no discrimination between officers and soldiers.

(b) Does not arise.

(c) In the Capital, there are 63 canteens run by the units and 2 canteens run by the Canteen Stores Department.

Transmitters.

2900. **Shri Ram Singh Ayarwal: Shri Nihal Singh:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of transmitters imported by Government for broadcasting on the borders and the cost thereof ;

(b) the number of transmitters in working condition and number of those which are out of order and the cost of those which are out of order; and

(c) the names of border areas in which those transmitters have been installed ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Eleven high power transmitters have already been imported at a total cost of Rs. 184 lakhs approximately. The remaining three at a cost of 449 lakhs are in the process of being imported.

(b) None of the transmitters received is out of order.

(c) Two super-power medium-wave transmitters are to be installed-one each near Calcutta and Rajkot. Nine high power medium-wave transmitters are being installed in the border areas at Jodhpur and Jullundur in the Western area; Jammu, Simla and Gorakhpur in the Northern area and Calcutta, Dibrugarh, Kohima and Imphal in the Eastern area. The remaining three high power short-wave transmitters, will be installed at Aligarh and Delhi.

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी समिति

2901. **श्री मरन्डी :** **श्री मयावन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमवर्ती क्षेत्रों में शत्रु के प्रचार का खंडन करने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन-कौन व्यक्ति लिये गये हैं: और

(ग) क्या यह समिति स्थायी रूप से रहेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन दल के सदस्यों की एक सूची सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1850/67]**

(ग) जी, नहीं ।

दलाई लामा

2902. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा हाल में थाईलैंड गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की थी; और

(ग) क्या उनका दौरा निजी था अथवा सरकारी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) परम पावन दलाई लामा थाईलैंड की बुद्धिस्ट एसोसियेशन के अतिथि के रूप में निजी हैसियत से थाईलैंड की यात्रा पर गए थे । भारत सरकार ने उन्हें यात्रा संबंधी आवश्यक दस्तावेज दिए थे । उनकी आवश्यकता को देखते हुए उन्हें विदेशी मुद्रा की सुविधाएं भी प्रदान की गई थीं ।

12 बोर ट्रैप तथा स्कीट गनों का निर्माण

2903. **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झरोकेदार बाज्वों वाली 12 बोर ट्रैप और स्कीट गनों के निर्माण से संबंधित भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियों में क्या प्राप्ति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र):

आर्डनेंस फैक्ट्रियों में फालतू क्षमता जब प्राप्य हुई इन पदों के निर्माण की संभावनाओं की जांच की जाएगी । इस समय इसके लिए कोई फालतू क्षमता प्राप्य नहीं है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० बंगलोर में उत्पादन

2904. **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि निम्नकोटि की वस्तुओं के निर्माण के कारण हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० बंगलौर में उत्पादन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय तक कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, और कितनी बिना निपटारे के उनके पास रह गई हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) एच० ए० एल० में निम्न कोटि की मदों के उत्पादन के कारण एच० ए० एल० के उत्पादन में कोई अवरोध सामने नहीं आया। तदपि, यह सच है कि सप्लायर्ज से आवश्यक स्तर के वैद्यूती साजसामान की एक मद की प्राप्ति में विलम्ब के कारण कुछ कृषक विमानों का वितरण रुक गया है ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर

2905. **श्री लक्कप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) क्या इस वर्ष कोई प्रसारण योजना सामने है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी व्यापक रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) 1966-67 में भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० द्वारा उत्पादित रक्षा साजसामान का मूल्य 7.10 करोड़ रुपये था। 1967-68 में इसे लगभग 11 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का विचार है, यह वर्तमान् उत्पादन रेखाओं में वृद्धि तथा साजसामान की नई मदों का उत्पादन हस्तगत करने के फलस्वरूप निष्पक्ष होगा। भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० ने एक प्रसार कार्यक्रम अपना रखा है जिसके अनुसार 1970-71 तक साजसामान विभाग में उत्पादन बढ़ते लगभग 22 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। कम्पनी साफिस्टीकेटिड रडार और माईक्रोवेव साजसामान की फौरी आवश्यकताएं जुटाने के लिये एक नई सहायक फैक्टरी प्रायोजित कर रही है।

आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्र

2906. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों का स्थान निश्चित किया जाए; और

(क) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों के स्थानों का निश्चय जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, प्रशासन का स्थान, कलाकारों की उपलब्धि आदि पर विचार करते हुए और ऐसे पहलुओं जैसे तकनीकी शक्यता और आर्थिक क्षमता को देखते हुए किया जाता है। परन्तु कभी-कभी विशेष राजनैतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इन बातों को छोड़ना पड़ता है।

डिफेंस मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट चंडीपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

2907. **श्री स० कुन्डू:**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 21 जून, 1967 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3148 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय की प्रूफ तथा एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट चंडीपुर, बलासौर (उड़ीसा) में भ्रष्टाचार के आरोपों की सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन द्वारा की गई जांच सम्पूर्ण हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

(ग) क्या किसी अफसर को भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) से (घ) सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने अपनी जांच सम्पूर्ण कर ली है। जभी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, अगला कार्य सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सलाह से निर्धारित किया जाएगा। इस अवस्था में सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के निष्कर्ष व्यक्त करना लोकहित में न होगा।

Documents Relating to Netaji

2908. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **External Affairs be** pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dr. Dithelm Viedman of the Institute of International Relations of East Berlin has found some documents connected with Netaji Subhash Chandra Bose which disclose that Netaji was much opposed to Hitler and Nazis;

(b) whether it is also a fact that he has stated that these documents are being studied in East Germany; and

(c) if so, the steps Government propose to take to obtain the details regarding these documents ?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) to (c) The Government of India have no definite information on the subject. We have seen only a Press Report concerning this matter.

विहीकल रिसर्च एंड डिवेलपमेन्ट एस्टेब्लिशमेन्ट अहमदनगर

2909. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहीकल रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को अहमदनगर से आवडी में तबदील करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस एस्टेब्लिशमेंट के स्थानान्तरित करने के विरुद्ध सरकार को अहमदनगर वासियों ने कोई अभिवेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) 1960 में, जब आवडी की हैवी विहीकल फैक्टरी के स्थान के लिए निर्णय किया जा रहा था, यह भी निर्णय किया गया था, कि उस समय की टेक्नीकल डिवेलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (विहीकल्ज) आवड़ी में स्थित की जानी चाहिए ताकि लड़ाकू गाड़ियों से संबंधित अभिकल्पन तथा विकास कार्य के लिए सुविधा प्राप्त हो ।

(ख) और (ग) इस स्थानान्तरण के संबंध में सरकार को अभिवेदन प्राप्त हुए थे, परन्तु एस्टेब्लिशमेंट के क्षमता पूर्वक कृत्य के कारण, जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है इस स्थानान्तरण को रोकना संभव न था, जो आरम्भ हो चुका है । जिन कर्मचारीयों पर अखिल भारतीय सेवा की देयता नहीं है और स्वच्छातौर पर आवड़ी नहीं जाना चाहते, उनके पुनरावास के लिए कार्य हस्तगत है, आर० एंड डी० संगठन और डायरेक्टर जनरल आफ इन्स्पेक्शन पूना क्षेत्र में समस्त प्राप्य रिक्त स्थान, ऐसे लोगों को खपाने के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं । उनमें से कुछ पूना क्षेत्र में जोड़ी के संगठनों में खपा भी दिए गए हैं ।

मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल

2910. **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उनके स्थानों सहित, सैनिक स्कूलों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं; और

(ग) उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :(क) से (ग) सदस्य महोदय का ध्यान उन द्वारा 7-8-67 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8130 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

सेना के प्रयोग के लिए ट्रेक्टर

2911. **श्री तेन्नटि विश्वनाथन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकरणों ने हाल में (1) एक युगोस्लेवी, (2) इस इतालवी फिएट, (3) एक आस्ट्रेलियन ली टार्न्यो और (4) एक जापानी किमको हुग मेक ट्रेक्टरों के उच्च स्थानों पर परीक्षण किए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी ट्रेक्टर को खरीदने संबंधी कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्रय की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, इन चार ट्रेक्टरों के अतिरिक्त मानकाल्वी टाईगर टी–120 एस (इतालवी) ट्रेक्टर के भी उच्च स्थनीय परीक्षण किए गए थे ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन और पाकिस्तान में भारत की धार्मिक संस्थायें

2912. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और पाकिस्तान में इस समय भारत की कितनी धार्मिक संस्थायें है ;

(ख) क्या इन संस्थाओं पर उन देशों में रहने वाले भारतीय लोगों का नियंत्रण हैं ;

(ग) क्या भारतीय नागरिकों को धार्मिक समारोहों में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन देशों में रहने वाले भारतीय लोगों को ये सुविधायें मिल सकें ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) चीन में भारतीय समुदाय के 6 धार्मिक संस्थान हैं । पाकिस्नान में ऐसे संस्थानों की ठीक–ठीक संख्या मालूम नहीं है ।

(ख) चीन में गुरुद्वारे और भारतीय समुदाय के दूसरे धार्मिक संस्थान हाल ही में चीन सरकार ने जब्त कर लिए थे । जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान सरकार ने इस तरह के धार्मिक संस्थानों को 1 बोर्ड के नियंत्रण में रख दिया है । यह बोर्ड "धमार्थ" धार्मिक अथवा शेक्षिक ट्रस्टों अथवा संस्थानों से सम्बद्ध सम्पत्तियों के प्रबंध और निपटान की योजना के अंतर्गत बनाया गया है जो कि 1960 में चालू की गई थी । इस बोर्ड में अल्प संख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है । लेकिन, पश्चिम पाकिस्तान के कुछ गुरुद्वारों की देखरेख कुछ सेवादार करते रहे हैं ।

(ग) चीन में गुरुद्वारों आदि के जब्त किए जाने के साथ, अब वहां भारतीयों का ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं रह गया कि जहाँ वे एकत्रित होकर अपने प्रमुख त्योहार मना सकें। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है अल्प संख्यकों पर अपने धार्मिक त्योहारों में हिस्सा लेने पर किसी प्रतिबन्ध के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) चीनी अधिकारियों द्वारा शंघाई में गुरुद्वारों और पारसी पूजागृह पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा किए जाने के बारे में भारत सरकार पहले ही विरोध प्रकट कर चुकी है।

गौहाटी के निकट दुर्घटना में मारे गए सेना सेविवर्ग

2913. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी के निकट 1 नवम्बर, 1967 को एक सैनिक ट्रक और एक आयल टैंकर के बीच सीधे टक्कर में 16 सेना सेविवर्ग मारे गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इन गाड़ियों के संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) ऐसा एक टकराव 15 नवम्बर, 1967 को हुआ था और 16 व्यक्ति जो सैनिक लारी में यात्रा कर रहे थे, जिनमें 13 सैनिक और 3 असैनिक थे, मारे गए थे।

(ख) दुर्घटना की जांच करने के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है। कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् उसके निरीक्षण पर दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाही की जाएगी।

विदेशी फिल्म समारोह

2914. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) जी, अभी नहीं।

(ग) पहले के प्रश्न के (ग), (घ) और (ङ) भागों के बारे में सूचना रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई के द्वारा संकलित की जा रही है और वह यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

भारत अर्थ मूवर्ज लि० बंगलौर

2915. **श्री कृष्णन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार गोल्ड फील्ड क्षेत्र में अर्थमूविंग उद्योग आरम्भ करने के लिए टाइम शेड्यूल क्या है ;

(ख) उन निर्माण किए जाने वाले ट्रेक्टरों और क्रालरों की किस्में क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक जापानी फर्म में जो भारत अर्थमूवर्ज लि० को सहयोग दे रही है, उनकी कृत्यकारिण की आलोचना की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ला० ना० मिश्र):

(क) जुलाई, 1965 की सरकारी अनुमति के अनुसार कोलार की भारत अर्थमूवर्ज फैक्टरी 1968-69 में कमीशन होनी थी। फैक्टरी का क्रालर विभाग प्रगतिशीलता से अन्त 1968 से कमीशन किया जाना प्रत्याशित है । विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण प्रायोजन का हैवी अर्थ-मूविंग साजसामान के लिए अगस्त, 1967 में ही स्वीकृति मिल पाई है, और इसके लिए एक संशोधित टाइम शेड्यूल बनाया गया है ।

(ख) फैक्टरी का मिश्र उत्पादन इस प्रकार होगा :

(क) **क्रोलर ट्रेक्टर**

(1) कोमात्सु डी-120 क्रोलर ट्रेक्टर (235-एच० पी०)
(2) कोमात्सु डी-80 क्रोलर ट्रेक्टर (165) एच० पी०)

(ख) **अर्थमूविंग साजसामान (ली टार्न्यो वेस्टिंग हाऊस)**

(1) माडल "सी" मोटराईज्ड़ स्क्रेपर (290 एच० पी० घनगज स्ट्रक)
(2) माडल "सी" मोटराईज्ड रीमरडम्प (290 एच० पी० 14.7 घनगज स्ट्रक)
(3) माडल एल० डब्ल्यू-35 हालमैंक (35 टन-22.2 घनगज स्ट्रक)
(4) माडल 440 मोटर ग्रेडर (115 एच० पी० 23000 पौंड)

(ग) सरकार को ऐसी किसी आलोचना का ज्ञान नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hindi Stenos

2917. **Shri Molahu Prasad:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all the reserved posts; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Two in the Planning Commission.

(b) None of the two posts are reserved.

(c) and (d) The question does not arise, so far as these posts are concerned.

Computer Centre of Programme Evaluation Organisation

2918. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Computer Centre of Programme Evaluation Organisation have sufficient work to keep them busy full time; and

(b) if not, the steps being taken to provide them full time work ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Yes.

(b) Does not arise.

Hindi Stenographers

2919. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Informatinn and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) whether persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working on all the reserved posts; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) Fifteen.

(b) Four.

(c) and (d) Out of four reserved posts, only one is filled by a Scheduled Caste/Tribe candidate, two are vacant for want of suitable candidates and one has been dereserved in accordance with the prescribed procedure and filled as such.

Publications of Planning Commission

2920. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the publications published by the Planning Commission during 1966;

(b) the publications out of those which have been translated into Hindi; and

(c) when the Hindi versions of other publications would be available?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) A statement containing the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. see No. Lt—1851/67]**

(b) (i) Fourth Five Year Plan—A draft outline

(ii) A Review of important activities and studies, 1965-66.

(c) All the reports, except those mentioned at (b) above, are either intended for limited circulation or are technical studies of projects and programmes for the use mainly of project authorities. However, it is the endeavour of the Planning Commission to bring out an increasing number of publications for popular consumption in Hindi.

पाकिस्तान से प्राप्त बधाई संदेश

2921. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़े बांधों के पूरा हो जाने पर पाकिस्तान ने भारत को कोई बधाई सन्देश भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन-किन अवसरों पर ;

(ग) क्या सरकार ने बांधों के पूरा हो जाने पर समारोह आयोजित किये थे और क्या इन में सम्मिलित होने के लिये पाकिस्तान को आमंत्रित किया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन अवसरों पर ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार बांधों के बन जाने पर समारोहों का आयोजन करती है। इन मौकों पर पाकिस्तान सरकार के पास कोई निमत्रण नहीं भेजा गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'फर्ज' और 'अराउन्ड दी वर्ल्ड' नामक फिल्मों का रिलीज होना

2922. **श्री वे० कु० दास चौधरी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने भारत में निर्मित निम्नलिखित फिल्मों को प्रदर्शन के लिये रिलीज किया है—(1) फर्ज (2) अराउन्ड दि वर्ल्ड (3) ज्यूअल थीफ (4) अमन (5) प्यार मुहब्बत (6) एन ईवनिंग इन पेरिस और (7) आमने समाने ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें ये फिल्में अब तक दिखाई गई हैं ;

(ग) क्या इन फिल्मों में अश्लील और भद्दे दृश्य हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार के चित्रों को दिखाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हाँ, ये फिल्में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई हैं ।

(ख) जिन-जिन राज्यों में ये फिल्में दिखाई गई हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

फिल्म का नाम	राज्य जिसमें ये रिलीज की गई
1. अराऊंड दि वर्ल्ड	.. सभी राज्य
2. ज्युअल थीफ	.. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश ।

3. अमन	... मद्रास के अलावा सभी राज्य ।
4. प्यार मुहब्बत	... आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल को छोड़ कर सभी राज्य ।
5. आमने सामने	... केरल और आंध्र प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्य ।
6. एन ईवनिंग इन पेरिस	.. अभी तक कहीं भी रिलीज नहीं की गई ।
7- फर्ज	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ।

(ग) जी, नहीं केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की राय में नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के भद्रावती और गुलबर्ग केन्द्र

2923. **श्री कृष्णन् :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती और गुलबर्ग के वर्तमान रिले केन्द्रों को कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्रों में बदलने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) आकाशवाणी के मंगलौर और मरकारा के केन्द्र कब चालू हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शा) :

(क) और (ख) : भद्रावती और गुलब के वर्तमान रिले केन्द्रों को कार्यक्रम तैयार करने और मंगलौर तथा मरकारा में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की योजना आवश्यक साधनों और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर कार्यान्वित की जायेगी । अतएव, यह बताना सम्भव नहीं कि ये योजनायें कब अमल में लाई जायेंगी ।

Defence Laboratories

2924. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Minister of Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1022 on the 20th November, 1967 and state :

(a) the number of Officers and employees on the administration side in the Defence Laboratories; and

(b) the number of Scientific Officers and workers actually engaged on conducting experiments in the Defence Laboratories and their ratio inter se ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) and (b) The information is being collected from the various research and Development Laboratories and Establishments Located in different parts of India and will be laid on the table of the House.

कोरिया में महा वाणिज्यि दूतावास का कार्यालय स्थापित करना

2925. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है। कि कोरिया गणराज्य ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोरिया गणराज्य में महा वाणिज्य दूतावास का कार्यालय खोलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) सरकार कोरिया के साथ भारत का व्यापार बढ़ने की सम्भावनाओं के प्रति सजग है।

(ख) सरकार ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में प्रधान कौंसलावास खेलने का निश्चय किया है लेकिन विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी न होने के कारण अपने निर्णय को कार्य-रूप में नहीं बदल पाई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Pension by Ex-Army Personnel

2926. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the extent of increase granted in the pension of Ex-Army personnel in 1964;

(b) whether the amount has been paid to them;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if so, the period upto which payment has been made ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) No general increase in pension was granted to ex-Army personnel in 1964. Orders were issued in 1964 under which it was provided that where the rate of pension (other than reservist pension) together with the **ad hoc** increase was less than Rs. 25/- p.m., the same would be raised to Rs. 25/- p.m. in the case of personnel who retired on or after Ist January 1964.

(b) to (d) Pensions are paid through Treasury Officers, Post Offices and Pension Pay Masters at regular intervals (monthly, quarterly or half-yearly) in arrears. It is, therefore, not possible to ascertain whether all pensioners have drawn their pensions regularly and have not allowed them to fall in arrears. Collection of this information from pension disbursiug offices will take time and will be out of date by the time it is received, as payment of pension is a continuous process.

Army Storemen

2927. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Army, Storemen have been placed in group B and the Store Head (Technical) have been placed in Group E while the Store Head (Technical have to perform the duties of Storemen when they proceed on leave or are transferred;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring both these categories at par?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) to (c) The information is not readily available and is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Retired Army Store-Heads (Technical)

2928. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the **Minister rf Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to re-employ the retired Army Store-Heads (Technical), Storemen, Fitters and Drivers in E.M.E. Workshops;

(b) the number of such Workshops in the country; and

(c) the number of civilians and Army retired Officers working therein ?

The Minister of Defence (Shri Swarh Singh) :

(a) All suitable candidates including retired Army pessonnel are considered while filling up vacancies of Storemen (Technical) Fitters and Drivers in E.M.E. Workshops.

(b) and (c) The information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

Air Force Academy

2929. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have recently established an Air Force Academy like Military Academy in the country;

(b) if so, the venue thereof ;

(c) the academic and other qualifications prescribed for entrance therein;

(d) whether children of civilian employees are also admitted therein; and

(e) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh):

(a) and (b) An Air Force Academy is being established near Hyderabad to train pilots, Navigators, Ground Duty Officers (Non-Technical Branches) and Airmen aircrew (Signallers) of the Indian Air Force. The Academy will also train tpilos for the Army and pilots and navigators required for the Air Wing of the Navy.

(c) Separate academic qualifications have been prescribed for entry into the various branches of the Indian Air Force.

(d) and (e) Children of civilian emnloyees can be admitted only after recruitment to the Indian Air Force.

आई० ए० एफ० द्वारा विमानों द्वारा सामान गिराने का कार्य

2930. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री बी० चं० शर्मा** :

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमा में आई० ए० एफ० द्वारा विमानों द्वारा सामान गिराने का काम जारी हैं, जो काम पहले कार्लिग एयरवेज द्वारा किया जाता था ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल की वर्षा ऋतु में उस क्षेत्र के 30 स्थानों में आई० ए० एफ० सेवा न कर सकी ;

(ग) यदि हां, तो इस अक्षमता के क्या कारण हैं ; और

(घ) अन्त में विमानों से सामान गिराने के स्थायी प्रबंधों का क्या रूप निर्णीत किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) खराब मौसम और संक्रिया क्षेत्र से अपने आपको परिचित करने के लिए विमान के कर्मीदल को आवश्यक समय के कारण सामान गिराये जाने वाले कुछ क्षेत्रों में वर्षाऋतु में सेवा न की जा सकी ।

(घ) आई० ए० एफ० कार्य जारी ऐ रखेगा ।

कृषि कार्यों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग

2931. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **डा० रानेन सेन :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री श्री चन्द गोयल :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने परमाणु ऊर्जा के उपयोग द्वारा उर्वरकों का उत्पादन करने तथा उसके द्वारा 50 लाख से 70 लाख टन तक खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समाने रखा है ।

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने नेपथा फास्फोरस के उत्पादन के लिए पानी के विद्युत् विश्लेषण का उपयोग करने का सुझाव दिया है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली का संभरण बनाये रखने तथा उसकी कीमत को कम करने के लिए बड़े-बड़े कृषि प्रक्षेत्र बिजली के आस पास स्थापित किए जाने के बारे में उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; तथा

(घ) क्या इन सुझावों पर सरकार ने विचार किया है और यदि हाँ तो इन सुझावों को किस प्रकार से क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (घ) परमाणु ऊर्जा आयोग का एक अध्ययन दल इस समय भारत में बड़े परमाणु बिजली घरों के आस पास कृषि तथा उद्योगों के बड़े नमूह स्थापित करने से सम्बद्ध आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है । ऐसे परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की अभी कोई योजना नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सोवियत समाचार एजेंसी नोवस्ति तथा भारत सरकार के प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो के बीच कथित संविदा

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमान, मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"सोवियत समाचार एजेंसी नोवस्ति तथा भारत सरकार के प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो के बीच कथित संविदा, जिस के अनुसार रूस की प्रचार समाग्री तथा फोटोग्राफों का भारत में परिचालन प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरों द्वारा किया जायेगा।"

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

श्रीमान, मैं इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** । संख्या एल० टी० 1840/67]

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि (क) हमने नोवोस्ती के साथ यह करार क्यों किया जबकि वह सभी सामग्री की छानबीन के बिना उसका वितरण नहीं कर सकती; (ख) भारतीय समाचारपत्रों का एक भाग रूसी विचारधारा का प्रचार करता रहता है तो सरकार ने उनके कार्य को सरकारी तौर पर दोहराने का उत्तरदायित्व क्यों लिया है ; (ग) क्या विश्व में कोई ऐसा अन्य देश है जो किसी अन्य देश के लिये प्रचार करने का कार्य सरकारी तौर पर अपने ऊपर लेता है और (घ) मंत्री महोदय ने कहा है कि अन्य देशों की प्रचार सामग्री का वितरण भी इस देश में होता है। जब अन्य देशों के साथ कोई ऐसा करार नहीं हुआ है तो नोवोस्ती के साथ इस प्रकार के करार की क्या आवश्यकता थी ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य इस समझौते को पढ़ने से बाद संतुष्ट हो जायेंगे कि हमें सभी देशों की सभी सूचना सेवाओं से सामग्री प्राप्त होती है। मैं उन्हीं शर्तों पर किसी भी देश के साथ वैसा ही समझौता करने के लिये तैयार हूँ।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया (जालोर) : नोवोस्ती ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाये हैं। आज एक सरकारी एजेंसी उसके इस देश में प्रचार साधन बनने जा रही है। सरकार का यह कार्य कहां तक उचित है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह निर्णय मंत्रिमण्डल का है अथवा सम्बन्धित मंत्री का या ऐसा निर्णय सम्बन्धित विभाग ने किया है।

श्री के० के० शाह : जहां तक "रेडियो पीस एण्ड पराग्रेस" द्वारा प्रसारण का सम्बन्ध है, है, मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्णतया सहमत हूँ कि उसे इस प्रकार की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस सम्बन्ध में जांच की है। उसके लिये नोवोस्ती जिम्मेवार नहीं है।

जब प्रेस इन्फर्मेशन अफसर रूस गये थे, तब यह समझौता किया गया था। मैं नहीं समझता कि उस समझौते में कोई त्रुटिपूर्ण बात है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि नोवोस्ती 1962 में बनी थी और उसे सोवियत प्रचार संगठनों का सूचना विभाग बताया गया था। माननीय मंत्री इस करार द्वारा हमें सर्वोत्तम सोवियत विचारों के विचार जानने से

रोक रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उस प्रयोजन के लिये सब से खराब सोवियत अभिकरण को चुना है।

श्री के० के० शाह : इस समझौते के अधीन जो व्यवस्था की गयी है वह इसी सम्बन्ध में अन्य देशों से किये समझौतों से जरा भी अधिक नहीं है। हम अपनी प्रचार सामग्री अमरीकी सूचना सेवा तथा ब्रिटिश सूचना सेवा को दे रहे हैं। इस समझौते के अन्तर्गत इससे अधिक कुछ नहीं किया गया है।

श्री विश्वनाथ (बंडीवाश) : मास्को तथा अन्य स्थानों में हमारे देश के बारे में समाचार देने की मुख्य जिम्मेदारी वहां पर सूचना तथा प्रेस अफसरों पर है। क्या सरकार का विचार मास्को में प्रेस सेक्शन बन्द कर देने और यह कार्य नोवोस्ती को सौंपने का है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के समाचार पत्रों ने इस समझोते की निन्दा नहीं की है। क्या सरकार इस समझौते पर पुनर्विचार करेगी।

श्री के० के० शाह : यह कहना ठीक नहीं है कि सभी समाचारपत्रों ने हमारी निन्दा की है। स्टेट्समैने का कल का अग्रलेख 'इन्डिया एक्सप्रेस' के अग्रलेख से भिन्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : This agreement with Soviet News Agency was entered into in October. This House is holding its sittings since 13th November was it not proper for the Government to take the Parliament into confidence and inform the House The conditions on which the agreement was entered into. You should instruct the Government to inform the House about all such agreements in future, otherwise they will be guilty of Impropriety.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस समझौते से हमें बहुत लाभ होगा परन्तु इससे हमें हानि तो बहुत होगी और लाभ कुछ नहीं होगा। नोवोस्ती वितरण अभिकरण नहीं है। वितरण अभिकरण तास तथा अन्य अभिकरण हैं। तास के साथ सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : मैंने स्टेट्समैन का अग्रलेख पढा है। उसमें कहीं भी मंत्री महोदय के पक्ष का समर्थन नहीं किया गया है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The language of the Government and imposition of English has caused large scale disterbenes in Uttar Pradesh and other States. It is all due to the language policy of the Government of India. .....(Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : लखनऊ, बनारस आदि की घटनायें विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न हैं। जब सदन में भाषा विधेयक पर चर्चा होगी तो सभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न काल के पश्चात् प्रति दिन यह मामला उठाना उचित नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : It is not only a question of law and order. Therefore it is an issue for Adjournment motion and discussion should be held on this subjects..... (Interruption).

अध्यक्ष महोदय : आप का किसी दिन भी कोई भी मामला उठाने का यह तरीका गलत है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला आदि के मूल्यों सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) कोयला तथा साफ्ट कोक के मूल्यों तथा धुले हुए कोयले तथा कोयला धोने के कारखानों के उपोत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली के विषय में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1967) ।

(2) तरकारी संकल्प संख्या सी 5-12 (18)/67, दिनांक 27 नबम्बर, 1967 ।

(3) ऊपर की मद (1) तथा (2) के दस्तावेज उक्त अधिनियम में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालयमें रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1839/67]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्यसभा ने अपनी 30 नवम्बर, 1967 की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967 को पारित किया ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 28 नवम्बर, 1967 की बैठक में कीटनाशी विधेयक, 1967 को पारित किया ।

राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक सभा पटल पर रखे गये ।

BILLS PASSED BY RAJYASABHA—LAID ON THE TABLE

सचिव : श्रीमान, मैं राज्य-सभाद्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1967

(2) कीटनाशी विधेयक, 1967

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

नवाँ प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूँ ;

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से, जो 1 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

Shai Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The time allotted for the official langugae Bill is not adequate. At least thirty hours should be allotted.

Shri Sheo Narain (Basti) : 36 hours should be allotted for the Official Languages Bill.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : श्रीमान्, राज-भाषा संशोधन विधेयक तथा भाषा संकल्प दोनों पर एक साथ चर्चा करना ठीक नहीं है । चर्चा अलग-अलग होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय चर्चा का विषय दूसरा है । डा० राम सुभग सिंह ।

Minister for Parliamentry Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : Sir, as you know that only 46 hours are at our disposal during the current Session. I would therefore requst that we should take only twelve hours for the discussion of this Bill.

श्री नम्बियार : माननीय मन्त्री कृपया अंग्रेजी में बोलें क्योंकि वे अंग्रेजी जानते हैं । अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमें इसे स्पष्ट करना चाहिये । माननीय मंत्री ने पहले अंग्रेजी में बोलना आरम्भ किया और उसके पश्चात् एक माननीय सदस्य ने उनसे हिन्दी में बोलने का आग्रह किया । जो सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनके लिये हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था है । हमारे पास अंग्रेजी अनुवाद है । हम किसी भी सदस्य से किसी विशेष भाषा में बोलने का आग्रह नहीं कर रहे हैं । यह बात हम अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देते हैं (अन्तर्बाधाएं) ।*

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति

ये बातें कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेंगी ।

कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सभा में कोई भी सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोल सकता है । सौभाग्य से यहाँ अनुवाद की व्यवस्था का भी प्रबन्ध है । इसलिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी बोलने पर आपत्ति नहीं की जा सकती । माननीय सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहें उसमें बोलने मे स्वतन्त्र हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In view of the number of amendment circulated and the controversal rature of the Bill, it appears that twenty hours will not do.

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not Record

अध्यक्ष महोदय : यदि बाद में आवश्यक हुआ तो कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक बुलाई जा सकती है जहां विभिन्न दलों के नेता इस संबंध में नया निर्णय ले सकते हैं ।

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION Re: SITUATION IN WEST BENGAL—**Contd.**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा पुनः आरम्भ करेगी। चार बजे तक चर्चा पूरी हो जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सभा के समक्ष दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव श्री मुकर्जी का है और दूसरा गृह मंत्री जी का है। मेरे विचार से गृह मंत्री सभा से अपने भाषण के अनुमोदन की प्रार्थना नहीं कर सकते । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सभा वहां की विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण के बारे में चर्चा कर सकती है ? इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि आप माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय का समर्थन करते हुये वहां के अध्यक्ष के आचरण का बचाव करें। यदि हम गृह मंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं तो इसका अर्थ पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के विनिर्णय पर आपत्ति करना होगा । इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ कि क्या ऐसा प्रस्ताव इस सभा में लाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना तीन दिन पूर्व दी गई थी, इसलिये मैंने इसे उठाने की आज्ञा दे दी है परन्तु इस पर चर्चा हो चुकी है। दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं और हमारे पास केवल दो घंटे का समय है। यदि इसी प्रकार व्यवस्था के प्रश्नों पर समय नष्ट होता रहा तो बहुत कम समय चर्चा के लिये बच पाएगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमन् श्री बनर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। यदि गृह मंत्री जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं तो इसका अर्थ एक विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा सभा के अन्दर अपनाये गये व्यवहार की आलोचना करना होगा जो एक खतरनाक संसदीय प्रक्रिया बनाने के समान होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले पर पुनः विचार करें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस प्रस्ताव के द्वारा हम राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णय पर कोई निर्णय नहीं मांग रहे हैं । किन्तु यह देखना कि क्या कोई राज्य सरकार असंवैधानिक तरीके से तो नहीं चलाई जा रही। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार के साथ-साथ इस सभा का भी इस बारे में एक निश्चित मत हो । अतः मैंने यह प्रस्ताव रखा है (अन्तर्बाधायें) ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि इस वक्तव्य का अनुमोदन करने से हम अध्यक्ष के आचरण की आलोचना नहीं कर रहे हैं..... (अन्तर्बाधायें) हमें इस विषय पर और वाद-विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हो० ना मुकर्जी : मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि यदि केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कोई गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था तो उसे दूर करने के लिये अन्य उपाय किये जाते न कि वहां के अध्यक्ष को घसीटा जाता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, the Home Ministers' inform clearly brings in criticism of the Speakers' conduct in a direct or an indirect manner. He can even now bring in another endorsing the Governor's action in West Bengal.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यदि यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया जाये फिर भी क्या यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पर अनिवार्यतः लागू हो सकता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या उपाध्यक्ष का विनिर्णय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के अनुकूल है । यदि नहीं तो यह सभा उनके वक्तव्य का अनुमोदन कैसे कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदस्यों ने एक ही बात कही है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह स्पष्ट है कि विधान सभा अध्यक्ष के विनिर्णय पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई चर्चा नहीं की जा सकती । इसलिये वे वाक्य प्रस्ताव से निकाल दिया जाना चाहिये ताकि मुक्त रूप से चर्चा की जा सके ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापतनम्) : मेरा व्यवस्था प्रश्न भिन्न है । एक प्रस्ताव के होते हुये दूसरा ऐसा ही प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । हाँ उस पर संशोधन लाये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कई बार कई प्रस्ताव एक साथ पेश किये जा चुके हैं । इस समय प्रश्न विधान सभा अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा करने का नहीं है ।

श्री जो० भा० कृपालानी (गुना): मुझे इस विषय पर बोलते हुये दुख होता है । खेद है कि कांग्रेस तथा विरोधी दलों दोनों ने ही प्रजातंत्र को धक्का चहुंचाया है । हमें अपने आदर्शों के अनुकूल आचरण करना चाहिये न कि दूसरों के गलत आचरण से प्रभावित हो कर स्वयं भी गलत काम करने चाहिये । हमारे सभी कार्य तथा धारणाएं स्वार्थ और निजी हित प्रधान होते हैं । आप देखें कि पंजाब, हरयाना तथा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भिन्न-भिन्न आचरण किये हैं, और सभी प्रदेशों में यह आचरण निन्दनीय रहा है । इसी प्रकार विरोधी दल भी अपना आचरण समान नहीं रख पाये । मध्य प्रदेश में उन्हीं परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा की गई और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ऐसी ही कार्यवाही की विरोधी दलों ने आलोचना की है । राज्यपाल के कृत्यों को किसी भी कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती जबकि मंत्रियों, संसद-सदस्यों और कार्यपालिका के कृत्यों को चुनौती दी जा सकती है ।

किसी भी कार्य के दो पहलू अथवा पक्ष होते हैं चाहे वह उचित हों अथवा अनुचित, चाहे वह वांछनीय हों अथवा अवांछनीय, चाहे वह संवैधानिक हों अथवा संविधान के विरुद्ध । एक ही वकील दोनों पक्षों के लिये जोरदार तर्क दे सकता है और इस प्रकार सच को झूठ और उचित को अनुचित सिद्ध कर सकता है ।

अब प्रश्न अध्यक्ष के आचरण का है । अध्यक्ष महोदय, आप को छोड़ कर सभी पहले अध्यक्षों ने उस दल से अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा जिसने उन्हें अध्यक्ष बनाया । यही स्थिति पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष की भी है । अपने आचरण से भले ही अध्यक्षों ने अपने दलों का पक्ष लिया हो और उनकी रियायत की हो किन्तु किसी भी अध्यक्ष ने किसी सरकार से वैध और अवैध ठहराने के बारे में अपना मत व्यक्त नहीं किया है और न अध्यक्षों ही के अधिकार क्षेत्र में यह आता है । पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने यह मत अपने अधिकारों से बाहर जा कर व्यक्त किया है यद्यपि वह सरकार गलत थी ।

श्री भोगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : क्या हम यहां विधान सभा अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब सभी समाचारपत्रों में चर्चा हुई है तो यहां चर्चा करने में क्या हानि है ?

श्री जी० भा० कृपालानी : साथ ही संसद्-सदस्यों ने भी इस पर चर्चा की है—सदन से बाहर ।

श्री नम्बियार : प्रश्न यह है कि क्या यहाँ यह चर्चा की जा सकती है ?.....

बहुत बुरे उदाहरण तथा बुरी परम्पराएँ कायम करने के लिये मैंने कांग्रेस की कई बार निन्दा की है । मैंने विरोधी दल के सदस्यों को बाहर यह कहते हुए सुना है कि अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन-सी सरकार होनी चाहिए अथवा कौन सी नहीं और उन्होंने (अध्यक्ष) सरकार के कहने पर वह काम किया जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का था । उन्होंने यह कहते हुए भी कि सरकार कौन होनी चाहिए इसका एक मात्र फैसला विधान सभा कर सकती है, विधान सभा को वहाँ उपस्थित सदस्यों से परामर्श किये बिना स्थगित कर दिया गया है और यदि वह वास्तव में अपनी न्यायिक बुद्धि से काम लेते, सो इसका फैसला केवल दो मिनट में हो सकता था ।

हमने कांग्रेस की उन निर्णयों के लिये जिनसे उनके प्रयोजन की सिद्धि होती थी, कई बार निन्दा की है, चाहे वे गलत थे अथवा सही । लेकिन विरोधी दल को भी चाहिए कि वह दुहरा स्तर न अपनाएं, एक की दूसरे को नीचे गिराने की प्रवृत्ति अवांछनीय है जिससे केवल लोकतन्त्र को ही आघात नहीं पहुंचता अपितु देश को भी हानि होती है और मेरा विश्वास है कि दोनों पक्ष इस प्रवृत्ति के शिकार हैं जो देश भक्ति के खिलाफ है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा): मैं गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ और श्री ही० ना० मुखर्जी के प्रस्ताव का विरोध करती हूँ ।

विचारार्थ विषय के वास्तव में दो पहलू हैं—पहला यह कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अन्तर्गत राजपाल की कार्यवाही की संवैधानिकता और दूसरा, क्या अध्यक्ष को राज्यपाल की कार्यवाही की आलोचना करने की शक्ति प्राप्त है और क्या वह संविधान के उपबन्धों की अधिकारपूर्ण व्याख्या कर सकता है। हमें इन दो पहलुओं पर विचार करना है।

हमारे संविधान के अनुसार राज्यपाल मूलतः संवैधानिक प्रमुख है और केवल उस स्थिति को छोड़कर जब कि उसे संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। कुछ ऐसे स्पष्ट उपबन्ध हैं जहाँ उसे अपने स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है किन्तु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब कि अप्रत्क्ष रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि राज्यपाल को अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की छट है। उदाहरणार्थ जब अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वह रिपोर्ट तैयार करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे इस संबंध में अपने स्वविवेक का प्रयोग करना होता है इसके अलावा जब यह मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है, तो यह स्पष्ट है कि उस समय उसे मंत्रिपरिषद कोई सलाह नहीं देगी। इसलिये बात राज्यपाल पर ही छोड़ दी जाती है कि वह कब और किस अवसर पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करे।

जहां तक विधान सभा को भंग करने का सम्बन्ध है, इस मामले में पर्याप्त मतभेद हो सकता है कि क्या उसे उस परिस्थिति में भी, जब कि यह बात विवादास्पद हो कि मंत्रिपरिषद को बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने अथवा ठुकराने से पूर्व सम्पूर्ण सम्बन्धित परिस्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिये राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति के बारे में व्याख्या इतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाई देती है। इससे भी कहीं अधिक बारीकी के मसले हैं, जहां उसे अपने स्वविवेक का प्रयोग करना होता है।

बंगाल के मामले में, बंगाल के मुख्य मंत्री ने ही मंत्रिमंडल की निन्दा की । उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो देश में सशस्त्र क्रान्ति पैदा करने के लिये चीनियों के एजन्टों के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्पाल के लिये स्वविवेक का प्रयोग करना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर वह अपनी शपथ का, जो उसने देश के लिये ली है, पालन करने में असफल होता है।

जब संविधान सभा ने राज्यपालों के अधिकारों सम्बन्धी उपबन्ध पर चर्चा हो रही थी, डा० अम्बेडकर को जिन्होंने संविधान प्रस्तुत किया था, कहना पड़ा था :

" इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि संविधान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल तब तक पद ग्रहण करेगा जब तक कि उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त होगा । इस सिद्धान्त के आधार पर संविधान कार्यान्वित होगा । " प्रसाद पर्यन्त" का अर्थ सदा ही यह समझा जाता है कि बहुमत का विश्वास न रहने पर प्रसाद जारी नहीं रहेगा। जब मंत्रिमंडल का बहुमत नहीं रहता तो यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति (अथवा राज्यपाल) मंत्रिमंडल बर्खास्त करने के लिये अपने प्रसाद का प्रयोग करेंगे । अतः संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विचार नहीं किया कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल को मंत्रिमंडल बर्खास्त करना चाहिए डा० अम्बेडकर ने आगे कहा".....वे मंत्रिमंडल को बनाये रखेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल उनने प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। वह यह भी देखेंगे कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल के विरुद्ध अपने प्रसाद का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए ।"

इसके अलावा, राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में मन्त्रिमंडल को सीधे ही बर्खास्त नहीं किया। जब उनके मूल्यांकन के अनुसार मन्त्रिमंडल का बहुमत न रहा तो उन्होंने चाहा कि विधान सभा बुलाई जाये ताकि शक्ति परीक्षण किया जा सके। लेकिन तदेन मुख्य मंत्री विलम्ब कर रहे थे । इसलिये राज्यपाल को यह कदम उठाना पड़ा ।

जहाँ तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है मैं अध्यक्ष के ऊपर कोई कीचड़ उछालना नहीं चाहती और न ही उनकी कार्यवाही की कोई आलोचना करना चाहती हूँ। किन्तु संविधान में अध्यक्ष को संवैधानिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिये उन्हें यह घोषणा करने का अधिकार नहीं है कि घोष मन्त्रिमंडल अवैध है। जहाँ तक सभा को स्थगित करने का सम्बन्ध है, वह सभा को इस प्रकार स्थगित तभी कर सकते हैं जब कि सभा कि कार्यवाही सभा के नियमों के अनुसार ठीक ढंग से न चलाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ तक सभा को स्थगित करने का सवाल है, आप कम से कम इस पहलू पर न जाइये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं इह पहलू को छोड़ रही हूँ। मैं विधान मंडल की सर्वोच्चता के सिद्धान्त के प्रश्न पर आती हूँ। विधान मंडल की सर्वोच्चता संसदीय सरकार की मूलभूत कल्पना है । पश्चिम बंगाल में भी पी० सी० घोष ने सत्तारूढ़ होते ही विधान सभा की बैठक

बुलाने का अनुरोध किया, किन्तु उन्हें विधान सभा का निर्णय प्राप्त नहीं होने दिया गया और सभा की बैठक नहीं होने दी गई ।

तथ्य यह है कि राज्यपाल ने घोष मंत्रिमंडल की सलाह पर विधान सभा की बैठक बुलाई। अध्यक्ष ने तुरन्त ही विधान सभा की बैठक बुलाई। सूचनाएँ भेज दी गईं। कार्यसूची परिचालित की गई। अध्यक्ष ने एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को जो भूतपूर्व मंत्रालय की बर्खास्तगी के साथ ही त्यागपत्र दे चुके थे और श्री घोष द्वारा मतोनीत किये जाने पर, फिर से शपथ दिलाई। विधान सभा में सदस्यों को स्थान दिये गये। प्रगतिशील लोकतंत्री मोर्चे के सदस्यों और कांग्रेसी सदस्यों को सरकारी बेंचों पर बिठाया गया। इन सभी बातों से अध्यक्ष द्वारा घोष मंत्रिमंडल को वैध मान लिये जाने की स्वीकृति और विधानसभा की बैठक बुलाये जाने की वैधता स्पष्ट होती है ।

कानून और व्यवस्था के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है। इसके बिना सामाजिक या आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी अव्यवस्थित है क्योंकि लोग वहाँ कानून की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का यह उत्तर-दायित्व हो जाता है कि वह वहाँ की जनता को संरक्षण प्रदान करे।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) अजय मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी संवैधानिक उपबन्धों की स्पष्ट हत्या है ; भारतीय संविधान के अधीन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह केवल यह समझ कर ही कि मंत्रिमंडल की विधान सभा का बहुमत प्राप्त नहीं है, वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सके। इस सम्बन्ध में भी अ० कु० सेन जैसे विधिवेत्ता ने नाइजीरिया के संविधान का जो उल्लेख किया है और जो कि बिलकुल असंगत है, वह केवल इसलिये कि उन्हें अपने तर्क की पुष्टि करने के लिये भारतीय अथवा ब्रिटिश संविधान में ऐसी कोई बात नहीं मिली। जहाँ तक भारत की स्थिति का सम्बन्ध है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1955 में यह सर्वसम्मत निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रमुख है ।

संविधान के अनुच्छेद 164 (1) तथा 164 (2) के अनुसार यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है और इस सम्बन्ध में संविधान सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसके अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्य तथा निर्वाचित विधान मंडल के प्रति ही उत्तरदायी होती है। राज्यपाल केवल राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इस मामले में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया निर्णय ही अन्तिम समझा जाना चाहिये। यदि गृह-कार्य मंत्री इस धारणा से सहमत हैं, तो पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी अवैध है। यदि इसी मनमाने ढंग से जो कि पश्चिम बंगाल के मामले में अपनाया गया है, काम लिया गया, तो हमारे संविधान के मूलभूत आधार को खतरा हो सकता है।

अब दूसरा पहलू लीजिये—जनता के बारे में—जिसमें प्रजातंत्र में सर्वोच्च शक्ति निहित है—तथा उसकी राय के बारे में, जिसको इच्छा सर्वोपरि है। जनता किसी कार्यक्रम या नीति के आधार पर ही अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। दल परिवर्तन करने वाले उन 18 सदस्यों को अब जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि उनको निर्वाचित करने वाले लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर उन्हें निर्वाचित किया था। यदि विधान सभा के इन सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि वे उस नीति का पालन नहीं कर सकते जिसका उन्होंने जनता से वायदा किया था, तो उन्हें जनता के पास जाकर बताना चाहिये था कि वे किन कारणों से अपनी नीति बदलना चाहते हैं और उन्हें इस सम्बन्ध में फिर से जनता की स्वीकृति ले लेनी चाहिए थी। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता राज्यपाल के हाथ में नहीं अपितु जनता के पास है और प्रजातन्त्र का अर्थ है—जनता की इच्छा—उसकी राय।

हरयाना में यद्यपि मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त था तथापि वहां पर मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी का करण यह बताया गया कि विधान सभा के सदस्य बार-बर दल-बदल कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में क्या हुआ ? वहाँ दल परिवर्तन करने के लिये दबाव डाला गया और दल परिवर्तन करने वाले को 'मंत्री बनाकर' पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1959 में केरल सरकार यह कहकर बर्खास्त कर दी गई कि उसने जनता का समर्थन खो दिया है, हालांकि विधान सभा में सरकार को बहुमत प्राप्त था। अब आप स्पष्टतः देखेंगे कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये किस प्रकार बन्दर के न्याय की नीति का अनुसरण करता है ; यदि देश में लोकतंत्र पद्धति को इसी तरह क्रियान्वित किया जाना है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि हम उसका विनाश करने के लिये लड़ेंगे। हमें ऐसे लोकतंत्र की आवश्कता नहीं है जिसके साथ केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अपनी मर्जी के मुताबिक खिलवाड़ करे और अपने को किसी न किसी तरह सत्तारूढ़ बनाये रखे।

ऐसी स्थिति में जब कि सत्ताधारी लोग ही लोकतंत्र की जड़ खोखली करने में लगे हैं और संविधान के साथ मजाक कर रहें हैं, और उसकी नींव को हिला रहे हैं,तो जनता भी ऐसी सरकार को पंगु करने की भरसक कोशिश करेगी। बंगाल की जनता ने निश्चय किया है कि वह घोष सरकार को किसी भी परिस्थित में नहीं चलने देगी और वे जब तक उसे हटा न लें, चैन की सांस नहीं लेंगे।

श्री न० कु० साल्वे (बतूल) : बंगाल में राजनैतिक घटनाओं की प्रवृत्ति से देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को गंभीर खतरा है, जो व्यक्ति शक्तियों का एकीकरण चाहते हैं, जिनसे लोकतंत्र में स्थिरता आयेगी और उसकी जड़े मजबूत होंगी, उन्हें राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा की इन कार्यवाहियों, बढ़ती असहिष्णुता तथा गाली-गलौज की निन्दा करेंगे। राज्यपाल की मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी सम्बन्धी कार्यवाही और अध्यक्ष की विधान सभा को अनिश्चित काल तक के

लिये स्थगित करने की कार्यवाही के बारे में हमारी रायें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं; किन्तु हिंसात्मक कार्यवाहियों का समर्थन कोई भी विवेकशील व्यक्ति नहीं कर सकता।

सभा के समक्ष जो दो प्रस्ताव हैं। उनमें से एक में, जो श्री ही० ना० मुकर्जी का है, चरम और अप्रत्याशित कार्यवाही का सुझाव दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया जाये और जसका अपमान किया जाये। यह तभी न्यायोचित हो सकता है जब संवैधानिक रूप से यह प्रमाणित तथा ज्ञात हो जाये कि राज्यपाल ने अपने कर्तव्यों का हनन किया है और संविधान के अधीन उनका जो उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य था, उसका पालन नहीं अपितु हत्या की है।

संविधान के अनुच्छेद 164 को रससारी नजर से देखा जाये, तो मालूम होगा कि विधान सभा में जब मंन्त्रिपरिषद को अधिकाँश विधायकों को विश्वास प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का आवश्यक अधिकार प्राप्त है।

राज्यपाल को उस मंत्रिमंडल की बात माननी चाहिये जिसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त है। परन्तु वहाँ तो मंत्रिमन्डल के साथ बहुमत नहीं था। संविधान के बनाने वालों की इच्छा यह थी कि यदि मंत्रिमंडल के साथ विधान सभा का बहुमत है तो राज्यपाल को उसकी राय के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल का मत तथा बहुमत साथ-साथ चलने चाहिये। परन्तु जिस समय बहुमत मंत्रिमंडल के साथ नहीं है तो राज्यपाल को उसकी बात नहीं मामनी चाहिये विशेषकर बहुमत खोये मंत्रिमंडल की यह बात कि उनका मंत्रिमंडल बना रहे।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल को उस मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार है जिसके साथ बहुमत नहीं है।

साथ ही एक और बात भी याद रखनी चाहिये कि राज्यपाल ने मन्त्रिमन्डल को एक दम भंग नहीं किया अपितु उन्होंने मुख्य मंत्री को अवसर दिया कि वह विधान सभा की बैठक बुलाये और वहां यह सिद्ध करे कि बहुमत उसके साथ है। मुख्यमंत्री तो विधान सभा की बैठक बुलाने में भी झिझक रहा था। उससे स्पष्ट हो गया कि बहुमत श्री मुखर्जी के साथ नहीं है। उसके पश्चात ही राज्यपाल ने श्री घोष को मंत्रिमंडल बनाने का आदेश दिया क्योंकि बहुमत उसके साथ था। क्या यह संवैधानिक अनैतिकता का कार्य है? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस कार्य की तो भर्त्सना की जा रही है जिसके द्वारा मंत्रिमंडल के बहुमत का पता चले और उस कार्य की प्रशंसा की जा रही है जिसके द्वारा बहुमत का पता भी नहीं लगने दिया गया तथा सभा की कार्यवाही को भी नहीं चलने दिया गया। इससे से अधिक बेहूदी बात और क्या हो सकती है।

मैं राज्यपाल श्री धर्मवीर की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने साहस से कार्य किया। मैं तो सरकार की भर्त्सना इस बात के लिये करूंगा नि उन्होंने यह कार्य पहले क्यों नहीं किया। उसे चाहिये था कि जो हिंसा तथा लाकानूनी पश्चिमी बंगाल में चल रही थी उसे पहले ही रोकना चाहिये था।

श्री समर गुह (कन्टाई): महोदय बंगाल के राज्यपाल के मनमाने कृत्य के कारण एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। आज भारत में संविधानिक लोकतन्त्र को खतरा है।

कुछ दिन पूर्व मैंने केन्द्रीय सरकार को कहा था कि वह एक नियुक्त किये हुए राज्यपाल को यह अधिकार न दें कि वह एक चुने हुए मंत्रिमंडल को भंग कर दे। आप अब देख चुके हैं कि दो बम तो पहले ही गिर चुक हैं। एक तो पश्चिमी बंगाल के विधान सभा के अध्यक्ष ने राज्यपाल के कार्य की भर्त्सना की है। दूसरे बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया है। मैं उन दोनों को बधाई देता हूं कि वह लोकतन्त्र को बचाने का कार्य कर रहे हैं।

मैं श्री धर्मवीर को बुरा नहीं कहता हूं क्योंकि अन्तोगत्वा वह केन्द्र द्वारा नियुक्त किये गये हैं और इनके एजेन्ट हैं। मैं तो केन्द्रीय सरकार की निन्दा करता हूं।

यदि श्री धर्मवीर 18 दिसम्बर को विधान सभा की बैठक हो जाने देते तो वहां दर्जनों व्यक्ति जो बाद में मरे हैं तथा 400 से भी अधिक लोग जेल में बन्द किये गये हैं वह नहीं होता।

मैं वहां के अध्यक्ष की प्रशंसा करूंगा कि यदि राज्यपाल ने एक गलत कार्य किया तो उन्होंने भी एक गलत कार्य किया।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह अध्यक्ष महोदय के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को अध्यक्ष तथा उसके अभिकथन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री समर गुह : राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावसान करके अध्यक्ष को अवसर नहीं दिया कि वह अपना अन्तिम निर्णय दे सके। कुछ कांग्रेसी सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार में लोकतन्त्र से प्यार करने वाले सब लोग इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि वहां अच्छा राज्य नहीं था परन्तु क्या उन्हें पता है कि यह सब कांग्रेस के गत 20 वर्ष के खराब राज्य के कारण ही है। सच तो यह है कि यह सब कांग्रेस के सत्ता प्राप्त करने के लालच के कारण हो रहा है। वही केन्द्र द्वारा नियुक्त किये राज्यपालों से संवैधानिक लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहते हैं।

अब समय आ गया है कि वहां फिर से चुनाव कराये जायें ताकि संवैधानिक समस्या का निवारण हो सके।

श्री शशिरंजन (पयरी) : महोदय, मैं श्री ही० ना० मुखर्जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हम सब को लोकतन्त्र में आलोचना करने का अधिकार है।

पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष ने अपने विनिर्णय का आधार श्री नौशीर अली के एक विनिर्णय को बनाया है । मैं कहना चाहता हूँ कि श्री नौशीर अली के समय में तो सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। इसलिये आज वह बात नहीं है । मेरे विचार में अच्छा यह होता कि आप वह बात मानते जो 1952 में मद्रास के अध्यक्ष ने की । संविधान के अनुसार विधान मंडल में उसके दोनों सदन तथा राज्यपाल शामिल हैं।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष ने जो किया, वह उसे करने का अधिकार था। वह फैसला कर सकता है कि सदन को अनिश्चित काल तक के लिये कब स्थगन करना है । परन्तु क्या अध्यक्ष मनमानी कर सकता है और तानाशाह बन सकता है ?

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : महोदय, इन्होंने अध्यक्ष को तानाशाह कहा है, । यह शब्द निकाल दिये जायें

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आरंभ में ही कहा था कि अध्यक्ष को बीच में न घसीटें क्योंकि ऐसा करने से अन्तर्बाधायें होनी आरम्भ हो जायेंगी।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : * *

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, I want to know whether I have a right to raise a point of order or not because you stopped me from doing so?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह कहा था कि यदि इस प्रकार व्यवधान होता रहा तो कार्यवाही का चलाना कठिन हो जायेगा । अब श्री शशिरंजन को अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

श्री शशिरंजन : महोदय, पश्चिमी बंगाल में नक्सलबाड़ी के समर्थन में नारे लगाये जाते हैं । मैंने कहा था कि यदि नक्सलबाड़ी की घटनाओं को बचाना चाहते हो तो संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना होगा । अब मैं फिर सरकार को चेतावनी देता हूँ की स्थिति को ठीक नहीं किया तो बंगाल चीन का भाग बन जायेगा और हमारे हाथ से निकल जायेगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखा पत्तनम) : महोदय वैसे तो यह "धर्म चक्र प्रवर्त्तनाय" लिखा हुआ है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हम "अधर्म चक्र प्रवर्त्तनाय" के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ।

जब हमने समाचार पत्रों से पढ़ कर सुनाया तो गृह कार्य मंत्री ने कहा कि यह समाचार-पत्रों से पढ़ रहे हैं उनका क्या विश्वास । परन्तु वह स्वयं जब उनके समर्थन में कोई समाचार होता है तो समाचार पत्रों को पढ़ कर सुनाते हैं और कहते हैं कि वहां अराजकता है । यदि ऐसा ही है तो सबसे अच्छा यह है कि वहाँ विधान सभा को भंग कर दिया जाये और नये चुनाव कराये जायें । फिर भारत के लोगों को पता चल जाये कि वास्तविकतायें क्या हैं।

सदन में संवैधानिक प्रश्नों पर चर्चा इस कारण नहीं हो सकती क्योंकि यहां दोनों

* कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not Recorded.

पक्षों की ओर से जहर उगला जाता है । गृह मंत्री ने कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिमण्डल को हटाने का पूर्ण अधिकार है और किसी अन्य व्यक्ति ने भी यह तर्क दिया था कि जो नियुक्त करता है उसे हटाने का अधिकार भी है । पर ऐसा समझना गलत है । नारद सूत्र में कहा गया है दिया हुआ वचन, स्त्री और उपहार वापस नहीं लिया जा सकता। यदि किसी को नियुक्ति का अधिकार है तो उसका यह अर्थ नहीं की उसे हटाने का भी अधिकार होगा। संविधान के निर्माताओं ने अगले ही खंड में यह कहा है कि इस प्रकार नियुक्त की गई परिषद विधान मन्डल के प्रति उत्तरदायी होगी । अतएव उन्हें मंत्रिमण्डल को हटाने का कोई अधिकार नहीं है और यह अधिकार यदि किसी को है तो वह विधानमण्डल को ही होना चाहिए ।

मैं मानता हूँ कि युनाइटिड फ्रंट सरकार को विधान मण्डल से बहुत पहले परामर्श कर लेना चाहिए था परन्तु उनका यह कहना कि असेम्बली की बैठक 18 दिसम्बर को होगी न तो गैर कानूनी था और न ही असंवधानिक। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम दो प्रस्तावों पर एक साथ बहस नहीं कर सकते क्योंकि श्री चह्वाण के प्रस्ताव पर बोलते हुए अध्यक्ष के बारे में कुछ कहना जरूरी हो जाता है जिसकी कि आप अनुमति नहीं देते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुबह भी यह बात उठाई थी। श्री चव्हाण के वक्तव्य में 'इस बात के बिना' शब्द हैं । मैंने उस वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है । इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मैं तो केवल अपनी कठिनाई बता रहा था, अध्यक्ष के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कह रहा था । केन्द्रीय सरकार ने कैसे कह दिया कि राज्यपाल को ऐसा अधिकार था । यह पहली गलती थी। अध्यक्ष द्वारा विधान सभा को स्थगित करना दूसरी गलती थी। संविधान बिल्कुल खत्म हो गया है। यदि डा० पी० सी० घोष अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं ? सारे भारत में आग लगी हुई है । केन्द्रीय सरकार को मेरी सलाह यही है कि सभा को अब विघटित कर दिया जाए और दो तीन महीनों में नये चुनाव कराये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हीरेन मुकर्जी अब उत्तर देंगे और बाद में मैं गृह-कार्य मंत्री को बुलाऊंगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम्) : पहले गृह-कार्य मंत्री बोलें, बाद में श्री मुकर्जी उत्तर देंगे । मंत्री महोदय केवल एक बार ही बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मांग की गई थी कि सरकार वाद-विवाद का उत्तर दे इसी लिए मैंने कहा था कि मंत्री महोदय अन्त में बोलेंगे परन्तु यदि आप जोर देते हैं तो वह बोलेंगे परन्तु अन्त में उत्तर देने का भी उन्हें अधिकार होगा क्योंकि वह प्रस्तावक हैं।

श्री नम्बियार : (तिरुचिरापल्लि) दो प्रस्तावों को एक साथ लेने में यही त्रुटि होती है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, चार घंटे तक इस वाद-विवाद को सुनने के बाद, जिसमें राज्यपाल के लिये कई गालियों और विशेषणों का प्रयोग किया गया, यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उन्होंने जो किया गलत था और न ही संवैधानिक अथवा राजनैतिक स्तर पर कोई ठोस बात कही गई है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair)

जहां तक भाषा के सौन्दर्य का सम्बन्ध है, श्री मुकर्जी का भाषण बहुत सुन्दर था। परन्तु वास्तविक प्रश्न तो यह था : संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का क्या स्थान है ? कई सदस्यों ने बड़े प्रभावी ढंग से इस बात को कहा है कि विशेष परिवस्थतियों में राज्यपाल को काफी सक्रिय कार्यवाही करनी पड़ती है। अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यपाल के कृत्य बताये गये हैं। यह ठीक है कि मंत्रिमण्डल राज्यपाल के 'प्रसाद' से ही पदारूढ़ रहता है। इस शब्द के अर्थ, विवेचन और प्रयोग के बारे में विवाद चल रहा है। अब माननीय सदस्य स्वंय चाहते हैं कि राष्ट्रपति अपने प्रसाद का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को पदच्युत कर दें। यह बड़ी विचित्र बात है कि जब उनके अनुकूल होता है तो वह कहते हैं कि पदच्युत करने के अधिकार का प्रयोग किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को चुना नहीं जाता है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है। संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के कतिपय स्वविवेकीय कर्तव्य हैं। अब मैं एक सीधा सादा प्रश्न पूछना चहता हूँ कि जब एक राज्यपाल एक दल के नेता को मुख्य मंत्री बनने के लिये आंमत्रित करता है, यदि हम यह कहें कि वह केवल एक संवैधानिक मुखिया है और उसे मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य करना है .....

एक माननीय सदस्य : उस समय नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आप कैसे कह सकते हैं। यह तो आप मानते हैं कि कतिपय परिस्थतियों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम लेना पड़ता है। संसदीय लोकतंत्र का सारा नाजुक खेल विधान मंडल और कार्यकारिणी के आपसी सम्बन्धों में नाजुक सन्तुलन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत राज्यपाल को यह देखना होता है कि कार्यकारिणी सामुहिक रूप से विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने प्रसाद का प्रयोग केवल यह निर्णय करने के बाद ही कर सकता है कि सम्बन्धित नेता को सभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं। यही सारी बात का सार है ?

बंगाल में राज्यपाल क्या कर रहे थे ? वह केवल कार्यकारिणी और विधान सभा को एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। कई व्यक्तियों ने उन्हें लिख कर दिया था कि वे सरकारी दल का अब समर्थन नहीं करते। राज्यपाल स्पष्टतः जानते थे कि मुख्य मंत्री बहुमत खो चुके थे। उन्होंने सभा की बैठक शीघ्र बुलाने के लिये कहा जिसका उत्तर छः या

आठ सप्ताहों के बाद दिया गया था। राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को पुनः कहा कि बैठक मुनासिब समय के अन्दर बुलाई जानी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृहकार्य मंत्री ने इस बात की जांच की है कि 21 नवम्बर को, अजय मुकर्जी मंत्रिमंडल कों बर्खास्त करने से पहले, राज्यपाल ने श्री अजय मुकर्जी को कहलवा भेजा था कि सभा की बैठक जल्दी बुलाई जाये और श्री मुकर्जी ने जवाव में कहा कि वह 23 नवम्बर तक इस बारे में कुछ कह सकेंगे ? राज्यपाल ने 23 नवम्बर तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी जानकारी है कि राज्पाल ने मुख्य मंत्री को लिख कर ऐसी कोई बात नहीं भेजी थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जुबानी कहलवाया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक अधिकारी के द्वारा कहलवाया था यदि आप कहें तो मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही एक सन्देश सा भेजा गया था कि मुख्य मंत्री बतायें कि क्या वह विधान सभा की बैठक जल्दी बुलाने के लिये तैयार होंगे। राज्यपाल को बताया गया कि मैं ऐसा करने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नगर में मुझे कोई ज्यादा जरूरी राजनैतिक काम है और वास्तव में मैं कुछ लोगों के मेरी तरफ आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।"

श्री इन्द्रजीत गुत : उन्होंने कहा था कि वह इस पर विचार करने के लिये मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास जो जानकारी थी मैंने देदी है । यदि मेरे तथ्य और उनके तथ्य भिन्न हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री जी० भा० कृपालानी : हम दोनों में से किसी का विश्वास नहीं करते।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : असली बात तो यह है कि जब राज्यपाल को पता चल जाए कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या वह अनिश्चित काल के लिये उसे पदारूढ़ रहने दे सकता है । मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय राज्यपाल का यह कर्तव्य हो जाता हैं कि मुख्य मंत्री और विधान सभा को आमने-सामने ला खड़ा करे और जब मुख्य मंत्री सभा की बैठक बुलाने से इन्कार करता है तो उसके सामने वही एक रास्ता रह जाता है जो बंगाल के राज्यपाल ने इस मामले में अपनाया है । क्या हम ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दें जिन्होंने एक बड़े उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लिया है और कड़ी कार्यवाही की है ? उन्होंने यह कड़ी कार्यवाही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिये की है । क्या हम उन लोगों की बात को मान लें जो हमें कहते हैं कि "हम इस लोकतंत्र को तबाह कर देंगे" ?

श्री अ० कु० गोपालन : मैंने कहा था कि कांग्रेसी लोकतंत्र को जिसमें कांग्रेस की सुविधा ही लोकतंत्र है—ऐसे लोकतंत्र को हम तबाह कर देंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारतीय लोकतंत्र कुछेक व्यक्तियों की दया पर निर्भर नहीं करता । उसे इस देश के 50 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 50 करोड़ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था। आपके पास 50 करोड़ लोगों का ठेका नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्थानीय परिस्थतियों और स्थानीय राजनीति को परखना राज्यपाल का काम है। इस मामले में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि राज्यपाल ने देश, लोकतंत्र और संविधान के हित में काम किया है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे खुशी है कि मैं श्री चव्हाण के बाद बोल रहा हूँ जिन्होंने कम से कम यह माना है कि उन्हें संसदीय जीवन की एक नाजुक समस्या से निबटना है । हम यहां चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के आचरण की नहीं बल्कि वहां के राज्यपाल के आचरण की । श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्री चव्हाण ने कहा है कि राज्पाल ने जो कुछ किया ठीक किया है । श्री अशोक सेन ने नाइजीरिया के दृष्टान्त दिए और वह यह भूल गए कि 1955 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने राम जवाया और पंजाब राज्य के मामले में फैसला दिया था कि राष्ट्रपति को कार्यकारिण का औपचारिक संवैधानिक मुखिया बनाया गया है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद् को प्राप्त हैं। वही राज्य सरकारों को लागू होता है।

आचार्य कृपालानी, जिनके दिमाग पर मध्य प्रदेश ज्यादा छाया हुआ है, ने कहा कि राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है और उसके आचरण की अदालत में निन्दा नहीं की जा सकती है परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जो चाहे कर सकता है । श्रीमती सुचेता कृपालानी ने डा० अम्बदेकर का हवाला दिया । डा० अम्बदेकर ने संविधान सभा में कहा था कि राज्यपाल के कोई कृत्य नहीं हैं, उसके केवल कर्तव्य हैं । उसका यह देखना कर्तव्य है कि सरकार को कार्यकुशलता और निष्पक्षता से चलाया जाये। ब्रिटेन में सम्राट को चेतावनी देने और भिड़कने का अधिकार है परन्तु फिर भी उसे प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद् के आगे सिर झुकाना पड़ता है। वही चीज यहां भी लागू होती है। यदि श्री चव्हाण में यह कहने का साहस है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन ठप हो गया है तो वह कहें कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जायेगा परन्तु वह चोर दरवाजे से, चोरी-छिपे और मक्कारी से काम लेना चाहते हैं जो किसी भी नैतिक सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने ऐसे विषय पर अपना आदेश दिया जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर था परन्तु उनका यह निर्णय अस्थायी था । उन्हें आशा थी कि बैठक दुबारा होगी और सोचने के बाद वह पुनः कोई निर्णय देंगे परन्तु राज्यपाल ने फिर बीच में टांग अड़ा दी और सभा को भंग कर दिया । उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था । वह बहुत बड़े आई० सी० एस० व्यक्ति हैं, नई दिल्ली से उनकी नियुक्ति हुई है और दिल्ली और कलकत्ता के बीच वह इस तरह से चक्कर काटते हैं जिस पर किसी को भी शर्म आ सकती है । एक लम्बा षडयंत्र रचा गया । उसकी कहानी तो बड़ी लम्बी है परन्तु मैं उसका आखिरी हिस्सा ही सुनाऊंगा । 21 नवम्बर को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कलकत्ता के ग्रांड होटल में श्री महामाया प्रसाद से बातचीत कर रहे थे । 2 बजे एक अधिकारी ने राज्यपाल का सन्देश आ कर दिया कि क्या वह सभा की बैठक 18 दिसम्बर से पहले बुलाने

को तैयार हैं और 4 बजे तक इसका जवाब मांगा। मुख्य मंत्री ने जवाब में कहा कि परसों उनके मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और इसलिए वह 23 नवम्बर को राज्यपाल को उत्तर दे सकेंगे। अब होता क्या है ? 8 बजे दलबदली करने वाले गद्दार राज भवन में इकट्ठे हुए। अध्यक्ष को पूछा तक नहीं गया। एक नये मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई गई। एक चोरबाजारिये को जेल से रिहा करके राजभवन में आमंत्रित किया गया। पश्चिम बंगाल विधान सभा के एक सदस्य आशुतोष घोष—यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सभी तरह के अपराधों के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसने कलकत्ता में कई मंजिला मकान बनवाया है जिसमें वह अगवा किए गए राजनैतिक विरोधियों को रखता है —ने डा० पी० सी० घोष को हार पहनाया और कहा, 'अरविन्द घोष की तरह मेरा काम समाप्त हो गया है।" यह तो ऐसा ही होगा कि राष्ट्रपति प्रो० रंगा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर यह सोचे कि इस सभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है और वह कहें "श्रीमती इन्दिरा गांधी, बाहर निकल जाओ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधान मंत्री बनाता हूँ।"

इसीलिए श्री कामत ने संविधान सभा में पूछा था—"यदि किसी मामले में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सालाह पर काम नहीं करता तो क्या इसे संविधान का उल्लघंन समझा जायेगा और वह महाभियोग का पात्र होगा ?" डा० अम्बेदकर ने कहा था, "इस बारे में तो रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। यही चीज राज्यपाल और राज्य सरकार पर लागू होती है। श्री अनन्तशयनम् अयंगार ने 29 नवम्बर को पटना में कहा था "यदि राज्यपाल एक हाथ से सरकार को बनाना और दूसरे से उसे बर्खास्त करना शुरु करदें तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता।" उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि श्री कृष्णवल्लभ सहाय के मंत्रिमंडल के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करना लोकतंत्रीय ढंग से गठित सरकार में हस्तक्षेप होता। 30 नवम्बर को पटना में फिर उन्होंने कहा कि उनकी गलती यह थी कि उन्होंने अन्य राज्यपालों की तरह कार्यवाही नहीं की अन्यथा 15 वर्ष तक वह और अपने वर्तमान पद पर रहने दिये जा सकते थे।

मैं जानता हूँ कि अन्त में सरकार इसी बात की आश्रय लेगी कि हम लोग संविधान की शपथ तो लेते हैं परन्तु जो कुछ हम कहते है वह सच नहीं है। मैं इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम संविधान की वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं। लोगों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये। परन्तु वर्तमान संविधान में भी हम लोग बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। यही कारण है कि हम संसदीप तरीकों से ही अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वतंत्रपार्टी के एक प्रवक्ता ने साम्यवादी पार्टी पर रोक लगाने की बात कही है, मुझे इन बातों की बिलकुल भी परवाह नहीं है। 1917 में विश्व का छठा भाग साम्यबादी हो गया और अब 50 वर्ष बाद विश्व की एक-तिहाई आबादी पर साम्यवादी शासन है।

जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है कांग्रेस में इतना नैतिक उत्साह नहीं है कि वह सामने आकर प्रशासन सम्भाले क्योंकि वे जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में उनकी स्थिति क्या है। श्री चव्हाण ने कहा है कि राज्यपाल मंत्रालय को हटा सकता है। परन्तु कुछ परम्परायें हैं

हमें उनका पालन करना है जिस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार को हटाया गया । वह बड़े दुख और शर्म की बात है । मैं श्री चव्हाण से निवेदस करूंगा कि वह अपने कदम को वापिस लें और वहां पर सरकार को संसदीय तरीकों से काम करने दें ।

अध्यक्ष महोदय :मैं दोनों प्रस्ताव अलग, अलग सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

श्री सेझियान (कुम्बकांणम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहले प्रस्ताव का श्री मुकर्जी ने उत्तर दे दिया है इसलिये उस पर चर्चा को समाप्त समझा जाना चाहिए और उस पर मतदान किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या आप उपाध्यक्ष के विनिर्णय को रद्द करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने अपने वक्तव्य में पश्चिम बंगाल सरकार के अध्यक्ष द्वारा सभा को अनिश्चित काल तक स्थगित करने संबंधी निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहा । परन्तु उन्होंने कानूनी तथा संवैधानिक मामलों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये थे जिनके बारे में समूचे देश में अपना अपना दृष्टिकोण बताया जा रहा है । इस संसद को भी अपने विचार व्यक्त करने तथा निर्णय देने का अधिकार है ।

हमारी स्थिति यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार का संगठन संबैधानिक तरीके से हुआ है । यह सरकार संवैधानिक तरीके से ही काम करेगी । मैं श्री मुकर्जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि संविधान के लिये परम्परायें बहुत महत्वपूर्ण हैं । क्या मुख्य मंत्री के लिये यह अच्छा नहीं है कि जिस समय वह यह महसूस करें कि उनके साथ बहुमत नहीं है वह शासन छोड़ने के लिये तैयार हो जायं । मुझे श्री मुकर्जी द्वारा अच्छी भाषा के प्रयोग किये जाने की आशा थी । किसी को गाली देने का कोई लाभ नहीं । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग 256 विधायकों की सभा के समक्ष जाने से डरते है वे जनता के पास किस प्रकार जा सकते हैं । वे लोकतंत्र की बातें कैसे कर सकते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है परन्तु यदि कुछ लोग इसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं तो वे लोकतंत्र की भाषा में बात नहीं करते । ऐसे लोग स्वयं कों धोखा दे रहे हैं ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I would like to know whether it is a fact that Shri Dharm Vir, Governor, West Bengal had written to the Centre to permit him to dismiss the Government there otherwise he will submit his own resignation? It has also appeared in the newspapers that Shri Kanti met Shri Humayun Kabir and discussed with him the whole matter.

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) श्री कुन्टे 21 नवम्बर को 4 बजे के लगभग मुझे मिले थे । मैंने उनसे कहा था कि यदि साम्यवादी दल संयुक्त मोर्चे से बाहर आजायें तो कोई हल निकल सकता है । मैंने यह भी कहा कि मैं उनको अन्तिम उत्तर कल दूँगा । परन्तु 7 बजे के

लगभग मुझे पता लगा कि डा० घोष को राज्यपाल द्वारा मंत्रिमण्डल बनाने के लिये तैयार रहने के लिये कह दिया गया है। मेरे विचार में सभा 24 नवम्बर को इसलिये स्थगित की गई क्योंकि उसमें 105 सदस्य संयुक्त मोर्चे के पक्ष में और 146 सदस्य डा० घोष के पक्ष में थे।

श्री जो० भ० कृपलानी (गुना): निजी बातों को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे (अन्तर्बाधायें) *कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निदेश अथवा आदेश दिये हैं। राज्यपाल ने अपने अधिकारों तथा विवेक से काम लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह कृपया पश्चिमी बंगाल के वर्तमान राज्यपाल को पश्चिमी बंगाल में संयुक्त वामपंथी मोर्चे के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करने की उनकी असंवैधानिक कार्यवाही के कारण, बर्खास्त करने दें।"

अध्यक्ष महोदय : संकल्प पर मतविभाजन होगा लाबी दीर्घायें खाली कराई जायं। जो हां वाले हैं वे दायें ओर और 'ना' वाले बायें ओर जायें।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 71, विपक्ष में 216

Ayes—71, Noes—216

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

श्री हो० ना० मुकर्जी : जहां तक दूसरे प्रताव का सम्बन्ध है श्री चव्हाण के वक्तव्य से बहुत सन्देह उत्पन्न होते हैं, अतः मेरा निवेदन है कि उस पर मतदान न किया जाये। यदि मतदान किया जाता है तो हम उसमें भाग लेने में असमर्थ हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : वह एक गैर-कानूनी बात होगी।

इसके पश्चात सर्वश्री हो० ना० मुकर्जी, अ० कु० गोपालन, मनोहरन, रवि राय तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Sarvashri H. N. Mukerjee, A. K. Gopalan, K. Manoharan, Rabi Ray and some other hon'ble Members then left the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे गृह कार्य मंत्री द्वारा 30 नवम्बर, 1967 को दिये गये वक्तव्य का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

*कार्यवादी के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not Recorded.

पक्ष में 195 विपक्ष में 21

Ayes 195 Noes 21

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य स्थिति पर आगे चर्चा करेगी।

उपध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

The Deputy Speaker in the Chair

देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री चरणजीत राय (बैंस): इस विषय पर कई बार चर्चा की गई है परन्तु अभी तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सके। सरकार को यह बात महसूस तथा स्वीकार करनी चाहिये कि खाद्य समस्या की उपेक्षा की गई है। इस समस्या को कड़ी मेहनत द्वारा ही हल किया जा सकता है। यदि देश के करोड़ों लोगों को खाना नहीं मिला तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। सरकार समूची जिम्मेदारी सूखे पर ही नहीं डाल देनी चाहिये। कहीं दस वर्षों में एक बार सूखा पड़ता है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए

Shri C. K. Bhattacharya in the Chair

अतः सरकार को प्राकृति पर ही जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। हमारा उत्पादन भी बढ़ गया था। परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सारा जोर भारी उद्योगों पर लगा दिया। जिससे कृषि की उपेक्षा होनी आरम्भ होगी। अब प्रधान मंत्री ने 1970-71 तक खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का आवश्वासन दिया है। इससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि तबतक अनाज की कमी रहेगी। यह बड़े खेद की बात है कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने इस समस्या को हल करने के लिये उचित ध्यान नहीं दिया। यदि उचित ध्यान दिया जाता तो आज हमारी अर्थ-व्यवस्था अच्छे स्तर पर होती और हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ता। सरकार ने भूतकाल से कोई सबक नहीं लिया है और नही समस्या को समझा है। अब यह सुनने में आया है कि चालू वर्ष में 100 मिलियन टन अनाज होगा। मेरे विचार में इतना अनाज भी 51 करोड़ की जनसंख्या के लिये अपर्याप्त ही होगी। हम यह भी जानते हैं कि 10 प्रतिशत अनाज विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाता है। जहांतक 1970-71 मे आत्म निर्भरता प्राप्त करने का प्रश्न है मैं समझता हूँ उस समय तक हमारी जन संख्या में 4 करोड़ की वृद्धि हो जायेगी। अतः हमे 13 करोड़ 80 लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न यह है कि क्या हम उस समय इतना अनाज का उत्पादन कर सकेंगे।

अमरीका की एक विज्ञान परामर्श समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत को 1986 तक अपनी 85 करोड़ की जनता के लिये 18 करोड़ 70 लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। उस प्रतिवेदन में इस बात का भी इशारा मिलता है कि भारत ऐसा नहीं कर सकेगा। तबभी भारत को लगभग 420 लाख टन अनाज का 2200 करोड़ की लागत मे आयात करना होगा।

मेरे विचार में इस समय गहन खेती करने की आवश्यकता है। हमें कम से कम चार फसलें उगाने का प्रयत्न करना चाहिये। जापान ने ऐसा किया है। इसलिये हमारे लिये ऐसा करना असम्भव नहीं है। हालही में प्रगतिशील किसान की एक कन्वेन्सन ने प्रधान मंत्री को कहा है कि यदि अच्छे बीज, सिचाई का अधिक सुविधायें तथा खाद आदि पर्याप्त मात्रा में दिये जायें तो देश एक वर्ष में ही अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो सकता है। गेहूँ-ज्वार-मक्का के संकर बीजों ने कृषि में एक क्रान्ति ला दी है। अतः इस किस्म के संकर बीज बड़ी-बड़ी मात्रा में समूचे देश में सप्लाई किये जाने चाहिये।

भारत में औसतन 40 इंच वर्षा होती है। अधिकतर पानी धरती में समा जाता है। हमें नलकूप आदि खोद कर पानी का अत्यधिक उपयोग करना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत 20 वर्षों में हमने सिचाई के मामले में कुछ प्रगति की है फिर भी हमें अभी बहुत प्रगति करनी है। कुल 600 लाख एकड़ भूमि को ही सिचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं जबकि 32 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें सिचाई की सुविधायें उपलब्ध करने के काम पर अधिक धन व्यय करना चाहिये और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अब मैं उर्वरक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। भारत उर्वरक का कम से कम उपयोग करने वालों देशों में एक है। इस सम्बन्ध में मैं भारत की तुलना पाश्चात्य देशों अथवा जापान से नहीं करना चाहता परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि संयुक्त अरब गणराज्य में भारत से 20 गुना ज्यादा उर्वरक की खपत होती है तथा श्रीलंका में 20 गुना ज्यादा। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें अधिक से अधिक उर्वरक की देश में खपत करनी चाहिए।

हमारे सामने यह जो समस्या है यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसलिये सरकार को राष्ट्रीय खाद्य नीति अपनानी चाहिये क्योंकि खाद्य के मामले में विभिन्न दलों की विचारधाराओं का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रत्येक व्यक्ति को अनाज चाहिये चाहे वह किसी भी दल का हो तथा अनाज की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे देश को अनाज मिले। यदि हम भूखे रहते है तो हमारा लोकतन्त्र खतरे में पड़ सकता है अतः खाद्य मंत्री को एक उचित खाद्य नीति अपनानी चाहिये।

Shri Deorai Patil (Yeotmal) : We have decided to make the country self sufficient in the matter of food by 1970-71 and a larger of twelve crores tons of annual production of foodgrains has been laid down for the purpose. The procurement target is not likely to be achieved as a result of in adequte rains particularly in case of Maharashtra.

The agricultural price policy being pursued by Government is consumer oriented rather than former oriented. Therefore we should ensure a fair price to the farmer based on cost of produced which would give him incentive and encouragement to increase agricultural production. Unless incentive price is given to the farmer he will not put in his best to increase agricultural production.

The agricultural Prices Commission has recommended that the agricultural prices for the year 1967, should be lower than that the prices paid to the farmers in 1965-66. I feel that the Commission by making this recomendation has done grave in justic to the agriculturist While making this recommendation the Commission has not taken into account the basic fact that the case of production has increased tremendously. I am very happy that Government has not accepted that recommendation and instaed has fixed the prices for 1967 at par with that paid during 1965-66. In this eonnection I would like a submit their at the time of fixing prices of agricultural eommodities cost of production should be one of man factors to be taken into account.

I am very sorry to say that the Government has not formed a uniform policy of procurement for the whole country. They have not formed a national policy. There is a different policy for different States. In some States there is a monopoly procurement while in other States purchases are to be made in the market. I think that the Planning Commission is responsible for that because it is the Planning Commission which gives advoice for all these things. Our distribution policy is also not good. Therefore I wonld suggest to the Government that they should make suitable changes in their policy regardings procurement and distribution.

While fixing agricultural prices the Government should be guided by two principles. Firstly they should give incentive prices to the formers and secondly they should give foodgrains to the consumers at reasonable prices. Unless and until Government takes these things with consideration this problems cannot be solved.

The Government pays much attention for those persons who are liveing in cities and ignores the people who are living in rural areas. Statutory rationing has been introduced in big cities and there is no such provision in rural areas. Cheap grain shops should be opened for him also.

One point for which I would like to pay more attention is that Government should also pay attention to the condition of agicultural labour. They should be given a minimum wage.

The Planning Commission has made a provision of rupees 25 crores for small irigation purposes. That amount is not sufficient. This work should be given preference.

The employees of Researched Education Department are not taking much interest in the matter of production of agriculture because their pay scales are much lower as compared to other employees. Government should pay attention towards it also.

सभापति महोदय : जिस सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दिया हुआ है वह इस समय उपस्थित नहीं है इसलिये सभा अब स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 दिसम्बर, 1967/13 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 4, 1967/Agrahayana 13, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.